



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दूसरी
SECOND

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2018-2019

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई हैं)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर, December, 2018

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरा बैच 2018-2019.

Subject : Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2018-2019.

वर्ष 2018-19 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 71 अनुदान मांगें तथा 2 विनियोग हैं। ₹85,948.86 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹15,065.49 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹70,882.21 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹116 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The Second Batch of Supplementary Demands for Grants for 2018-19 includes 71 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹85,948.86 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹15,065.49 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹70,882.21 crore. Besides, token provision of ₹116 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान वेतन (₹196.60 करोड़) (ii) माननीय शिमला न्यायालय के निदेश अनुसार बागवानी अनुसंधान और शिक्षा संस्थान स्कीम के अंतर्गत आईसीएआर को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.11 करोड़) (iii) कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को सामान्य सहायता अनुदान (₹3.91 करोड़) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.75 करोड़ रुपये) और सहायता अनुदान वेतन (₹1.26 करोड़) (iv) राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना-ईएपी घटक स्कीम (एनएएचईपी) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹33.06 करोड़), पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹19.32 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹0.24 करोड़)।	For providing (i) Grants-in-aid Salaries (₹196.60 crore) to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) under the scheme ICAR headquarter Administration (ii) Grants for Creation of Capital Assets to ICAR under scheme Horticulture Institutes, Research & Education as per the direction of Hon. High Court of Shimla (₹1.11 crore) (iii) Grants-in-aid General (₹3.91 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹2.75 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹1.26 crore) to Agricultural Scientists Recruitment Board (ASRB) (iv) Grants-in-aid General (₹33.06 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹19.32 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹0.24 crore) under the scheme National Agricultural Higher Education Project-EAP Component (NAHEP).	152.73	-	152.73
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
(क) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) एयर इंडिया एसेट होल्डिंग (विशेष प्रयोजन माध्यम) (₹1300 करोड़) और (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (₹0.10 करोड़)।	(a) For providing Grants-in-Aid General to (i) Air India Asset Holding (Special Purpose Vehicle) (₹1300 crore) and (ii) Indira Gandhi Rashtriya Udaan Academy (₹0.10 crore).	798.34	-	798.34
(ख) टर्नएराउंड योजना के तहत एयर इंडिया में इक्विटी के निवेश के लिए (₹2,345 करोड़)।	(b) For infusion of equity in Air India under Turn Around Plan (₹2,345 crore).	-	2,298.80	2,298.80
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) निम्नलिखित की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (i) चाय बोर्ड के अंतर्गत	(a) For meeting the additional requirement towards (i) Grants-in-aid General,			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सामान्य सहायता अनुदान, सहायता अनुदान वेतन और सब्सिडियां (₹52.40 करोड़) और कॉफी बोर्ड (₹116.28 करोड़) (ii) रबड़ बोर्ड के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और सहायता अनुदान वेतन (₹111.99 करोड़) और मसाला बोर्ड (₹61.22 करोड़)।	Grants-in-aid Salary and Subsidies under Tea Board (₹ 52.40 crore) and Coffee Board (₹ 116.28 crore) (ii) Grants-in-aid General and Grants-in-aid Salary under Rubber Board (₹111.99 crore) and Spices Board (₹61.22 crore).	40.73	-	40.73
(ख) चाय बोर्ड के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹21 करोड़) और मसाला बोर्ड (₹3.10 करोड़)।	(b) For meeting the additional requirement towards Grants-in-aid General under Tea Board (₹21 crore) and Spice Board (₹3.10 crore).	2.87	-	2.87
(ग) वर्ल्ड एक्सपो 2020 के तहत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting the additional requirement for International Conference under World Expo 2020.	100.00	-	100.00
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13. डाक विभाग	13 Department of Posts			
स्वच्छता कार्य योजना के लिए व्यय पूरा करने हेतु (₹20 करोड़)।	For meeting expenditure towards Swachhta Action Plan (₹20 crore).	-	2.27	2.27
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	16 Department of Food and Public Distribution			
अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए 1. सब्सिडी (i) एनएफएसए के तहत खाद्यानों की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए राज्य सरकारों को (₹5500 करोड़) (ii) चीनी मिलों को 'चीनी के बफर स्टॉक के सृजन और रखरखाव स्कीम के अंतर्गत' (₹450 करोड़) और (iii) 2017-18 के मौसम के लिए चीनी मिलों को सहायता के अंतर्गत (₹400 करोड़) 2. अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए निधियां (₹30 करोड़)। 3. सामान्य सहायता अनुदान (i) दंडात्मक ब्याज और आयकर देयता के भुगतान के लिए हिंदुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपोरेशन को (₹111 करोड़) (ii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत (₹12 करोड़)। (iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालन का सुदृढ़ीकरण (₹2.50) करोड़)।	For providing additional 1. subsidy (i) to State Governments for decentralized procurement of foodgrains under National Food Security Act (₹ 5500 crore) (ii) to sugar mills under 'Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of Sugar' (₹ 450 crore) and (iii) under Assistance to Sugar Mills for 2017-18 Season (₹ 400 crore) 2. funds towards reimbursement of Sugar Subsidy to States/UTs under Public Distribution System for Antyodaya Anna Yojana families (₹ 30 crore) 3. Grants-in-aid General (i) to Hindustan Vegetable Oil Corporation towards payment of penal interest and income tax liability (₹111 crore) (ii) under Integrated Management of Public Distribution System (₹ 12 crore) (iii) for Strengthening of Public Distribution System Operation (₹ 2.50 crore).	850.00	-	850.00
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
17. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs			
भारत प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए भवन अधिग्रहण हेतु एनबीसीसी को भुगतान और आंतरिक साज-सज्जा के लिए एनएसएल को भुगतान के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹56.49 करोड़)।	For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for payment to National Building Construction Corporation (India) Ltd. for acquiring building for Competition Commission of India and payment to NSL for interior fitout (₹56.49 crore).	30.81	-	30.81

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
(क) सेना के लिए स्टोर के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु (₹100 करोड़) और परिवहन (₹500 करोड़)।	(a) For meeting additional requirement under 'Stores' (₹100 crore) and 'Transport' (₹ 500 crore) for Army.	600.00	-	600.00
(ख) नौसेना के लिए स्टोर के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु (₹360 करोड़) और परिवहन (₹40 करोड़)।	(b) For meeting additional requirement under 'Stores' (₹360 crore) and 'Transport' (₹ 40 crore) for Navy.	400.00	-	400.00
(ग) वायु सेना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने हेतु (₹205.12 करोड़) और परिवहन (₹194.88 करोड़)।	(c) For meeting additional requirement under 'Stores' (₹ 205.12 crore) and 'Transport' (₹ 194.88 crore) for Air Force.	400.00	-	400.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
26. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26 Ministry of Electronics and Information Technology			
(क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संबंध में वेतन हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Salary in respect of National Informatics Centre.	99.19	-	99.19
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-Aid General in respect of National Knowledge Network Programme for the benefit of North Eastern Region.	29.00	-	29.00
(ग) व्यय पूरा करने के लिए 1. निम्नलिखित के संबंध सामान्य सहायता अनुदान (i) "पीएमजीडीआईएसए" का अनुसूचित जाति घटक (₹38 करोड़) और "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" (₹4 करोड़) और (ii) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" का अनुसूचित जनजाति घटक (₹62 करोड़), (iii) "भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण" (₹21.87 करोड़) और (iv) "सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिकी/सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास" (10 करोड़) 2. "समीर" के संबंध में पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹27.29 करोड़) और "सी-मेट" (₹4.71 करोड़) 3. "भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण" के संबंध में सहायता अनुदान वेतन (₹10 करोड़) 4. "मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन-एसटीक्यूसी" के संबंध में कार्यालयी व्यय (₹2 करोड़) और 5. "आईटी और आईटीईएस उद्योगों के संवर्धन के संबंध में अन्य प्रभार" (₹18.81 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-Aid General in respect of (i) Scheduled Caste component of "PMGDISHA" (₹ 38 crore) and "National Knowledge Network Programme" (₹ 4 crore) and (ii) Scheduled Tribe component of "National Knowledge Network Programme" (₹ 62 crore), (iii) "Unique Identification Authority of India" (₹ 21.87 crore) and (iv) "R&D in Information Technology/Electronics/CCBT" (₹ 10 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets in respect of "SAMEER" (₹ 27.29 crore) and "C-MET" (₹ 4.71 crore) 3. Grants-in-Aid-Salary in respect of "Unique Identification Authority of India" (₹ 10 crore) 4. Office Expenses in respect of "Standardisation, Testing and Quality Certification-STQC" (₹ 2 crore) and 5. Other Charges in respect of "Promotion of IT & ITeS Industries" (₹ 18.81 crore).	46.64	-	46.64
(घ) साइबर सुरक्षा (एनसीसीसी और अन्य) कार्यक्रम के संबंध में मशीनरी और उपकरण के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(d) For meeting expenditure towards Machinery & Equipment in respect of Cyber Security (NCCC & Others) Programme.	-	6.17	6.17

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
28. विदेश मंत्रालय	28 Ministry of External Affairs			
(क) व्यय पूरा करने के लिए (i) एयर इंडिया के विमान की रखरखाव लागत के लिए 'अन्य प्रभार' (₹259 करोड़) और विशेष राजनयिक व्यय (₹300 करोड़) और (ii) अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के लिए सोसाइटी हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹3.60 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) 'Other Charges' for Maintenance cost of Aircraft of Air India (₹ 259 crore) and for Special Diplomatic Expenditure (₹ 300 crore) and (ii) Grants in aid General for Society for Research and Information system for other developing countries (₹ 3.60 crore).	259.00	-	259.00
(ख) निम्नलिखित के तहत 'अंशदान' हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) चालू परियोजना के बिलों के निपटान हेतु मालदीव को सहायता (₹312 करोड़) (ii) चालू परियोजना के बिलों के भुगतान के निपटान हेतु मॉरीशस को सहायता (₹90 करोड़) (iii) चालू परियोजना के बिलों के भुगतान के निपटान हेतु नेपाल को सहायता (₹51 करोड़) (iv) पूरा हो रहे मांगदेचु एचईपी को समय पर बिजली देने के लिए भूटान को सहायता (₹151 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards 'Contribution' under (i) Aid to Maldives for settlement of bills of ongoing project (₹ 312 crore) (ii) Aid to Mauritius to settle the payment of ongoing projects (₹ 90 crore) (iii) Aid to Nepal to settle the payment of ongoing projects (₹ 51 crore) (iv) Aid to Bhutan for timely evacuation of power with Mangdechhu HEP nearing completion (₹ 151 crore).	312.00	-	312.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32. निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम)	32 Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)			
स्थापना से संबंधित व्यय के लिए - (i) विज्ञापन और प्रचार (₹45 करोड़) और (ii) व्यावसायिक सेवाएं (₹30 करोड़)।	For establishment related expenditure - (i) Advertisement and Publicity (₹ 45 crore) and (ii) Professional Services (₹30crore).	75.00	-	75.00
34. प्रत्यक्ष कर	34 Direct Taxes			
किराया, दरों और करों के अतिरिक्त प्रावधान को पूरा करने के लिए।	For meeting additional provision of Rent, Rates and Taxes.	100.00	-	100.00
36. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	36 Indian Audit and Accounts Department			
(क) वेतन और अन्य स्थापना संबंधी मदों के लिए।	(a) For Salaries and other establishment related items.	4.49	-	4.49
(ख) वेतन और अन्य स्थापना संबंधी मदों के लिए।	(b) For Salaries and other establishment related items.	171.78	-	171.78
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) 'सीजीएचएस पेंशनरों के चिकित्सा उपचार' के तहत अतिरिक्त निधि को पूरा करने हेतु (₹230 करोड़)।	(a) For meeting additional fund under the 'Medical Treatment of CGHS Pensioners' (₹ 230 crore).	150.00	-	150.00
(ख) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹1920.01 करोड़) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1062 करोड़) सहायता अनुदान वेतन (₹468.84 करोड़) और अन्य प्रभार (₹22.50 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹1,920.01 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹1,062 crore), Grants-in-aid Salaries (₹468.84 crore) and Other Charges (₹22.50 crore) under various shcemes.	448.76	-	448.76
(ग) निम्नलिखित के लिए (i) विभिन्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹189.03	(c) For (i) Grants-in-aid General (₹189.03 crore) under various schemes (ii) Grants			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़) (ii) क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल स्कीम के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹231.33 करोड़) अन्य क्रियाकलापों के लिए एनआरएचएम के तहत आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल अन्य स्वास्थ्य पद्धति का सुदृढीकरण (₹4.31 करोड़) और (iii) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग (₹18 करोड़) और क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल (₹63.15 करोड़)।	for Creation of Capital Assets under the schemes Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 231.33 crore) and RCH Flexible Pool-Other Health System Strengthening under NRHM for Other Activities (₹ 4.31 crore) and (iii) Grants in Aid Salaries under the schemes North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 18 crore) and Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 63.15 crore).	27.50	-	27.50
(घ) व्यय पूरा करने हेतु (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2294.45 करोड़) (ii) स्वास्थ्य पद्धति का सुदृढीकरण स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹88.99 करोड़)।	(d) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹2294.45 crore) under various schemes and (ii) Grants for Creation of Capital Asset under the scheme Health System Strengthening (₹ 88.99 crore).	75.00	-	75.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46. गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार एनआरसी, असम के संबंधित कार्य (₹150 करोड़)।	For work relating to NRC, Assam as per the direction of Hon'ble Supreme Court (₹150 crore).	106.64	-	106.64
54. दिल्ली को अंतरण	54 Transfers to Delhi			
जेआईसीए से सहायता प्राप्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए दिल्ली को ऋण देने हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure for providing loan to Delhi for JICA assisted Externally Aided Project.	-	77.41	77.41
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
व्यय पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹1044.21 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹211.75 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹966.43 करोड़) विभिन्न स्कीमों के तहत (ii) राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹162 करोड़) और एसएसएस स्कीम के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹10 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹1,044.21 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹211.75 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹966.43 crore) under the various schemes (ii) Scholarship/ Stipend under the scheme National Means Cum Merit Scholarship Scheme (₹162 crore) and Professional Services under the scheme SSA (₹10 crore).	113.75	-	113.75
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
(क) प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए। (₹1,191.50 करोड़)।	(a) For meeting additional requirement as Grants-in-aid General (₹1,191.50 crore) under the scheme Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana.	921.62	-	921.62
(ख) प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए (₹131.62 करोड़)।	(b) For meeting additional requirement towards Grants-in-aid General (₹131.62 crore) under the scheme Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana.	103.17	-	103.17

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
61. विधि और न्याय	61 Law and Justice			
लोकसभा चुनाव, 2019 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल के आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए मशीनरी और उपकरण के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	For Machinery & Equipment to make payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails for Lok Sabha Election, 2019.	-	303.31	303.31
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
70. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	70 Ministry of Personnel, Public Grievances And Pensions			
व्यापक आधुनिकीकरण और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए भूमि की खरीद/कार्यालय/रिहायशी भवन के निर्माण के लिए।	For comprehensive modernization and purchase of land/construction of office residence building for CBI.	-	20.00	20.00
71. केंद्रीय सतर्कता आयोग	71 Central Vigilance Commission			
केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting establishment related expenditure to Central Vigilance Commission.	1.39	-	1.39
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
73. योजना मंत्रालय	73 Ministry of Planning			
स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू) सहित अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के लिए लघु निर्माण कार्य (₹10.21 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹10 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹125.96 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Minor Works (₹ 10.21 crore), Professional Services (₹ 10 crore) and Grants-in-Aid General (₹ 125.96 crore) for the Atal Innovation Mission including Self Employment and Talent Utilization.	125.96	-	125.96
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74. विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
(क) निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए (i) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली सुधार स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹352.05 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹512.50 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹135.45 करोड़) (ii) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹450 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹50 करोड़)।	(a) For providing additional funds towards (i) Grants for creation of capital assets (₹ 352.05 crore), Grants in aid General (₹ 512.50 crore) and Professional Services (₹ 135.45 crore) under the scheme "Power System Improvement in North Eastern States excluding Arunachal Pradesh and Sikkim (ii) Grants for creation of capital assets (₹ 450 crore) and Professional Services (₹ 50 crore) under the scheme Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim.	228.27	-	228.27
(ख) निम्नलिखित प्रदान करना 1. बजट बाह्य संसाधनों के कारण ब्याज भुगतान के लिए पीएफसी बांडों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹26.40 करोड़) और आरईसी बांड (₹323.60 करोड़) 2. निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त निधियां (i) चालू स्कीमों/क्रियाकलापों के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (₹5.67 करोड़) और (ii) बिजली कनेक्शन के कार्य को समय पर पूरा करने के लिए राज्यों को सौभाग्य के तहत पंचाट वितरण करने हेतु (₹300 करोड़)।	(b) For providing 1. Grants in aid General for PFC Bonds (₹ 26.40 crore) and REC Bonds (₹ 323.60 crore) for interest payment on account of Extra Budgetary Resources 2. additional funds for (i) Central Electricity Authority for ongoing schemes/ activities (₹ 5.67 crore) and (ii) to disburse Award under Shaubhagaya to states for timely completion of electricity connections job (₹ 300 crore).	350.00	-	350.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
78. उपराष्ट्रपति का सचिवालय स्थापना संबंधी व्यय के लिए।	78 Secretariat of the Vice-President For establishment related expenditure.	0.90	-	0.90
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय व्यय पूरा करने के लिए हेतु 1. राष्ट्रीय राजमार्ग निधि में निधि का अन्तर लेखा अंतरण (₹4840.75 करोड़) 2. एनएचएआई में निवेश राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मौद्रिकरण से पूरा किया जाएगा (₹4,840.75 करोड़) 3. निम्नलिखित के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य (i) सीआरएफ से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य (₹1,926.64 करोड़) (ii) वाम पंथ चरमपंथी प्रभावी क्षेत्रों में सड़क सम्पर्कता (एनएच और राज्य सड़क) के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (₹40 करोड़) और (iii) देश में जनजाति जिलों में सीआरएफ से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य (टीएसपी घटक) (₹2080 करोड़)।	81 Ministry of Road Transport and Highways For meeting expenditure towards 1. Inter Account Transfer of funds to Monetization of National Highways Fund (₹ 4,840.75 crore) 2. Investment in NHAI to be met from Monetization of National Highways Fund (₹ 4,840.75 crore) 3. Major Works under the (i) National Highways Original Works financed from CRF (₹ 1,926.64 crore) (ii) Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremists Affected Areas (₹ 40 crore) and (iii) National Highways Original Works (TSP Component) financed from CRF in Tribal Districts in the country (₹ 2,080 crore).	-	2,784.75	2,784.75
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹3210 करोड़)।	89 Department of Social Justice And Empowerment For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹3210 crore) under various schemes.	2,213.25	-	2,213.25
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
92. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) 7वां आर्थिक जनगणना के लिए क्षमता विकास स्कीम हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹31 करोड़) और (ii) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के सहायता अनुदान वेतन (₹38.62 करोड़)।	92 Ministry of Statistics and Programme Implementation For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General Capacity Development Scheme for 7th Economic Census (₹31 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹38.62 crore) for Indian Statistical Institute.	69.62	-	69.62
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
93. इस्पात मंत्रालय इस्पात सामान्य अस्पताल, राउरकेला का सेल द्वारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उन्नयन हेतु आवश्यकता पूरी करना।	93 Ministry of Steel For meeting requirement for upgradation of Ispat General Hospital, Rourkela into a Super Speciality Hospital through SAIL.	105.75	-	105.75
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
98. महिला और बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी सेवाएं (₹4338.32 करोड़), राष्ट्रीय पोषण मिशन (₹79.93 करोड़) और बाल संरक्षण सेवाएं (₹114.76 करोड़) स्कीमों अंतर्गत सामान्य	98 Ministry of Women and Child Development For Grants-in-aid General under the schemes Anganwadi Services (₹ 4338.32 crore), National Nutrition Mission (₹ 79.93 crore)			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सहायता अनुदान के लिए।	and Child Protection Services (₹ 114.76 crore)	58.62	-	58.62
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	9,572.78	5,492.71	15,065.49
3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में ₹70,882.21 करोड़ के लिए तकनीकी पूराक अनुदानों/विनियोगों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या मंत्रालयों/विभागों की तदनुसूची बचतों द्वारा समतुल्य किया गया है। मदें निम्नानुसार हैं :		3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 70,882.21 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:		
		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
तकनीकी पूरक मांग अनुदान	Technical Supplementary Demands for Grants			
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के न्यायालयी आदेश के लिए भूमि के मुआवजे का भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹10 करोड़)।	For meeting additional expenditure (₹10 crore) by Bhabha Atomic Research Centre for payment of land compensation against Court decree.	-	9.50	9.50
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
8. भेषज विभाग	8 Department of Pharmaceuticals			
राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन आदि के भुगतान के लिए (₹2 करोड़) और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड (₹5 करोड़)।	For payment of loan to Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Limited (₹ 2 crore) and Hindustan Antibiotics Limited (₹ 5 crore) towards salaries, etc. to staff.	-	7.00	7.00
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13. डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) उच्चतम न्यायालय के आदेश से उत्पन्न भुगतान के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	(a) For meeting expenditure towards payment arising out of Supreme Court order.	2.29	-	2.29
(ख) स्वच्छता कार्य योजना के लिए व्यय पूरा करने हेतु (₹20 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Swachhata Action Plan (₹20 crore).	-	17.73	17.73
14. दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) हैमिसफेयर प्रॉपर्टीज लिमिटेड में संचयी मोचनीय अधिमान के रूप में निवेश हेतु।	(a) For investment as Cumulative Redeemable Preference Shares in M/s. Hemisphere Properties Limited.	-	700.00	700.00
(ख) हैमिसफेयर प्रॉपर्टीज लिमिटेड को ऋण प्रदान करने के लिए।	(b) For providing loan to M/s Hemisphere Properties Limited.	-	51.00	51.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	16 Department of Food and Public Distribution			
अतिरिक्त प्रदान करने हेतु (i) एनएफएसए के अंतर्गत खाद्यानों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को (₹5500 करोड़) (ii) 'चीनी के बफर स्टॉक के सृजन और और रखरखाव के स्कीम' के अंतर्गत चीनी मिलों को (₹450 करोड़) (iii) 2017-18 मौसम के लिए चीनी मिलों को सहायता के तहत (₹400 करोड़) की अतिरिक्त सब्सिडी 2. अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु निधियां (₹30 करोड़) 3. (i) दंडात्मक	For providing providing additional 1. subsidy (i) to State Governments for decentralized procurement of foodgrains under National Food Security Act (₹5500 crore) (ii) to sugar mills under 'Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of Sugar' (₹ 450 crore) and (iii) under Assistance to Sugar Mills for 2017-18 Season (₹ 400 crore) 2. funds towards reimbursement of Sugar Subsidy to States/UTs under Public Distribution System for			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
ब्याज और आयकर देयता के भुगतान हेतु हिंदुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपोरेशन को (₹111 करोड़) (ii) एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रबंधन के अंतर्गत (₹12 करोड़) तथा (iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों का सुदृढ़ीकरण (₹2.50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	Antyodaya Anna Yojana families (₹ 30 crore) 3. Grants-in-aid General (i) to Hindustan Vegetable Oil Corporation towards payment of penal interest and income tax liability (₹ 111 crore) (ii) under Integrated Management of Public Distribution System (₹ 12 crore) (iii) for Strengthening of Public Distribution System Operation (₹ 2.50 crore).	70.10	-	70.10
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
17. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs			
कोलकाता में कॉर्पोरेट भवन के निर्माण के लिए (₹19.50 करोड़)।	For construction of Corporate Bhawan at Kolkata (₹19.50 crore).	-	19.00	19.00
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18. संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
राष्ट्रीय संग्रहालय (₹6.33 करोड़), और कला संस्कृति विकास योजना (₹20 करोड़) योजनाओं के तहत मुख्य कार्य के लिए।	For Major Works under the schemes National Museum (₹ 6.33 crore), and Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 20 crore).	-	26.33	26.33
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
23. उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय	23 Ministry of Development of North Eastern Region			
(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनईआरसीओआरएम परियोजना के विस्तार के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹16 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹20.45 करोड़)। (ii) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के संवर्धन के लिए सहायता' हेतु प्रावधान में वृद्धि के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹3 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹7 करोड़); और (iii) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन संबंधी परियोजनाओं को सहायता' हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹53.91 करोड़) और बाढ़ से क्षति के कारण पुनर्निर्माण खर्च (₹100 करोड़) के रूप में पूर्वोत्तर परिषद स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	For providing additional funds under the Schemes North Eastern Council as (i) Grants-in-aid General (₹ 16 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 20.45 crore) for 'Augmentation of NERCORM Project in North Eastern Region' and (ii) Grants-in-aid General (₹ 3 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 7 crore) to augment the provision for 'Support for Promotion of Industrialisation in North Eastern Region'; and (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 53.91 crore) for 'Support to projects related with Tourism in North Eastern Region' and for re-building expenses on account of damage by flood (₹ 100 crore).	100.36	-	100.36
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
(क) व्यय पूरा करना (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹61.47 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹19.51 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹5.72 करोड़) और (ii) इको टास्क फोर्स	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹61.47 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹19.51 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹5.72 crore) under the			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के लिए अन्य संविदात्मक सेवाएं (₹76.50 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	various schemes and (ii) Other contractual services for Eco Task Force (₹76.50 crore).	38.74	-	38.74
(ख) भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण के लिए मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Major Works for Botanical Survey of India.	-	0.49	0.49

विदेश मंत्रालय

28. विदेश मंत्रालय

- (क) व्यय पूरा करना (i) एयर इंडिया के विमान के अनुस्क्षण लागत के लिए अन्य प्रभार (₹259 करोड़) और विशेष राजनयिक व्यय (₹300 करोड़) तथा (ii) अन्य विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली सोसाइटी के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹3.60 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

- (ख) (i) जारी परियोजनाओं के बिलों के निपटान के लिए मालदीव को सहायता (₹312 करोड़), (ii) जारी परियोजनाओं के बिलों के निपटान के लिए मॉरीशस को सहायता (₹90 करोड़) (iii) जारी परियोजनाओं के बिलों के निपटान के लिए नेपाल को सहायता (₹51 करोड़) (iv) मांगदेचु जल विद्युत परियोजना जो पूरी होने वाली है के साथ विद्युत के सामयिक निस्तारण के लिए भूटान को सहायता (₹151 करोड़) के अंतर्गत 'अंशदान' हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

वित्त मंत्रालय

29. आर्थिक कार्य विभाग

- (क) एशियाई विकास बैंक निधि XII को अंशदान हेतु।
- (ख) स्वर्ण मौद्रिकरण स्कीम के अंतर्गत स्वर्ण जमा करने के लिए।
- (ग) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि लि. में अंतरण।
- (घ) 1. भुगतान के लिए (i) सामान्य पूंजी वृद्धि (₹276.31 करोड़) और चुनिंदा पूंजी वृद्धि (₹95.84 करोड़) 2. अभिदान (i) एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (₹301.23 करोड़) (ii) जीसीआई-VI के भुगतान हेतु अफ्रीकी विकास बैंक (₹0.53 करोड़) (iii) करेंसी मूल्य निर्धारण समायोजन के कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एसडीआर धारिता के एवज में (₹9278.34 करोड़) (iv) यूरोपीय पुनर्निर्माण विकास बैंक (₹29.90 करोड़) और (v) ब्रिक्स-एनडीबी (₹120 करोड़) 3. 14वीं जीआरक्यू के प्रभाव के कारण एसडीआर के निवल संचयी आबंटन पर एसडीआर प्रभार (₹108 करोड़)।

31. वित्तीय सेवाएं विभाग

- (क) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आदेश (न्यायालय डिक्री) के अनुपालन में ऋण

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

28 Ministry of External Affairs

- (a) For meeting expenditure towards (i) 'Other Charges' for Maintenance cost of Aircraft of Air India (₹ 259 crore) and for Special Diplomatic Expenditure (₹ 300 crore) and (ii) Grants in aid General for Society for Research and Information system for other developing countries (₹ 3.60 crore).

- (b) For meeting expenditure towards 'Contribution' under (i) Aid to Maldives for settlement of bills of ongoing project (₹ 312 crore) (ii) Aid to Mauritius to settle the payment of ongoing projects (₹ 90 crore) (iii) Aid to Nepal to settle the payment of ongoing projects (₹ 51 crore) (iv) Aid to Bhutan for timely evacuation of power with Mangdechhu HEP nearing completion (₹ 151 crore).

MINISTRY OF FINANCE

29 Department of Economic Affairs

- (a) For Contribution to Asian Development Fund XII.

- (b) For deposit of gold under Gold Monetization Scheme.

- (c) For transfer in National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) Ltd.

- (d) For 1. payment towards (i) General Capital Increase (GCI) (₹ 276.31 crore) and Selective Capital Increase (SCI) (₹ 95.84 crores) 2. Subscription to (i) Asian Infrastructure Investment Bank (₹ 301.23 crore) (ii) African Development Bank for payment of GCI-VI (₹ 0.53 crore) (iii) IMF due to Currency Valuation Adjustments (CVA) against SDR holding (₹ 9278.34 crore) (iv) European Bank for Reconstruction Development (EBRD) (₹ 29.90 crore) and (v) BRICS-NDB (₹ 120 crore) 3. SDR charges on Net Cumulative Allocation(NCA) of SDR consequent to the effectiveness of the 14th GRQ (₹ 108 crore).

31 Department of Financial Services

- (a) For compensation in compliance of the order (Court Decree) of National

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) के तहत पांच व्यक्तियों को मुआवजा के लिए।	Human Rights Commission to five persons under Debts Recovery Tribunals (DRTs).	0.10	-	0.10
(ख) (i) राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के स्टैक की अधिप्राप्ति लागत (₹1,450 करोड़) और (ii) सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूंजीकरण (₹41,000 करोड़)।	(b) For (i) acquisition cost of Reserve Bank of India's stake in National Housing Bank (₹1,450 crore) and (ii) recapitalisation of Public Sector Banks through issue of Government securities (₹41,000 crore).	-	41,000.00	41,000.00
36. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	36 Indian Audit and Accounts Department			
(क) वेतन और अन्य स्थापना संबंधी मदों के लिए।	(a) For Salaries and other establishment related items.	2.27	-	2.27
(ख) वेतन और अन्य स्थापना संबंधी मदों के लिए।	(b) For Salaries and other establishment related items.	3.35	-	3.35
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	42 Department of Health and Family Welfare			
(क) व्यय पूरा करने हेतु (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2294.45 करोड़) (ii) स्वास्थ्य पद्धति का सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (88.99 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹2294.45 crore) under various schemes and (ii) Grants for Creation of Capital Asset under the scheme Health System Strengthening (₹ 88.99 crore).	34.00	-	34.00
(ख) अन्य संविदात्मक सेवाओं के लिए अपेक्षित अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure additional Expenditure required for Other Contractual Services.	295.79	-	295.79
(ग) (i) डा. आरएमएल पीजीआईएमईआर नई दिल्ली स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य (₹40 करोड़), एम्स की तरह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थाओं के स्थापना और राज्य सरकारों के अस्पतालों का उभयन (₹625 करोड़) और सफदरजंग अस्पताल (₹65 करोड़) और (ii) सफदरजंग अस्पताल स्कीम के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर (₹35 करोड़) और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (₹3 करोड़)।	(c) For (i) Major Works under the the schemes Dr. RML PGIMER, New Delhi (₹ 40 crore), establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals (₹ 625 crore) and Safdarjung Hospital (₹ 65 crore) and (ii) Machinery and Equipment under the schemes Safdarjung Hospital (₹ 35 crore) and Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi (₹ 3 crore).	-	40.00	40.00
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44. भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry			
पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान को परिवर्तित करने के द्वारा 'राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास परियोजना (नेट्रिप)' स्कीम के तहत ₹172 करोड़ के ऋण की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	For meeting meeting the additional requirement of ₹ 172 crore of Loan under the scheme 'National Automotive Testing and Research & Development Project' by conversion of Grant for creation of Capital Assets.	-	150.88	150.88
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46. गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
(क) माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश अनुसार एनआरसी, असम से संबंधित कार्य के लिए (₹150 करोड़)।	(a) For work relating to NRC, Assam as per the direction of Hon'ble Supreme Court (₹150 crore).	24.27	-	24.27

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) कंधमाल, ओडिशा में 2007-08 में दंगा पीड़ितों को मुआवजा के भुगतान के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु।	(b) For Implementation of Hon'ble Supreme Court Order in respect of payment of compensation to the victims of riots in Kandhamal, Odisha in 2007-08.	6.33	-	6.33
48. पुलिस	48 Police			
(क) वेतन के लिए (₹707.23 करोड़), डीटीई (₹571.47 करोड़), हथियार और गोला बारूद (₹50 करोड़), व्यावसायिक सेवाएं (₹66.57 करोड़), पीओएल (₹81.02 करोड़), अनुसंधान (अन्य प्रभार) (₹139.85 करोड़), आरआरटी (₹30.47 करोड़), वस्त्र और तम्बू (सीटीएस) (₹15 करोड़), गोपनीय सचिवालय व्यय (₹1 करोड़), एफटीई (₹4 करोड़), कार्यालय व्यय (₹30 करोड़), क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेज़ (₹0.90) करोड़, अन्य सरकार/विभागों को प्रदत्त प्रभार (₹10 करोड़), लघु कार्य (₹65 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹0.03 करोड़), बीएडीपी प्रशासनिक व्यय (₹0.97 करोड़), भारतीय साइबर अपराध समन्वय प्रकोष्ठ (₹6 करोड़), अन्य प्रभार (₹40 करोड़), आईटी (ओई) (₹109.53), सीमा अवसंरचना का अनुक्षण: अन्य व्यय (ओई) (₹45 करोड़), लघु कार्य (₹10 करोड़), लंबित देयताओं का निपटान करने के लिए नक्सल प्रबंधन को सहायता (₹94 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान (₹11.95 करोड़), सीसीटीएनएस (₹1.95 करोड़), तटीय सुरक्षा के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन को अनुदान (₹10 करोड़) तथा वेतन सहायता अनुदान (₹2.90 करोड़)।	(a) For Salary (₹ 707.23 crore) DTE (₹ 571.47 crore), Arms and Ammunition (₹ 50 crore), Professional Services (₹ 66.57 crore), POL (₹ 81.02 crore), Research (Other Charges) (₹ 139.85 crore), RRT (₹ 30.47 crore), Clothing and Tentage (CTS) (₹ 15 crore), Secret Services Expenses (₹ 1 crore), FTE (₹ 4 crore), Office Expenses (₹ 30 crore), Cryptographic Documents (₹ 0.90 crore), Charges paid to Other Government/Departments (₹ 10 crore), Minor Works (₹ 65 crore), Grants-in-aid General (₹ 0.03 crore), BADP administrative expenses (₹ 0.97 crore), Indian Cybercrime Coordination cell (₹ 6 crore), Other Charges (₹ 40 crore), IT (OE) (₹ 109.53), Maintenance of Border Infrastructure: Other Expenses (₹ 45 crore), Minor Work (₹ 10 crore), Assistance to Naxal Management for clearing pending liabilities (₹ 94 crore), GIA for creation of capital Assets (₹ 11.95 crores) (CCTNS ₹ 1.95 crore, Grants to A&N Administration for coastal security ₹ 10 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 2.90 crores).	1,247.52	-	1,247.52
(ख) (i) तटीय सुरक्षा स्कीम के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति (₹30 करोड़) और (ii) निर्भया निधि में से वित्तपोषित सुरक्षित नगर परियोजनाओं का कार्यान्वयन (₹193.16 करोड़)।	(b) For (i) Reimbursements to State Governments for coastal security scheme (₹ 30 crore) and (ii) Implementation of safe city projects financed from Nirbhaya Fund (₹ 193.16 crore)	223.16	-	223.16
(ग) सुरक्षित नगर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए।	(c) For implementation of safe city projects.	64.67	-	64.67
52. दमन और दीव	52 Daman and Diu			
(क) दीव में शिक्षा केंद्र के मुख्य कार्यों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹15 करोड़)।	(a) For meeting the additional requirement under Major Works of Education Hub at Diu (₹15 crore).	-	5.00	5.00
(ख) एमडीआर और ओडीआर सड़कों को चार लेन बनाने और उसके चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए, मगवारवाड़ा, ज़री और जामपौर पुल के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹10 करोड़)।	(b) For meeting the additional requirement under Major Works for widening, strengthening and four laning of MDR & ODR roads, acquisition of land and construction of Magarwada, Zari & Jampore bridge (₹10 crore).	-	5.00	5.00
(ग) दमन फोर्ट के विकास और सौंदर्यीकरण, छपली शेरी समुद्र तट, मोती दमन किले के सामने के विकास, देवका समुद्र तट इत्यादि	(c) For meeting the additional requirement under Major Works for development and beautification of Daman fort,			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के विकास के लिए मुख्य कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹10 करोड़)।	development of Chhapli Sheri beach, Moti Daman fort front development, Devka beach etc. (₹10 crore).	-	2.00	2.00
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
56. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	56 Ministry of Housing and Urban Affairs			
(क) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के तहत लंबित विवाचन पंचाट के भुगतान के लिए।	(a) For payment of pending arbitration award under CPWD.	4.00	-	4.00
(ख) (i) ई-धरती चरण I और II प्रायोगिक परियोजना और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एलएंडडीओ द्वारा एलआईसी को भुगतान (₹1.07 करोड़) और (ii) सामान्य सहायता अनुदान के तहत राजघाट समाधि समिति (₹6.23 करोड़)।	(b) For (i) E-dharti phase I and II pilot project and payment to NIC by L&DO under Information Technology (₹ 1.07 crore) and (ii) Rajghat Samadhi Committee under Grants-in-aid General (₹ 6.23 crore)	1.07	-	1.07
(ग) (i) वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) के कुछ कर्मचारियों को वेतन बकाया का भुगतान (₹0.50 करोड़), (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के लिए स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत नवाचार, संयोजन और धारणीय (सीआईटीआईआईएस) नगर निवेश (₹4 करोड़) तथा (iii) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत स्मार्ट सिटीज मिशन (₹20 करोड़)।	(c) For (i) payment for salary arrears to some National Capital Region Planning Board (NCRPB) employees under Grants-in-aid Salaries (₹ 0.50 crore), (ii) City Investment To Innovate, Integrate and Sustain (CITIIS) under Smart Cities towards Grants for Creation of Capital Assets (₹ 4 crore) and (iii) Smart Cities Mission under Grants-in-aid General (₹ 20 crore).	0.50	-	0.50
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹1191.50 करोड़)।	For meeting additional requirement as Grants-in-aid General (₹1191.50 crore) under the scheme Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana.	13.50	-	13.50
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
61. विधि और न्याय	61 Law and Justice			
लोकसभा चुनाव, 2019 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपीएटी) की आपूर्ति के लिए भुगतान करने के लिए मशीनरी और उपस्कर हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For Machinery & Equipment to make payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails for Lok Sabha Election, 2019.	-	231.69	231.69
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय स्कीम के तहत मोटर वाहन (₹1 करोड़), मशीनरी और उपस्कर (₹1 करोड़) और मुख्य कार्य (₹6.49 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	For meeting additional requirement towards Motor Vehicle (₹1 crore), Machinery and Equipment (₹1 crore) and Major Works (₹6.49 crore) under the scheme Capital Outlay on Public Works.	-	8.49	8.49
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65. खान मंत्रालय	65 Ministry of Mines			
भारत भूगर्भीय सर्वेक्षण स्कीम के अंतर्गत (i) वेतन (₹18 करोड़), मजदूरी (₹5 करोड़), कार्यालय	For meeting additional requirement towards (i) salaries (₹18 crore), Wages (₹5 crore),			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
व्यय (₹16.30 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.10 करोड़), अन्य प्रभार (₹1 करोड़) वस्त्र और तम्बू (₹0.25 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.25 करोड़) और लघु कार्य (₹10 करोड़) तथा भारत भूगर्भीय सर्वेक्षण कार्यक्रमलाप स्कीम के अंतर्गत (ii) घरेलू यात्रा व्यय (₹10 करोड़), विदेशी यात्रा व्यय (₹0.10 करोड़), कार्यालय व्यय (₹2 करोड़), किराया, दर और कर (₹1 करोड़), मजदूरी (₹2.90 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹0.40 करोड़), अन्य प्रभार (₹27.40 करोड़) और पीओएल (₹0.30 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	Office Expenses (₹16.30 crore), Other Administrative Expenses (₹0.10 crore), Other Charges (₹1 crore), Clothing and Tentage (₹0.25 crore), Advertising and Publicity (₹0.25 crore) and Minor Works (₹10 crore) under the scheme Geological Survey of India and (ii) Domestic Travel expenses (₹10 crore), Foreign Travel expenses (₹0.10 crore), Office Expenses (₹ 2 crore), Rents, Rates and Taxes (₹1 crore), Wages (₹2.90 crore), Supply and Materials (₹0.40 crore), Other Charges (₹27.40 crore) and POL (₹0.30 crore) under the scheme Geological Survey of India Activities.	95.00	-	95.00
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
66. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	66 Ministry of Minority Affairs			
कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद हेतु मुख्य कार्यों हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Major Works for purchase of land for construction of office building.	-	8.18	8.18
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
70. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	70 Ministry of Personnel, Public Grievances And Pensions			
(क) बकाया और मजदूरी के भुगतान के लिए।	(a) For payment of arrears and wages.	0.11	-	0.11
(ख) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए व्यापक आधुनिकीकरण और भूमि की खरीद/कार्यालय/आवासीय भवन के निर्माण के लिए।	(b) For comprehensive modernization and purchase of land/construction of office residence building for CBI.	-	5.00	5.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश प्रदान करने के लिए।	For providing additional equity investment in the form of bonus shares issued by Oil India Limited (OIL).	-	250.18	250.18
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74. विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
(i) 'अरुणाचल और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत प्रणाली सुधार' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹352.05 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹512.50 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹135.45 करोड़) और (ii) 'अरुणाचल और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹450 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹50 करोड़) हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	For providing additional funds towards (i) Grants for creation of capital assets (₹ 352.05 crore), Grants in aid General (₹ 512.50 crore) and Professional Services (₹ 135.45 crore) under the scheme "Power System Improvement in North Eastern States excluding Arunachal Pradesh and Sikkim (ii) Grants for creation of capital assets (₹ 450 crore) and Professional Services (₹ 50 crore) under the scheme Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim.	135.45	-	135.45

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
76. लोकसभा स्थापना संबंधी व्यय के लिए।	76 Lok Sabha For establishment related expenditure.	0.12	-	0.12
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	81 Ministry of Road Transport and Highways			
व्यय पूरा करने हेतु 1. राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मौद्रिकरण को अन्तर लेखा अंतरण (₹4,840.75 करोड़) 2. राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मौद्रिकरण से पूरी की जाने वाली एनएचएआई में निवेश (₹4,840.75 करोड़) 3. मुख्य निर्माण कार्य (i) सीआरएफ से वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य (₹1,926.64 करोड़) (ii) वाम पंथ चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क सम्पर्कता (एनएच और राज्य सड़कें) विकास हेतु विशेष कार्यक्रम (₹40 करोड़) और (iii) देश में जनजाति जिलों में सीआरएफ से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य (टीएसपी घटक) (₹2,080 करोड़)।	For meeting expenditure towards 1. Inter Account Transfer of funds to Monetization of National Highways Fund (₹ 4,840.75 crore) 2. Investment in NHAI to be met from Monetization of National Highways Fund (₹ 4,840.75 crore) 3. Major Works under the (i) National Highways Original Works financed from CRF (₹ 1,926.64 crore) (ii) Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremists Affected Areas (₹ 40 crore) and (iii) National Highways Original Works (TSP Component) financed from CRF in Tribal Districts in the country (₹ 2,080 crore).	-	5,780.63	5,780.63
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
82. ग्रामीण विकास विभाग	82 Department of Rural Development			
(क) (i) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम को निधियों का अंतरण (₹6084.09 करोड़), (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3650.28 करोड़) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.78 करोड़)।	(a) For (i) transfer of funds to National Employment Guarantee Scheme (₹ 6084.09 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 3650.28 crore) and Grants for creation of Capital Assets for Union Territory without legislature (₹ 2.78 crore) under National Rural Employment Guarantee Scheme.	3,653.06	-	3,653.06
(ख) 1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2430.10 करोड़) और 2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका में सामान्य सहायता अनुदान (i) केंद्रीय सहायता (₹100.00 करोड़), (ii) अनुसूचित जाति घटक (₹58.00 करोड़) और (iii) अनुसूचित जनजाति घटक (₹42.00 करोड़)।	(b) For 1. Grants for creation of Capital Assets under National Rural Employment Guarantee Scheme (₹ 2430.10 crore) and 2.Grants-in-aid General in Aajeevika under National Rural Livelihood Mission (i) Central Assistance (₹ 100 crore), (ii) Scheduled Castes component (₹ 58 crore) and (iii) Scheduled Tribe component (₹ 42 crore) .	2,430.10	-	2,430.10
(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	(c) For Grants for creation of Capital Assets under National Rural Employment Guarantee Scheme	0.93	-	0.93
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
87. पोत परिवहन मंत्रालय	87 Ministry of Shipping			
ईएपी घटक के अंतर्गत चार उप परियोजनाओं के कार्यान्वयन और कमीशनिंग के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹125 करोड़) ईएपी घटक के अंतर्गत जल मार्ग विकास परियोजना	For providing Grants for creation of Capital Assets(₹125 crore) for implementation and commissioning of four sub-projects under EAP component			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(जेएमवीपी) के तहत चार उप-परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी कमिशनिंग के रूप में (₹218.59 करोड़)।	and implementation and commissioning of the four sub-projects under Jal Marg Vikas Project (JMVP) (₹ 218.59 crore) under EAP component.	125.00	-	125.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	89 Department of Social Justice and Empowerment			
विभिन्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹3,210 करोड़)।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹3,210 crore) under various schemes.	50.00	-	50.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	96 Ministry of Tribal Affairs			
(i) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) (₹0.01 करोड़) और जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता (₹38.60 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) ईएमआरएस स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.01 करोड़) (iii) जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹11.40 करोड़) तथा (iv) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यय (₹1.68 करोड़)।	For (i) Grants-in-aid General under the schemes Eklavya Model Residential School (EMRS) (₹ 0.01 crore) and Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 38.60 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme EMRS (₹ 0.01 crore) (iii) Grants-in-aid Salary under the scheme Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 11.40 crore) (iv) Additional Expenditure required for National Commission for Scheduled Tribes (₹ 1.68 crore).	1.68	-	1.68
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
98. महिला और बाल विकास मंत्रालय	98 Ministry of Women and Child Development			
राष्ट्रीय पोषाहार मिशन स्कीम के तहत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए।	For Major Works under the scheme National Nutrition Mission.	-	18.12	18.12
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
99. युवा मामले और खेल मंत्रालय	99 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) (i) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹21.74 करोड़) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹2.11 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹35.97 करोड़) और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹40.45 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (iii) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹3.45 करोड़) (iv) राष्ट्रीय खेल विकास कोष के तहत अंशदान (₹71 करोड़) और (v) युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत लघु कार्य (₹0.20 करोड़)।	(a) For (i) Grants-in-aid General under the schemes Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 21.74 crore) and National Dope Test Laboratory (₹ 2.11 crore) (ii) Grants-in-aid Salary under the schemes Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 35.97 crore) and Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 40.45 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Dope Test Laboratory (₹ 3.45 crore) (iv) Contribution under National Sports Development Fund (₹ 71 crore) and (v) Minor Works under the scheme Youth Hostel (₹ 0.20 crore).	0.20	-	0.20

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य।	(b) For Minor Works under scheme Youth Hostel.	0.01	-	0.01
कुल तकनीकी	Total Technical	9,067.65	61,814.56	70,882.21

4. नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में, ₹1 लाख की पूरक अनुदान भी लिए जाने का प्रस्ताव है, जिसके सामने दर्शाए गए व्यय को संबंधित अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी खंड में बचत के पुनर्विनियोजन, जैसा भी मामला हो, से पूरा किया जाएगा।

4. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1. कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
(क) कल्याण हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों का वितरण स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक (₹370.32 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹82.18 करोड़) और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उप-योजना (₹42.57 करोड़)।	(a) For providing Subsidies for General Component (₹ 370.32 crore), for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 82.18 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹ 42.57 crore) under the scheme of "Distribution of Pulses to States/UTs for Welfare Schemes" .	495.07	-	495.07
(ख) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के अंतर्गत सामान्य घटक (₹20 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना घटक (₹12 करोड़) (ii) कृषि विस्तार पर उप-मिशन के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹20 करोड़) (iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सामान्य घटक (₹5 करोड़) 2. मूल्य कमी का भुगतान स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक के लिए सब्सिडियां (₹104.64 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹23.34 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए (₹12.03 करोड़)।	(b) For providing 1. Grants-in-aid General for (i) General Component (₹20 crore) and for Tribal Area Sub-Plan Component (₹ 12 crore) under Organic Value Chain Development for NE Region (ii) Tribal Area Sub-Plan under Sub-Mission on Agricultural Extension (₹20 crore) (iii) General Component under National Food Security Mission (₹5 crore) 2. Subsidies for General Component (₹104.64 crore), Special Component Plan for Scheduled Castes (₹23.34 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹12.03 crore) under the scheme Price Deficiency Payment.	197.01	-	197.01
(ग) सब्सिडी हेतु सामान्य घटक के लिए (₹941.80 करोड़), अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (₹209.01 करोड़) और 'मूल्य कमी भुगतान स्कीम' के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र उप-योजना हेतु (₹108.28 करोड़)	(c) For providing Subsidies for General Component (₹ 941.80 crore), for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 209.01 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹ 108.28 crore) under the scheme of "Price Deficiency Payment Scheme".	1,259.09	-	1,259.09
(घ) राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के तहत मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	(d) For providing additional funds for Major Works under National Seeds Research and Training Centre.	-	1.09	1.09
3. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी विभाग,	3 Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries			
लघु पशुधन संस्थानों के लिए मशीनरी और उपस्कर के लिए।	For Machinery and Equipment for Small Livestock Institutes.	-	0.90	0.90

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) नाभिकीय ईंधन निगम (एनएफसी) के यूरेनियम सांद्रन के लिए मुआवजे की दर के संशोधन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Revision of rate of compensation for Uranium Concentrate of Nuclear Fuel Corporation (NFC).	500.00	-	500.00
(ख) अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) सहायता प्राप्त संस्थाओं को सहायता अनुदान वेतन (₹71.42 करोड़) और आण्विक ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी (आईईएस) (₹9 करोड़) को वेतन सहायता अनुदान और (ii) अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (आईटीईआर) और टाटा मेमोरियल केंद्र (टीएनसी) के कैंसर अस्पतालों के व्यय को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1078.28 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Grant in aid salaries to Aided Institutions (₹ 71.42 crore), and to Atomic Energy Education Society (₹ 9 crore) and (ii) Grants for Creation of Asset (₹ 1078.28 crore) to meet International Thermonuclear Experimental Reactor and upcoming Cancer hospitals of Tata Memorial Centre.	1,158.70	-	1,158.70
(ग) (i) ड्रिलिंग प्रचालनों पर व्यय को पूरा करने के लिए खोज एवं अनुसंधान हेतु आण्विक खनिज निदेशालय (एएमडीईआर) (₹47 करोड़) के लिए विभिन्न स्कीमों और व्यवसायिक सेवाओं के अंतर्गत मुख्य कार्य (₹232 करोड़) तथा मशीनरी और उपस्कर (₹40 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) Major works (₹232 crore) and Machinery and Equipment (₹40 crore) under various schemes and Professional Services for Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (₹ 47 crore) to meet expenditure on drilling operation.	-	319.00	319.00
(घ) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मुख्य कार्य (₹265 करोड़) तथा मशीनरी और उपस्कर (₹144 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards Major Works (₹265 crore) and Machinery and Equipment (₹144 crore) under various schemes.	-	409.00	409.00
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
5. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	5 Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
(क) (i) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹3 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) (ii) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹3.50 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.90 करोड़) (iii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पूणे (₹1.50 करोड़) और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान (₹0.86 करोड़) और होम्योपैथी (₹0.50 करोड़) अनुसंधान परिषद स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (iv) होम्योपैथी औषध कोश प्रयोगशाला होम्योपैथी (₹0.01 करोड़) स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय प्रदान करने के लिए।	(a) For providing (i) Grants-in-aid Salary (₹3 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹10 crore) under the scheme All India Institute of Ayurveda (ii) Grants-in-aid Salary (₹3.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹2.90 crore) under the scheme National Institute of Homoeopathy, Kolkatta (iii) Grants-in-aid Salary under the schemes National Institute of Naturopathy, Pune (₹1.50 crore) and Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹0.86 crore) and in Homoeopathy (₹0.50 crore) (iv) Office Expenses under the scheme Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory Homoeopathy (₹0.01 crore).	22.27	-	22.27
(ख) केंद्रीय यूनानी औषधी अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General under the scheme Central Council for Research in Unani Medicine.	1.50	-	1.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15. उपभोक्ता मामले विभाग	15 Department of Consumer Affairs			
सीओएनएफओएनईटी स्कीम के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (ओई) के तहत आवश्यकता पूरी करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक को अतिरिक्त निधियां जारी करने के लिए।	For releasing additional funds to National Informatics Centre Services Inc. for meeting requirement under Information Technology (OE) under the scheme CONFONET.	20.00	-	20.00
16. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	16 Department of Food and Public Distribution			
(क) राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर के 'मुख्य कार्य' के अंतर्गत अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional fund under 'Major Works' of National Sugar Institute, Kanpur.	-	1.90	1.90
(ख) खाद्य भण्डारण गोदामों के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम में निवेश के लिए।	(b) For investment in Food Corporation of India for construction of food storage godowns.	-	28.00	28.00
(ग) एल्कोहल से एनहाइड्रस एल्कोहल अथवा एथनॉल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियों को ऋण जारी करने के लिए।	(c) For releasing loans to sugar factories for production of Anhydrous Alcohol or Ethanol from Alcohol	-	55.00	55.00
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
17. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	17 Ministry of Corporate Affairs			
भारतीय शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) हेतु सामान्य सहायता अनुदान।	For Grants-in-aid General for Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).	4.00	-	4.00
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18. संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
(क) (i) पुस्तकालयों (₹8.09 करोड़) और संग्रहालय (₹26.47 करोड़) को सहायता, बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (₹1 करोड़), अनुदानग्राही निकाय - बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (₹8.70 करोड़) तथा कला संस्कृति विकास योजना (₹10.50 करोड़) को सहायता स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) अकादमियों (₹6.45 करोड़), पुस्तकालय (₹2 करोड़) और संग्रहालय (₹18.97 करोड़) को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For (i) Grant-in-aid General under the schemes Support to Libraries (₹8.09 crore) and to Museums (₹26.47 crore), Buddhist Tibetan Institution and Memorials (₹1 crore), Grantee Bodies- Buddhist Tibetan Institution and Memorials (₹8.70 crore) and Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹10.50 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Support to Akademies (₹6.45 crore), to Libraries (₹2 crore) and to Museums (₹18.97 crore).	82.18	-	82.18
(ख) संग्रहालयों को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Support to Museums	1.05	-	1.05
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
24. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	24 Ministry of Drinking Water and Sanitation			
(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) स्कीम के अंतर्गत नाबार्ड के ऋण की ब्याज अदायगी का भुगतान करने के लिए।	(a) For payment to Interest repayment of NABARD loan under the scheme Swachh Bharat Mission (Gramin).	8.00	-	8.00
(ख) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) घटक के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional funds under Externally Aided Project (EAP) component of Swachh Bharat Mission (Gramin).	973.19	-	973.19

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
25 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	25 Ministry of Earth Sciences			
(क) 1. (i) 'महासागर सेवा प्रौद्योगिकी प्रेषण संसाधन निरूपण एवं विज्ञान (ओ - स्टॉर्म्स) (₹27.50 करोड़)' (ii) राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान, गोवा, एनएसीओआर (₹2 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान 2. राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान, गोवा, एनएसीओआर (₹2 करोड़) के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान 3. (i) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई (₹12.68 करोड़) (ii) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद (₹5 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान, गोवा, एनएसीओआर (₹1 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने लिए।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants in Aid General for (i) 'Ocean Services Technology Observations Resources Modelling and Sciences (O-STORMS)' (₹ 27.50) (ii) National Centre for Antarctic and Ocean Research, Goa, NACOR (₹ 2 crore) 2. Grants for creation of capital assets for National Centre for Antarctic and Ocean Research, Goa, NACOR (₹ 2 crore) 3. Grants in aid Salaries for (i) National Institute of Ocean Technology, Chennai (₹ 12.68 crore) (ii) Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad (₹ 5 crore) (iii) National Centre for Antarctic and Ocean Research, Goa, NACOR (₹ 1 crore).	50.18	-	50.18
(ख) 'अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण पहुँच (रीचआउट)' के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1.47 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 10 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 1.47 crore) for 'Research Education and Training Outreach (REACHOUT).	11.47	-	11.47
(ग) (i) भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे (आईआईटीएम) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹30.52 करोड़) और (ii) 'भूकंप विज्ञान एवं भू-विज्ञान (एसएजीई)' के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹8 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants in Aid General for Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune (₹ 30.52 crore) and (ii) Grant for creation of capital assets for 'Seismological & Geosciences' (₹ 8 crore).	38.52	-	38.52
(घ) कराड (महाराष्ट्र) में बोरहोल भू-भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (बीजीआरएल) परिसर के लिए मुख्य कार्य हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards 'Major Works' for Borehole Geophysics Research Laboratory complex at Karad (Maharashtra).	-	3.50	3.50
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
(क) विभिन्न स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹110.13 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹6.60 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹110.13 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹6.60 crore) under the various schemes.	116.73	-	116.73
(ख) (i) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (₹1.51 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (₹6.71 करोड़) के लिए मुख्य कार्य हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Major Works for (i) Botanical Survey of India (₹1.51 crore) and (ii) National Museum of Natural History (₹6.71 crore).	-	8.22	8.22
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29. आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
(क) (i) अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान के लिए (₹14.56	(a) For (i) Contribution to International Fund for Agricultural Development			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़) (ii) आईएफएडी को रियायती भागीदार ऋण की पहली किस्त (₹52.03 करोड़)।	(₹ 14.56 crore) and (ii) 1st instalment of Concessional Partner Loan to IFAD (₹ 52.03 crore).	66.59	-	66.59
(ख) (i) सोना की ई-नीलामी के लिए बैंकों और एमएमटीसी को हैंडलिंग प्रभारों सहित कमीशन का भुगतान (₹39.50 करोड़) और सोना आरक्षित निधि (₹290 करोड़) स्वर्ण मौद्रिकरण स्कीम 2015 के लिए (ii) सॉवरन स्वर्ण बांड स्कीम 2015 हेतु भुगतान (₹275 करोड़) (iii) एड्स टीबी और मलेरिया वैश्विक निधि (जीएफएटीएम) को अंशदान (₹2.23 करोड़) (iv) टीका और प्रतिरक्षण हेतु वैश्विक एलाएंस के लिए अंशदान (₹1.25 करोड़) और (v) भारत का दूतावास वाशिंगटन का आर्थिक स्कंध (₹0.58 करोड़)।	(b) For (i) commission payment including handling charges to Banks and MMTC for e-auction of Gold (₹ 39.50 crores) and Gold Reserve Fund (₹290 crore) for Gold Monetization Scheme 2015 (ii) payment towards Sovereign Gold Bond Scheme 2015 (₹ 275 crore), (iii) contribution to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (GFATM) (₹ 2.23 crore) (iv) Contribution towards Global Alliance for Vaccination and Immunization (₹ 1.25 crore) and (vi) Economic Wing of Embassy of India, Washington (₹ 0.58 crore).	608.56	-	608.56
(ग) भारत की आकस्मिकता निधि से अवसंरचना लीजिंग और वित्तीय सेवा लि. द्वारा एडीबी और केएफडब्ल्यू को ऋण की अदायगी हेतु स्वीकृत अग्रिम की प्रतिभूति।	(c) For recoupment of an advance sanctioned from Contingency Fund of India for repayment of loan by Infrastructure Leasing & Financial Services Limited to ADB & KfW.	-	20.76	20.76
(घ) अफ्रीकी विकास बैंक (एडीबी) को ब्रिज ऋण हेतु।	(d) For Bridge Loans to African Development Bank.	-	3.00	3.00
(ङ) सरकारी कर्मचारियों को मकान निर्माण अग्रिम हेतु।	(e) For House Building Advance to Government servants.	-	50.00	50.00
30. व्यय विभाग	30 Department of Expenditure			
पीएफएमएस की राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए कार्यालय की जगह के नवीकरण/मरम्मत के लिए।	For renovation/repair of office space for the State Project Management Units of Public Financial Management System.	5.00	-	5.00
31. वित्तीय सेवाएं विभाग	31 Department of Financial Services			
(क) पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण को वेतन सहायता अनुदान के लिए।	(a) For Grants-in-aid Salary to Pension Fund Regulatory Development Authority.	2.50	-	2.50
(ख) 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों को सब्सिडी के लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई) के लिए।	(b) For Pradhan Mantri Vaya Vandan Yojana for subsidy to elderly persons aged 60 and above.	80.17	-	80.17
(ग) भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों के मोचन के लिए।	(c) For redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund.	225.00	-	225.00
(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूजीकरण के लिए।	(d) For re-capitalisation of Regional Rural Banks.	-	245.00	245.00
(ङ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता के लिए।	(e) For equity support to Industrial Finance Corporation of India.	-	199.99	199.99
33. राजस्व विभाग	33 Department of Revenue			
(क) वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) (₹0.65 करोड़) तथा धन रोधी यूरेशिया समूह (ईएजी) (₹0.52 करोड़) के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु प्रतिबद्ध व्यय के लिए।	(a) For committed expenditure towards international cooperation on account of Financial Action Task Force (₹0.65 crore) and Eurasian Group on Combating Money (EAG) (₹0.52 crore).	1.17	-	1.17
(ख) वस्तु एवं सेवा कर तंत्र - विशेष प्रयोजन व्यवस्था (जीएसटीएन - एसपीवी) में 25.5 प्रतिशत शेयरों के अधिग्रहण के लिए।	(b) For acquisition of 25.5% shares in Goods and Service Tax Network - Special Purpose Vehicle.	-	2.55	2.55

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
34. प्रत्यक्ष कर (क) (i) लखनऊ में कार्यालय भवन का निर्माण (₹12 करोड़) और इरोड, तमिलनाडु (₹2 करोड़) में निर्माण तथा (ii) गुरुग्राम स्थित भूमि की खरीद और निर्माण (₹22 करोड़) के लिए। (ख) अन्ना नगर, चेन्नई में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए।	34 Direct Taxes (a) For (i) construction of office building at Lucknow (₹12 crore) and at Erode, Tamil Nadu (₹2 crore) and (ii) construction and purchase of land at Gurgaon (₹22 crore). (b) For construction of residential quarters at Anna Nagar, Chennai.	-	36.00	36.00
35. अप्रत्यक्ष कर (क) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर (आईजीएसटी) के अंतर्गत संग्रहण प्रभागों के लिए। (ख) (i) जामनगर क्षेत्रीय इकाई (₹12.87 करोड़) (ii) चेन्नई (₹21.78 करोड़) (iii) दिल्ली (₹9.01 करोड़) और (iv) अहमदाबाद (₹27.69 करोड़) में राजस्व आसूचना इकाइयों के लिए कार्यालय परिसर हेतु भूमि के अधिग्रहण/खरीद/निर्माण के लिए।	35 Indirect Taxes (a) Towards collection charges for Central Goods and Services Tax (CGST) and Integrated Goods and Services Tax (IGST). (b) For acquisition/purchase/construction of land for office premises for Revenue Intelligence Unit at (i) Jamnagar Regional Unit (₹12.87 crore) (ii) Chennai (₹21.78 crore) (iii) Delhi (₹9.01 crore) and (iv) Ahmedabad (₹27.69 crore).	1,858.00	-	1,858.00
		-	71.35	71.35
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
41. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (i) कृषि - प्रसंस्करण कलस्टर्स के लिए अवसंरचना स्कीम (₹10 करोड़) और (ii) मंत्रालय के विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वच्छता कार्यवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां (₹0.06 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	41 Ministry of Food Processing Industries For providing (i) Grants-in-aid General under the scheme of Infrastructure for Agro-processing Clusters (₹10 crore) and (ii) funds for implementation of Swachhta Action Plan under various scheme of the Ministry (₹0.06 crore).	10.06	-	10.06
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (क) जनसंख्या स्थिरता कोष के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹7 करोड़) (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण नई दिल्ली स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹1.45 करोड़) और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (₹0.93 करोड़) और (iii) स्थापना संबंधी और अन्य प्रभार 2. आशा लाभ पैकेज (₹1.51 करोड़) और आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल-रोटा वाइरस (₹36.42 करोड़) 3. जनसंख्या स्थिरता कोष (₹1.50 करोड़) और 4. परिवार कल्याण कार्यक्रम बंध्यकरण एवं आईयूडी लगाना (₹0.12 करोड़)। (ख) आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल (ईएसी ₹4.48 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, आशा लाभ पैकेज (₹2.46 करोड़) और अन्य स्वास्थ्य स्कीम (प्रायोगिक) मानव रेबीज	42 Department of Health and Family Welfare (a) 1. For (i) Grant in Aid General under the scheme Jansankhya Sthirta Kosh (₹ 7 crore) (ii) Grant in Aid Salaries under the schemes National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 1.45 crore) and International Institute of Population Sciences Mumbai (₹ 0.93 crore) (iii) Establishment related Expenditure & Other Charges 2. Asha Benefit Package (₹ 1.51 crore) and RCH Flexible Pool-Rota Virus (₹ 36.42 crore) 3. Jansankhya Sthirta Kosh (₹ 1.50 crore) and 4. Family Welfare Programme-Sterilisation and IUD Insertion (₹ 0.12 crore). (b) For Grant in Aid General under the schemes RCH Flexible Pool (EAC ₹4.48 crore), Asha Benefit Package (₹ 2.46 crore) and Other Health	48.93	-	48.93

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नियंत्रण (₹6.50 करोड़)।	Scheme (Pilot) - Control of Human Rabies (₹ 6.50 crore).	13.44	-	13.44
(ग) एम्स की तरह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य हेतु।	(c) For Major Works under the Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals.	-	10.00	10.00
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44. भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry			
(क) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजना (₹70 करोड़) (ii) 'केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई)' स्कीम के अंतर्गत वेतन एवं भत्ते (₹5 करोड़) (iii) 'ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग विकास परिषद' स्कीम के अंतर्गत भारत में ऑटोमोटिव कलपुर्जा उद्योग में लघु और मध्यम विनिर्माताओं को सहायता (₹2.50 करोड़) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।	(a) For meeting additional requirement for (i) R & D project for Development of Advanced Ultra Super Critical Technology for Thermal Power Plants (₹ 70 crore) (ii) salary and allowances under the scheme 'Central Manufacturing Technology Institute (₹5 crore) (iii) supporting small and medium sized manufacturers in the automotive component industry in India, under the scheme 'Development Council for Automobile and Allied Industries' (₹ 2.50 crore).	77.50	-	77.50
(ख) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के दिनांक 23.5.2018 के निर्णय के अनुसार वेतन/मजदूरी/सांविधिक देयताओं के लिए स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को जारी भारत सरकार के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के लिए।	(b) For Conversion of GoI loan released to Scooter India Ltd. for Salary/ Wages/ Statuary into equity as per CCEA decision dated 23.05.2018.	-	1.98	1.98
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46. गृह मंत्रालय	46 Ministry of Home Affairs			
(क) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत परामर्शकों/पेशेवरों को परिलब्धि के भुगतान हेतु।	(a) For payment of remuneration to consultants/professionals under Professional Services	4.00	-	4.00
(ख) अन्य प्रभारों के तहत जीवन रक्षा पदक और पुलिस मेडल हेतु।	(b) For Jeevan Raksha Padak and Police Medal under Other Charges.	1.25	-	1.25
(ग) पीओके और छाम्ब से विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting expenditure under the Scheme of financial assistance to Displaced families from PoK and Chhamb.	300.00	-	300.00
(घ) मुख्य निर्माण कार्य के तहत राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज के उन्नयन हेतु।	(d) For up- gradation of National Fire Service College under Major Works .	-	15.57	15.57
47. मंत्रिमंडल	47 Cabinet			
व्यय पूरा करने हेतु (i) वायुयान रख-रखाव, चार्टर्ड उड़ान बिल और होटलाइन बिल (₹150 करोड़) (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹33.57 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10.76 करोड़) सिनर्जी, परियोजना के तहत (iii) प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय हेतु लघु निर्माण कार्य (₹2.20 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹1.85 करोड़)।	For meeting expenditure for (i) Aircraft Maintenance, chartered flight bills and hotline bills (₹ 150 crore) (ii) Grant-In-Aid-General (₹ 33.57 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 10.76 crore) under Synergy projects (iii) 'Minor Work' for office of Pr. Scientific Adviser (₹ 2.20 crore) and Grants-in-General (₹ 1.85 crore).	198.38	-	198.38
48. पुलिस	48 Police			
(क) (i) कार्यालय भवन (₹429.45 करोड़) और आवासीय भवन (₹309.67 करोड़) के लिए	(a) For meeting expenditure for (i) Police Infrastructure for Office Building			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पुलिस अवसंरचना (ii) दिल्ली पुलिस के लिए आवासीय भवनों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं (₹11 करोड़) (iii) सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (₹444 करोड़) (iv) मोटर वाहन (₹120 करोड़) (v) मशीनरी और उपस्कर (₹212 करोड़), एयरविंग - मुख्य कार्य (₹0.18 करोड़), स्वच्छता कार्यवाई योजना (एसएपी), मुख्य कार्य (₹10 करोड़), वायुयान/रिवरबोट (₹25 करोड़), सीमा चौकियां [असम रायफल्स (₹5 करोड़), आईटीबीपी (₹7 करोड़), एसएसबी (₹20 करोड़)] हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(₹ 429.45 crore) and Residential Building (₹ 309.67 crore) (ii) PPP projects for Residential Buildings for Delhi Police (₹ 11 crore) (iii) Border Infrastructure and Management (₹ 444 crore) (iv) Motor Vehicles (₹ 120 crore) (v) Machinery and Equipment (₹ 212 crore), Air Wing-Major Work (₹ 0.18 crore), Swachchhta Action Plan (SAP), Major Work (₹ 10 crore), Aircraft/ Riverboat (₹ 25 crore), Border Out Posts [Assam Rifles (₹ 5 crore), ITBP (₹ 7 crore), SSB (₹ 20 crore)].	-	1,593.30	1,593.30
52. दमन और दीव	52 Daman and Diu			
(क) दीव में सर्किट हाउस के निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।	(a) For meeting the additional requirement under Major Works for construction of Circuit Houses at Diu.	-	10.00	10.00
(ख) भमती, मोती दमन और डाभेल नानी दमन में जलापूर्ति स्कीम के संवर्धन और दमन क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर डीएल के-7 पाइपलाइन बिछाना।	(b) For augmentation of water supply scheme at Bhamti, Moti Daman and Debhel Nani Daman also for laying of DL K-7 pipeline at different places in Daman area.	-	5.00	5.00
(ग) दमन में वाणिज्यिक विमानपत्तन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए मुख्य कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।	(c) For meeting the additional requirement under Major Works for payment of land acquisition compensation for commercial airport at Daman.	-	3.72	3.72
53. लक्षद्वीप	53 Lakshadweep			
(क) मजदूरी, बच्चों के पार्क का अनुसूक्षण/खेल-कूद की सामग्री की खरीद तथा आंगनवाड़ी कामगारों व आंगनवाड़ी नौकरों को मानदेय हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Grants-in-aid General towards wages, maintenance of Children's Park/ purchase of playing material and honorarium to Anganwadi workers and Anganwadi helpers.	0.56	-	0.56
(ख) अमीनी द्वीप में स्टेडियम के निर्माण कार्य हेतु मुख्य कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under Major Works towards the construction work of Stadium at Amini Island.	-	2.00	2.00
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
56. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	56 Ministry of Housing and Urban Affairs			
(क) अधिवक्ता शुल्क की अदायगी के लिए।	(a) For payment of advocate fees.	0.01	-	0.01
(ख) स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत नवाचार, एकीकरण और वहनीय (सीआईटीआईआईएस) नगर निवेश कार्यक्रम के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General to Innovate, Integrate and Sustain (CITIIS) programme under Smart Cities.	0.01	-	0.01
(ग) स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.01 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹4 करोड़) प्रदान करने के लिए।	(c) For providing Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 4 crore) for CITIIS programme under Smart Cities.	4.01	-	4.01
(घ) मुख्य कार्य के अंतर्गत श्रम मंत्रालय से संबंधित कार्य के लिए।	(d) For Major Works related to Ministry of Labour.	-	5.00	5.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
(क) (i) एसएसए (₹263.95 करोड़), केवीएस (₹41 करोड़), एनवीएस (₹5.40 करोड़), आरएमएसए (₹48.69 करोड़) और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (₹41.27 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य अनुदान (ii) केवीएस (₹7 करोड़), एनवीएस (₹11.50 करोड़), एसएसए (₹138.58 करोड़), आरएमएसए (₹75.04 करोड़) और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (₹23.09 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (iii) केवीएस (₹17 करोड़), एनवीएस (₹30 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान तथा (iv) राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹18 करोड़) के लिए।	(a) For (i) Grants-in-Aid General under the Scheme SSA (₹ 263.95 crore), KVS (₹ 41 crore), NVS (₹5.40 crore), RMSA (₹ 48.69 crore), and Strengthening of Teacher Training Institutions (₹ 41.27 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme KVS (₹ 7 crore), NVS (₹11.50 crore), SSA (₹ 138.58 crore), RMSA (₹ 75.04 crore), and strengthening of Teacher Training Institutions (₹ 23.09 crore) (iii) Grants-in-Aid Salaries under the Scheme KVS (₹ 17 crore), NVS (₹ 30 crore) and (iv) Scholarship/ Stipend under the Scheme National Means Cum Merit Scholarship Scheme (₹ 18 crore).	720.52	-	720.52
(ख) एसएसए (₹2365 करोड़) और आरएमएसए (₹29.02 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-Aid General under the Scheme SSA (₹ 2365 crore) and RMSA (₹ 29.02 crore)	2,394.02	-	2,394.02
(ग) आरएमएसए स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(c) For Grants-in-Aid General under the scheme RMSA.	0.61	-	0.61
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(क) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹315.63 करोड़) (ii) चिकित्सा विज्ञान संस्थान - बीएचयू स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹80 करोड़) (iii) चिकित्सा विज्ञान संस्थान - बीएचयू स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹48.32 करोड़) (iv) आभासी कक्षा और व्यापक खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) की स्थापना स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹3 करोड़) तथा (v) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹2 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹315.63 crore) under various schemes (ii) Grants for creation of capital assets under the schemes Institute of Medical Sciences-BHU (₹ 80 crore) (iii) Grants-in-aid Salaries under the schemes Institute of Medical Sciences-BHU (₹ 48.32 crore) (iv) 'Advertising and Publicity' under the scheme Setting up virtual classroom and massive open online courses (₹ 3 crore) (v) Other Charges under the scheme Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (₹ 2 crore).	448.95	-	448.95
(ख) (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹276.78 करोड़) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹398.63 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹221.86 करोड़) तथा (ii) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार स्कीम (ईएपी) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹4 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 276.78 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 398.63 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹ 221.86 crore) under various schemes and (ii) 'Professional Services' under the scheme Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) (₹ 4 Crore).	901.27	-	901.27
(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(c) For Grants-in-aid General under the scheme Support to University Grants Commission.	15.00	-	15.00
(घ) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(d) For Grants-in-aid General under the following scheme Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan.	248.00	-	248.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	59 Ministry of Information and Broadcasting			
किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता अनुदान स्कीम के अंतर्गत प्रसार भारती के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets for Prasar Bharati for Kisan Channel.	7.84	-	7.84
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
61. विधि और न्याय	61 Law and Justice			
(क) भारतीय विधिक सेवा के लिए 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कार्यान्वित करने के लिए वेतन सहायता अनुदान के लिए।	(a) For Grants-in-aid Salary for implementing 7th Pay Commission Report for Indian Legal Service.	1.00	-	1.00
(ख) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के लिए विस्तृत कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-Aid General for implementing expanded activities for National Legal Service Authority.	70.00	-	70.00
(ग) आयकर अपील अथिकरण के संबंध में वेतन (₹17 करोड़) और किराया, दर व कर (₹6 करोड़) के लिए।	(c) For Salaries (₹17 crore) and Rent, Rates and Taxes (₹6 crore) in respect of Income Tax Appellate Tribunal.	23.00	-	23.00
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) (i) खादी सुधार विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹4.60 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और क्रेडिट सहायता कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी रुपए (₹62 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹1 करोड़) और अंशदान (₹100.83 करोड़) तथा (iii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वृद्धिशील क्रेडिट के लिए ब्याज आर्थिक सहायता (₹27.50 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a) For meeting additional requirement towards (i) Grants-in-aid General (₹4.60 crore) under the scheme Khadi Reform Development Programme (ii) Subsidies (₹62 crore), Grants-in-aid General (₹1 crore) and Contribution (₹100.83 crore) under the scheme Pradhan Mantri Employment Generation Programme and Credit Support Programme and (iii) Interest Subvention for Incremental Credit to MSMEs (₹27.50 crore).	195.93	-	195.93
(ख) (i) 'निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹3.25 करोड़ और सहायता अनुदान - अनुसूचित जाति घटक के लिए ₹0.40 करोड़ (ii) सामान्य सहायता अनुदान - अनुसूचित जाति घटक के लिए ₹10.00 करोड़ और 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार के लिए ₹4.54 करोड़ (iii) 'अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन स्कीम' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹0.50 करोड़ (iv) 'खादी अनुदान स्कीम' के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के लिए ₹19.62 करोड़ (v) 'ग्रामोद्योग अनुदान' स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए ₹5.00 करोड़ (vi) 'खादी सुधार विकास पैकेज' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹50.80 करोड़, सामान्य सहायता	(b) For meeting additional requirement of (i) ₹3.25 crore for Grants in aid General and ₹0.40 crore for Grants in aid-SC component under 'Performance and Credit Rating Scheme' (ii) ₹10 crore for Grants in Aid General- SC component and ₹4.54 crore for Advertising & Publicity under the scheme 'National Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Hub Center' (iii) ₹0.50 crore for Grants in Aid General under the scheme 'International Corporation Scheme' (iv) ₹19.62 crore for Grants in Aid salaries under the scheme 'Khadi Grant' (v) ₹5 crore for Creation of Capital Assets under the scheme 'Village Industries Grant' (vi) ₹50.80 crore for Grants in Aid General, ₹7			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अनुदान - अनुसूचित जाति घटक के लिए ₹7.00 करोड़ और सामान्य सहायता अनुदान - अनुसूचित जनजाति घटक के लिए ₹3.60 करोड़ (vii) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी के लिए ₹113.76 करोड़, सब्सिडी - अनुसूचित जाति घटक के लिए ₹109.08 करोड़ और सब्सिडी - अनुसूचित जनजाति घटक के लिए ₹23.32 करोड़ (viii) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' और 'क्रेडिट सहायता कार्यक्रम' स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹9.00 करोड़ (ix) 'महात्मा गांधीग्राम औद्योगिकीकरण संस्थान' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के लिए ₹0.50 करोड़ (x) 'क्वायर विकास योजना' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹3.15 करोड़ (xi) 'पारंपरिक उद्योगों का पुनरुत्थान' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹8.00 करोड़ (xii) 'राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए ₹0.80 करोड़, विज्ञापन और प्रचार के लिए ₹0.01 करोड़ और सब्सिडी के लिए ₹24.49 करोड़ (xiii) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' और 'क्रेडिट सहायता कार्यक्रम' स्कीमों के अंतर्गत अंशदान - अनुसूचित जाति घटक के लिए ₹107.50 करोड़ और अंशदान - अनुसूचित जनजाति घटक के लिए ₹82 करोड़ (xiv) 'अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण' स्कीम के अंतर्गत लघु कार्यों के लिए ₹4.50 करोड़ और सामान्य सहायता अनुदान - अनुसूचित जनजाति घटक के लिए ₹13 करोड़ (xv) 'आंकड़ा आधार का स्तरोन्नयन' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय - अनुसूचित जनजाति घटक के लिए ₹0.01 करोड़ (xvi) 'विकास आयुक्त (एमएसएमई)' स्कीम के अंतर्गत लघु कार्यों के लिए ₹0.75 करोड़ तथा (xvii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वृद्धिशील क्रेडिट के लिए ब्याज आर्थिक सहायता (₹247.50 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	crore for Grants in Aid General - SC component and ₹ 3.60 crore for Grants in Aid General - ST component under the scheme 'Khadi Reform Development Package' (vii) ₹ 113.76 crore for Subsidies, ₹ 109.08 crore for Subsidies-SC component and ₹ 23.32 crore for Subsidies-ST component under the scheme 'Pradhan Mantri Employment Generation Programme' (viii) ₹ 9 crore for Grants in aid General under the scheme 'Pradhan Mantri Employment Generation Programme' and 'Credit Support Programme' (ix) of ₹ 0.50 crore for Grants in aid salaries under the scheme 'Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrilization' (x) ₹ 3.15 crore for Grants in aid General under the scheme 'Coir Vikas Yojna' (xi) ₹ 8 crore for Grants in aid General under the scheme 'Regeneration of Traditional Industries' (xii) ₹ 0.80 crore for creation of Capital Assets, ₹ 0.01 crore for Advertising and Publicity and ₹ 24.49 crore for Subsidies under the scheme National Manufacturing Competitiveness Programme', (xiii) ₹ 107.50 crore for Contribution-SC component and ₹ 82 crore for Contribution -ST component under the scheme 'Pradhan Mantri Employment Generation Programme' and 'Credit Support Programme' (xiv) ₹ 4.50 crore for Minor Works and ₹ 13 crore for Grants in aid General-ST Component under the scheme 'Infrastructure Development and Capacity Building (xv) ₹ 0.01 Crore for Other Administrative Expenses- ST component under the scheme 'Upgradation of Data Base' (xvi) ₹ 0.75 crore for Minor works under the scheme 'Development Commissioner (MSME)' and (xvii) Interest Subvention for Incremental Credit to MSME's (₹247.50 crore).	852.08	-	852.08

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

66. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

(क) हमारी धरोहर स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

(ख) 1. (i) अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास (₹2 करोड़) और (ii) विकास के

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

66 Ministry of Minority Affairs

(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid Salary under scheme Hamari Dharohar.

(b) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid Salary under the scheme

2.00

-

2.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
लिए पारम्परिक कला/हस्तशिल्प में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण (₹20 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान तथा 2. विदेश अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी (₹21 करोड़)।	(i) Leadership Development of Minority Women (₹2 crore) and (ii) Upgrading skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (₹20 crore) and 2. Subsidy under the scheme Educational Loans for Overseas Studies (₹ 21 crore).	43.00	-	43.00
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
67. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	67 Ministry of New and Renewable Energy			
(i) पवन विद्युत स्कीम के अंतर्गत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) दावों का सब्सिडी वितरण (₹100 करोड़) (ii) जल विद्युत स्कीम के अंतर्गत पिछले वर्ष की प्रतिबद्ध देयताओं का निपटान (₹10.90 करोड़) (iii) सौर विद्युत (ग्रिड) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹50 करोड़) (iv) पवन विद्युत स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.04 करोड़) (v) जैव विद्युत स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹16.50 करोड़) (vi) सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक (₹28 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹16 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (vii) मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत प्रयोगशाला सुदृढीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹7.80 करोड़) हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	For providing additional funds for (i) Subsidy disbursement of Generation Based Incentive (GBI) claims under the scheme Wind Power (₹ 100 crore) (ii) clearing committed liabilities of previous year under the scheme Hydro Power (₹ 10.90 crores) and (iii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme Solar Power (Grid) (₹ 50 crore)(iv) Grants-in-Aid General (₹ 0.04 crore) under the scheme Wind Power (v) Grants for creation of Capital Assets' under the scheme Bio Power (₹ 16.50 crores) (vi) Grants for creation of Capital Assets for SC Component (₹ 28 crore) and ST Component (₹16 crore) under the scheme Solar Power (vii) Grants-in-aid General for lab strengthening (₹7.80 crore) under the scheme Human Resources Development and Training.	229.24	-	229.24
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
68. पंचायती राज मंत्रालय	68 Ministry of Panchayati Raj			
(क) (i) कार्यालय व्यय (₹2 करोड़) और (ii) सचिवालय के अंतर्गत किराया, बिजली और जल प्रभार आदि तथा किराया, दर व कर का भुगतान (₹5.66 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Office Expenses (₹2 crore) and (ii) payment of Rent, Electricity and Water Charges etc. and Rent Rates and Taxes (₹5.66 crore) under Secretariat.	7.66	-	7.66
(ख) (i) पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹45.25 करोड़) और अन्य प्रभार (₹0.75 करोड़) तथा (ii) ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यालय व्यय (₹19.50 करोड़) हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional funds towards (i) Grants-in-aid General (₹45.25 crore) and Other Charges (₹0.75 crore) for Incentivization of Panchayats and (ii) Grants-in-aid General (₹0.50 crore) for Mission Mode Project (MMP) on e-Panchayat and Office Expenses (₹19.50 crore) to Information Technology.	66.00	-	66.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
70. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	70 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के वेतन और पेंशन बकाया राशि को पूरा करने के लिए।	For meeting Salary & Pension Arrears of Indian Institute of Public Administration under Grants- in Aid Salaries.	5.75	-	5.75

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
(क) सचिवालय के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional funds for establishment related expenditure under Secretariat.	1.35	-	1.35
(ख) स्वायत्त निकाय-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid Salary under the scheme Autonomous Bodies - Petroleum and Natural Gas Regulatory Board.	10.35	-	10.35
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74. विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
(क) ग्राम स्वराज्य अभियान के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय के लिए (₹1.55 करोड़), तथा कार्यालय परिसर के नवीकरण के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹0.70 करोड़)।	(a) For providing additional funds for establishment related expenditure (₹ 1.55 crore) under Gram Swarajya Abhiyan and renovation of office premises (₹ 0.70 crore).	2.25	-	2.25
(ख) नौ राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) की स्थापना हेतु 'ग्रीन एनर्जी कोरिडोर' स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional funds under the scheme "Green Energy Corridor" to establish Renewable Energy Management Centre (REMC) in nine states.	-	95.00	95.00
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
80 रेल मंत्रालय	80 Ministry of Railways			
(क) रेल यात्रियों के संबंध में 10.12.2016 से 31.08.2018 तक आईआरसीटीसी द्वारा प्रदत्त बीमा के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards reimbursement of insurance premia paid by IRCTC from 10.12.2016 to 31.08.2018 in respect of Railway passengers.	47.00	-	47.00
(ख) विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under various projects/schemes	-	5,343.78	5,343.78
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	81 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए व्यावसायिक सेवाएं के अंतर्गत निधियों के प्रावधान के लिए।	(a) For provision of funds under 'Professional Services' for Research & Development Works.	10.00	-	10.00
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य कार्यों (₹65 करोड़) तथा सड़क विंग के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों (₹100 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure on Major Works for 'Special Accelerated Road Development Programme' in North Eastern Areas (₹ 65 crore) and for road development works under Road Wing (₹ 100 crore).	-	165.00	165.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
82. ग्रामीण विकास विभाग	82 Department of Rural Development			
(क) सचिवालय के अंतर्गत वेतन, चिकित्सा और अन्य प्रशासनिक खर्चों के भुगतान के लिए।	(a) For the payment of Salaries, Medical Treatment and Other Administrative Expenses under Secretariat.	1.74	-	1.74

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For Providing Grant-in-aid General under the scheme National Rural Livelihood Mission programme.	700.00	-	700.00
(ग) (i) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹14.08 करोड़) तथा (ii) 'अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता कार्यक्रमों और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण' स्कीम के अंतर्गत अन्य व्यय (₹91.81 करोड़) प्रदान करने के लिए।	(c) For providing (i) Grants-in-aid General to National Institute of Rural Development (₹ 14.08 crore) and (ii) Other Expenditure under the scheme 'Management Support to RD programmes and Strengthening district Planning Process and Strengthening of District Planning Process' (₹ 91.81 crore).	105.89	-	105.89
(घ) (i) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (₹1.56 करोड़) तथा (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका का कार्यक्रम घटक (₹50 करोड़), अनुसूचित जाति घटक (₹29 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹21 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(d) For providing Grants-in-aid General (i) under National Institute of Rural Development (₹ 1.56 crore) (ii) for Programme Component of Aajeevika (₹ 50 crore), Scheduled Castes component (₹ 29 crore) and Scheduled Tribe component (₹ 21 crore) under National Rural Livelihood Mission.	101.56	-	101.56
(ङ) ग्रामीण विकास भवन के निर्माण के लिए।	(e) For construction of Grameen Vikas Bhawan.	-	14.75	14.75

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

84 Department of Science and Technology

(क) (i) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹90 करोड़) (ii) अनुसंधान और विकास के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹80 करोड़) तथा (iii) स्वायत्त संस्थानों और व्यावसायिक निकायों (₹70 करोड़) और विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (₹1 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 90 crore) for Science and Engineering Research Board (ii) 'Grants for creation of capital Assets' (₹ 80 crore) under Research and Development and (iii) Grants-in-aid salaries' for Autonomous Institutions and Professional Bodies (₹ 70 crore) and for Science and Engineering Research Board (₹ 1 crore).

241.00

(ख) डिजिटल मानचित्रण प्रणाली (एनएटीएमओ) के 'मोटरवाहन' हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।

(b) For meeting additional expenditure towards 'Motor Vehicle' of Digital Mapping System (NATMO).

- 0.50 0.50

पोत परिवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

87. पोत परिवहन मंत्रालय

87 Ministry of Shipping

सागरमाला परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए।

For providing Grants for creation of Capital Assets for completing projects under Sagarmala Project.

31.55 - 31.55

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

88. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

88 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

(i) वर्ष 2018-19 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (₹272.05 करोड़) और पॉलिटैकनक्स स्कीम (₹0.50 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान तथा (ii) पॉलिटैकनक्स स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹0.10 करोड़),

For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-General under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana during 2018-19 (₹ 272.05 crore) and under the Scheme Polytechnics (₹ 0.50 crore) (ii) 'Office

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.10 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1.80 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	Expenses' (₹ 0.10 crore), Other Administrative Expenses (₹0.10 crore), and Grant for creation of Capital Assets under the scheme of Polytechnics (₹ 1.80 crore).	274.55	-	274.55
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	89 Department of Social Justice and Empowerment			
(क) (i) नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 का संरक्षण और उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 1989 के प्रवर्तन के लिए व्यवस्था का सुदृढीकरण (₹89.28 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा (₹35 करोड़), हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम (₹20 करोड़), मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹10 करोड़) और डॉ अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक (₹5 करोड़) (ii) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹15 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (iii) बाल एवं बालिका छात्रावास (₹25 करोड़) और बाल छात्रावास (₹7 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान तथा (iv) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹1 करोड़)।	(a) For (i) Grants in aid General under the Schemes Strengthening of Machinery for Enforcement of Protection of Civil Right Act 1955 and Prevention of Atrocities Act 1989 (₹89.28 crore), Top Class Education for SCs (₹35 crore), Self Employment Scheme for Rehabilitation on Manual Scavengers (₹20 crore), Post Matric Scholarship (₹10 crore) and Dr. Ambedkar National Memorial (₹5 crore) (ii) Scholarship/Stipend under the Scheme National Overseas Scholarship for OBCs (₹15 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the Schemes Boys and Girls Hostel (₹25 crore) and Boys Hostel (₹7 crore) and (iv) Other Charges under the Scheme of Pradhan Mantri Adarsh Gramm Yojana (₹1 crore).	207.28	-	207.28
(ख) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹74 करोड़) और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹74 crore) under various schemes and Grants for Creation Assets under National Institute of Social Defence (₹ 10 crore).	84.00	-	84.00
90. निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग	90 Department of Empowerment of Persons with Disabilities			
निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम (सामान्य के लिए ₹37.81 करोड़ और अनुसूचित जातियों के लिए ₹8.54 करोड़) के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका के लिए।	For Scholarship/Stipend under the scheme Scholarship for student with Disabilities (₹37.81 crore for General and ₹8.54 crore for SCs).	46.35	-	46.35
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
91. अंतरिक्ष विभाग	91 Department of Space			
(क) व्यय पूरा करने के लिए (i) इसरो उपग्रह केन्द्र के अंतर्गत मल्टीजंक्शन सौर रेल रियलाइजेशन हेतु नई अनुमोदित उत्पादन सुविधा (₹4.60 करोड़) (ii) रीयूजेबल लांच व्हीकल आर्बिटल रीएन्ट्री एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट (₹4.82 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) newly approved productionisation facility for Multi-junction solar cell realization under ISRO Satellite Centre (ISAC) (₹ 4.60 crore) (ii) Re-usable Launch Vehicle Orbital Re-entry Experiment Project (₹4.82 crore).	9.42	-	9.42
(ख) व्यय पूरा करने के लिए 1. स्कीम के अंतर्गत अन्य पूंजीगत व्यय (i) रीयूजेबल लांच व्हीकल आर्बिटल रीएन्ट्री एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट (₹34.35 करोड़) (ii) जीसैट 22/23/24	(b) For meeting expenditure towards 1. Other Capital Expenditure under the scheme (i) Re-usable Launch Vehicle Orbital Re-entry Experiment Project			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
उपग्रह (₹86.50 करोड़) 2. स्कीम के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर (i) रीयूजेबल लांच व्हीकल ऑर्बिटल रीएन्ट्री एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट (₹2.13 करोड़) (iii) सॉलिड प्रोपेलेंट स्पेस बूस्टर प्लांट (₹60 करोड़) 3. मुख्य निर्माण कार्य (i) मल्टीजंक्शन सौर सेल रियलाइजेशन एंड प्रोडक्शन इसरो उपग्रह केन्द्र के अंतर्गत (₹4 करोड़) (ii) इसरो मुख्यालय द्वारा हैदराबाद में भूमि की खरीद (₹115 करोड़) (iii) सॉलिड प्रोपेलेंट स्पेस बूस्टर प्लांट (₹65 करोड़) (iv) अंतरिक्ष भारत गगनयान के लिए कार्यालय भवन (₹5 करोड़) तथा 4. इसरो प्रोपल्शन परिसर हेतु आवास निर्माण कार्य (₹0.95 करोड़)।	(₹34.35 crore) (ii) GSAT 22/23/24 Satellites (₹ 86.50 crore) 2. Machinery & Equipment under the scheme (i) Re-usable Launch Vehicle Orbital Re-entry Experiment Project (₹ 2.13 crore) (ii) Solid Propellant Space Booster Plant(SPROB) (₹ 60 crore) (ii) 3. Major Works for (i) Multi-junction Solar Cell realization and production under ISRO Satellite Centre (ISAC) (₹ 4 crore) (ii) procurement of land at Hyderabad by ISRO headquarters (₹ 115 crore) (iii) Solid Propellant Space Booster Plant(SPROB) (₹ 65 crore) (iv) Office building for Gaganyaan at Antariksh Bhawan (₹ 5 Crore) and 4. Housing Works for ISRO Propulsion Complex (IPRC) (₹ 0.95 crore).	-	372.93	372.93

वस्त्र मंत्रालय

94 वस्त्र मंत्रालय

(क) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।

(ख) व्यापार सुविधा केंद्र और हस्तशिल्प संग्रहालय स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय और व्यावसायिक सेवाएं (₹22.54 करोड़) और वेतन, कार्यालय व्यय और लघु कार्य, बुनकर सेवा केंद्र स्कीम के अंतर्गत वेतन, व्यावसायिक सेवाएं और कार्यालय खर्च (₹11.39 करोड़), राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वेतन (₹3.00 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं, अन्य हथकरघा स्कीमों के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹0.55 करोड़), अभिकल्प और प्रौद्योगिकी विकास स्कीम के अंतर्गत वेतन, किराया, दर व कर, छात्रवृत्ति और वृत्तिका, कार्यालय व्यय और घरेलू यात्रा व्यय (₹23.20 करोड़), हस्तशिल्प शिल्पकार व्यापक कल्याण स्कीम के अंतर्गत वेतन, कार्यालय व्यय और घरेलू यात्रा व्यय (₹1.90 करोड़), मानव संसाधन विकास स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹3.00 करोड़), वेतन, कार्यालय व्यय और घरेलू यात्रा व्यय ₹8.48 करोड़) अन्य हस्तशिल्प स्कीम के अंतर्गत वेतन कार्यालयी व्यय और घरेलू यात्रा खर्च (₹5.30 करोड़), प्रशिक्षण और विस्तार स्कीमों के तहत घरेलू यात्रा खर्च (₹2.20 करोड़) अन्य हस्तशिल्प स्कीम के तहत कार्यालयी व्यय (₹1.50 करोड़) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹138.26 करोड़) समूह बीमा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान

MINISTRY OF TEXTILES

94 Ministry of Textiles

(a) For meeting the additional requirement towards Grants-in-aid General under the scheme 'National Handloom Development Programme'

(b) For meeting additional requirement of ₹22.54 crore for Office Expenses, Other Administrative Expenses and Professional Services under the scheme 'Trade Facilitation Centre and Craft Museum', ₹11.39 crore for Salaries, Professional Services and Office Expenses under the scheme 'Weavers Service Centre', ₹3.00 crore for Salaries under 'National Handloom Development Programme', ₹0.55 crore for Professional Services under the scheme 'Other Handloom Schemes', ₹23.20 crore for Salaries, Rent Rate and Taxes, Scholarship and Stipend, Office Expenses and Domestic Travel Expenses under the scheme 'Design and Technology Development', ₹1.90 crore for Salaries, Office Expenses and Domestic Travel Expenses under the scheme 'Handicrafts Artisan Comprehensive Welfare Scheme', ₹3.00 crore for Other Charges under the scheme 'Human Resources Development', ₹8.48 crore for Salaries, Office Expenses and Minor Works under the scheme 'Trade Facilitation Centre and Craft Museum'. ₹5.30 crore

26.00

-

26.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
हेतु (₹5.28 करोड़) राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत व्यावसायिक सेवाओं के लिए (₹0.78 करोड़)।	for Salaries, Office Expenses and Domestic Travel Expenses under the scheme 'Other Handicrafts scheme', ₹2.20 crore for Domestic Travel Expenses and Office Expenses under the scheme 'Training and Extension', ₹1.50 crore for Office Expenses under the scheme 'Other Handicrafts scheme', ₹138.26 crore for Grants-in-aid Salaries under the scheme 'Central Silk Board', ₹5.28 crore for Grant in aid General under the scheme 'Group Insurance Scheme', ₹0.78 crore for Professional Services under the scheme 'National Handloom Development Programme'.	227.38	-	227.38
(ग) (i) अन्य (टीआरए, सीओपी) स्कीम के अंतर्गत वेतन और कार्यालय व्यय (₹0.40 करोड़) और अंशदान (₹0.59 करोड़) (ii) वस्त्र आयोग को सहायता स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹52 करोड़) (iii) निर्यात संवर्धन अध्ययन के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹1.03 करोड़) तथा (iv) अनुसंधान एवं विकास वस्त्र स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹6 करोड़) हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(c) For meeting additional requirement towards (i) Salaries and Office Expenditure (₹0.40 crore) and Contribution (₹0.59 crore) under the scheme Others (TRAs, COP) (ii) Grants-in-aid Salaries (₹52 crore) under the scheme Assistant to Textile Committee (iii) Professional Services (₹1.03 crore) under Export Promotion Studies and (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹6 crore) under the scheme R & D Textiles.	60.02	-	60.02
पर्यटन मंत्रालय				
95 पर्यटन मंत्रालय				
(क) स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु नया प्रयोजन शीर्ष खोलने के लिए।	(a) For providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme Swadesh Darshan-Integrated Development of Theme Based Tourist Circuits.	183.43	-	183.43
(ख) (i) स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास (₹817.50 करोड़) तथा (ii) तीर्थाटन संरक्षण और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) (₹141.35 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु।	(b) For providing Grants for creation of Capital Assets under the schemes (i) Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme Based Tourist Circuits (₹817.50 crore) and (ii) Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentaion Drive (PRASAD) (₹141.35 crore).	958.85	-	958.85
जनजातीय मामले मंत्रालय				
96. जनजातीय मामले मंत्रालय				
(क) ईएमआरएस स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.01 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.01 करोड़) के लिए।	(a) For Grants-in-aid General (₹0.01 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under the scheme EMRS.	0.02	-	0.02
(ख) 1. सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) ईएमआरएस (₹0.01 करोड़) (ii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान (₹140.30 करोड़) (iii) मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	(b) For 1. Grants-in-aid General under the schemes (i) EMRS (₹ 0.01 crore) (ii) Grants under Article 275 (1) of the Constitution (₹ 140.30 crore) (iii) Pre			
MINISTRY OF TOURISM				
95 Ministry of Tourism				
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS				
96 Ministry of Tribal Affairs				

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹150 करोड़) (iv) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹614 करोड़) तथा (v) जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता (₹0.85 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 2. ईएमआरएस स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹0.01 करोड़) और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान (₹556.47 करोड़) के लिए।	Matric Scholarship (₹150 crore) (iv) Post Matric Scholarship (₹ 614 crore), and (v) Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 0.85 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes EMRS (₹ 0.01 crore) and Grants under Article 275 (1) of the Constitution (₹ 556.47 crore)	1,461.64	-	1,461.64
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
97. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	97 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
राष्ट्रीय गंगा नदीमुख प्राधिकरण (ईएपी घटक) को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing Grants for Creation of Capital Assets to National Ganga River Basin Authority (EAP component).	500.00	-	500.00
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
98 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	98 Ministry of Women and Child Development			
(क) (i) बाल संरक्षण सेवाएं स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹70 करोड़) (ii) बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹4 करोड़) (iii) राष्ट्रीय जन सहकारिता और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹1.41 करोड़) तथा (iv) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) स्कीम के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाएं (₹0.10 करोड़) के लिए।	(a) For (i) Grants-in-aid General under the scheme Child Protection Services (₹ 70 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Child Protection Scheme (₹ 4 crore), (iii) Grants-in-aid Salary under the scheme National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 1.41 crore) and (iv) Professional Services under the scheme Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) (₹ 0.10 crore).	75.51	-	75.51
(ख) आंगनवाड़ी सेवाएं (₹500 करोड़), राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (₹6 करोड़) और बाल संरक्षण सेवाएं (₹50 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-aid General under the schemes Anganwadi Services (₹ 500 crore), National Nutrition Mission (₹ 6 crore) and Child Protection Services (₹ 50 crore)	556.00	-	556.00
(ग) बाल संरक्षण सेवाएं स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(c) For Grants-in-aid General under the scheme Child Protection Services.	2.60	-	2.60
कुल सांकेतिक	Total Token	0.83	0.33	1.16
5. ₹20,76,00,000 की अग्रिम राशि आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में से स्वीकृत की गई थी। अनुदानों की पूरक मांगों के अनुमोदन के पश्चात इस राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।	5. An advance of ₹20,76,00,000 was sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting Contingency requirement. This will be recouped to the fund after the Supplementary Demand for Grants are approved.			
कुल योग	GRAND TOTAL	18,641.26	67,307.60	85,948.86
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	9,572.78	5,492.71	15,065.49
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	9,067.65	61,814.56	70,882.21
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.83	0.33	1.16

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE					
1.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग स्वीकृत	1.	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare Voted	0.03	0.01	0.04	1
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्वीकृत	2.	Department of Agricultural Research and Education Voted	152.73	...	152.73	3
3.	पशु पालन, डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग स्वीकृत	3.	Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries Voted	...	0.01	0.01	4
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4.	परमाणु ऊर्जा भारित स्वीकृत	4.	Atomic Energy Charged Voted	...	9.50	9.50	5
				0.02	0.02	0.04	
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
5.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय स्वीकृत	5.	Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) Voted	0.02	...	0.02	7
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS					
8.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग स्वीकृत	8.	Department of Pharmaceuticals Voted	...	7.00	7.00	8
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
9.	नागर विमानन मंत्रालय स्वीकृत	9.	Ministry of Civil Aviation Voted	798.34	2298.80	3097.14	9
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
11.	वाणिज्य विभाग स्वीकृत	11.	Department of Commerce Voted	143.60	...	143.60	10
संचार मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
13.	डाक विभाग भारित स्वीकृत	13.	Department of Posts Charged Voted	2.29	...	2.29	11
14.	दूरसंचार विभाग भारित	14.	Department of Telecommunications Voted	...	20.00	20.00	
				...	751.00	751.00	12
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
15.	उपभोक्ता मामले विभाग स्वीकृत	15.	Department of Consumer Affairs Voted	0.01	...	0.01	13
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग स्वीकृत	16.	Department of Food and Public Distribution Voted	920.10	0.03	920.13	14
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
17.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय स्वीकृत	17.	Ministry of Corporate Affairs Voted	30.82	19.00	49.82	16
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
18.	संस्कृति मंत्रालय स्वीकृत	18.	Ministry of Culture Voted	0.02	26.33	26.35	17
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
20.	रक्षा मंत्रालय (राजस्व) स्वीकृत	20.	Defence Services (Revenue) Voted	1400.00	...	1400.00	18
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वीकृत	23.	Ministry of Development of North Eastern Region Voted	100.36	...	100.36	19
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय		MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION					
24.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय स्वीकृत	24.	Ministry of Drinking Water and Sanitation Voted	0.02	...	0.02	20
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
25.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वीकृत	25.	Ministry of Earth Sciences Voted	0.03	0.01	0.04	21

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
26. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत	26. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	174.83	6.17	181.00	23
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
27. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	27. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Charged	...	0.49	0.49	25
			Voted	38.75	0.01	38.76	
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
28. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of External Affairs	Voted	1012.00	...	1012.00	27
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
29. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	29. Department of Economic Affairs	Voted	2.99	13478.37	13481.36	28
30. व्यय विभाग	स्वीकृत	30. Department of Expenditure	Voted	0.01	...	0.01	30
31. वित्तीय सेवाएं विभाग	भारित स्वीकृत	31. Department of Financial Services	Charged	0.10	...	0.10	
			Voted	0.03	41000.02	41000.05	31
32. निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग	स्वीकृत	32. Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)	Voted	75.00	...	75.00	33
33. राजस्व विभाग	स्वीकृत	33. Department of Revenue	Voted	0.01	0.01	0.02	34
34. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	34. Direct Taxes	Voted	100.00	0.02	100.02	35
35. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	35. Indirect Taxes	Voted	0.01	0.01	0.02	36
36. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग	भारित स्वीकृत	36. Indian Audit and Accounts Department	Charged	6.76	...	6.76	
			Voted	175.13	...	175.13	37
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
41. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	स्वीकृत	41. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	...	0.01	38
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	1031.07	40.01	1071.08	39
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
44. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	44. Department of Heavy Industry	Voted	0.01	150.89	150.90	42
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
46. गृह मंत्रालय	भारित स्वीकृत	46. Ministry of Home Affairs	Charged	6.33	...	6.33	44
			Voted	130.94	0.01	130.95	46
47. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	47. Cabinet	Voted	0.01	...	0.01	47
48. पुलिस	स्वीकृत	48. Police	Voted	1535.35	0.01	1535.36	49
52. दमन एवं दीव	स्वीकृत	52. Daman and Diu	Voted	...	12.03	12.03	51
53. लक्षद्वीप	स्वीकृत	53. Lakshadweep	Voted	0.01	0.01	0.02	
54. दिल्ली को अंतरण	स्वीकृत	54. Transfers to Delhi	Voted	...	77.41	77.41	52
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS					
56. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	भारित स्वीकृत	56. Ministry of Housing and Urban Affairs	Charged	4.00	...	4.00	53
			Voted	1.60	0.01	1.61	
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	57. Department of School Education and Literacy	Voted	113.78	...	113.78	55
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	0.04	...	0.04	57
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
59. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	...	0.01	59
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Labour and Employment	Voted	1038.29	...	1038.29	60
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
61. विधि और न्याय	स्वीकृत	61. Law and Justice	Voted	0.03	535.00	535.03	61
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	8.49	8.51	63

खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES						
65.	खान मंत्रालय	स्वीकृत	65. Ministry of Mines	Voted	95.00	...	95.00	65
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS						
66.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.02	8.18	8.20	66
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
67.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	...	0.01	67
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ						
68.	पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.02	...	0.02	68
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
70.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.12	25.00	25.12	69
71.	केंद्रीय सतर्कता आयोग	भारित	71. Central Vigilance Commission	Charged	1.39	...	1.39	70
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
72.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	72. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	0.02	250.18	250.20	71
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING						
73.	योजना मंत्रालय		73. Ministry of Planning	Voted	125.96	...	125.96	72
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER						
74.	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Power	Voted	713.73	0.01	713.74	73
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT						
76.	लोक सभा	भारित	76. Lok Sabha	Charged	0.12	...	0.12	75
77.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	स्वीकृत	78. Secretariat of the Vice-President	Voted	0.90	...	0.90	76
रेल मंत्रालय		MINISTRY OF RAILWAYS						
80.	रेल मंत्रालय	स्वीकृत	80. Ministry of Railways	Voted	0.01	0.01	0.02	77
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
81.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	81. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	0.01	8565.39	8565.40	81
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT						
82.	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	82. Department of Rural Development	Voted	6084.13	0.01	6084.14	83
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY						
84.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	84. Department of Science and Technology	Voted	0.01	0.01	0.02	85
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING						
87.	पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	87. Ministry of Shipping	Voted	125.01	...	125.01	86
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय		MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP						
88.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	स्वीकृत	88. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.01	...	0.01	87
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT						
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	89. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	2263.27	...	2263.27	88
90.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग	स्वीकृत	90. Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Voted	0.01	...	0.01	90
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE						
91.	अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	91. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	91

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
92. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	69.62	...	69.62	93
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
93. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Steel	Voted	105.75	...	105.75	94
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
94. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	94. Ministry of Textiles	Voted	0.03	...	0.03	95
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
95. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	95. Ministry of Tourism	Voted	0.02	...	0.02	97
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	96. Ministry of Tribal Affairs	Voted	1.70	...	1.70	98
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION					
97. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.01	...	0.01	100
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
98. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Women and Child Development	Voted	58.65	18.12	76.77	101
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
99. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	99. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	0.21	...	0.21	103
कुल जोड़		GRAND TOTAL		18641.26	67307.60	85948.86	
	भारित		Charged	20.99	9.99	30.98	
	स्वीकृत		Voted	18620.27	67297.61	85917.88	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	46586.30	46586.30
पूंजी	Capital	...	113.70	113.70
जोड़	Total	...	46700.00	46700.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1791.64	1791.64
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1791.64	1791.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	48491.68	48491.68
राजस्व	Revenue	...	48377.97	48377.97
पूंजी	Capital	...	113.71	113.71

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>		<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01	(का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03		0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4401-फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry	...	0.01	(घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.04		0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क)	"कल्याण योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों का वितरण" योजना के अंतर्गत सामान्य घटक (₹ 370.32 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 82.18 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 42.57 करोड़) की सब्सिडी प्रदान करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(a)	providing Subsidy for General Component (₹ 370.32 crore), for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 82.18 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹ 42.57 crore) under the scheme of "Distribution of Pulses to States/UTs for Welfare Schemes". Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (i)	"पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास" स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान - सामान्य घटक (₹ 20 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना घटक (₹ 12 करोड़)।	(b) (i)	release of Grants-in-aid General for General Component (₹ 20 crore) and for Tribal Area Sub-Plan Component (₹ 12 crore) under the scheme of "Organic Value Chain Development for NE Region".
(ii)	"कृषि विस्तार पर उप-मिशन" स्कीम के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़)।	(ii)	release of Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under the scheme of "Sub-Mission on Agricultural Extension" (₹ 20 crore).
(iii)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान- सामान्य घटक (₹ 5.00 करोड़)।	(iii)	providing additional Grants-in-aid General for General Component under the scheme of "National Food Security Mission" (₹ 5 crore).
(iv)	मूल्यन्यूनता भुगतान योजना के तहत 'सब्सिडी' प्रदान करने के लिए सामान्य घटक (₹ 104.64 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 23.34 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 12.03 करोड़)।	(iv)	providing Subsidy for General Component (₹ 104.64 crore), for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 23.34 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹ 12.03 crore) under the scheme of

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ग) "मूल्य न्यूनता भुगतान योजना" स्कीम के तहत 'सब्सिडी' सामान्य घटक (₹941.80 करोड़), अनुसूचितजातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 209.01 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 108.28 करोड़) प्रदान करने के लिए।
- (घ) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ग) राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त अनुदान (₹ 1.09 करोड़)।
- (घ) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (c) "Price Deficiency Payment Scheme" . Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. providing Subsidy for General Component (₹ 941.80 crore), for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 209.01 crore) and for Tribal Area Sub-Plan (₹ 108.28 crore) under the scheme of "Price Deficiency Payment Scheme".
- (d) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. providing additional fund for Major Works under the scheme of "National Seeds Research and Training Centre" (₹ 1.09 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7800.00	7800.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	7800.00	7800.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	152.73	152.73
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	152.73	152.73
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7952.74	7952.74
राजस्व	Revenue	...	7952.74	7952.74
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	...	152.73	152.73

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 196.60 करोड़)।
- बागवानी संस्थानों, अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 1.11 करोड़)।
- कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) को खोले जाने वाले नए शीर्ष के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 3.91 करोड़)।
- कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड को खोले जाने वाले नए शीर्ष के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 2.75 करोड़)।
- कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड को खोले जाने वाले नए शीर्ष के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 1.26 करोड़)।
- राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना स्कीम - ईएपी घटक के अंतर्गत खोले जाने वाले नए शीर्ष के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 33.06 करोड़)।
- राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक (एनएचईपी) स्कीम के अंतर्गत खोले जाने वाले नए शीर्ष के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 19.32 करोड़)।
- राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना-ईएपी घटक स्कीम के अंतर्गत खोले जाने वाले नए शीर्ष के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 0.24 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 152.73 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

- providing Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) under the scheme of "ICAR Headquarter Administration" (₹ 196.60 crore).
- providing Grants for creation of Capital Assets to ICAR under the scheme of "Horticulture Institutes, Research & Education Schemes" (₹ 1.11 crore).
- providing Grants-in-aid General to Agricultural Scientists Recruitment Board (ASRB) under new head to be opened (₹ 3.91 crore).
- providing Grants for creation of Capital Assets to ASRB under new head to be opened (₹ 2.75 crore).
- providing Grants-in-aid Salaries to ASRB under new head to be opened (₹ 1.26 crore).
- providing Grant-in-aid General under new head to be opened under the scheme of "National Agricultural Higher Education Project - EAP Component" (₹ 33.06 crore).
- providing Grants for creation of Capital Assets under new head to be opened under the scheme of "National Agricultural Higher Education Project - EAP Component" (₹ 19.32 crore).
- providing Grants-in-aid Salaries under new head to be opened under the scheme of "National Agricultural Higher Education Project - EAP Component" (₹ 0.24 crore).
Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 152.73 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3536.11	3536.11
पूंजी	Capital	...	43.89	43.89
जोड़	Total	...	3580.00	3580.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3580.03	3580.03
राजस्व	Revenue	...	3536.13	3536.13
पूंजी	Capital	...	43.90	43.90
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

छोटे पशुधन संस्थानों के लिए मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए (₹ 0.90 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing additional funds under 'Machinery and Equipment' for Small Livestock institutes (₹ 0.90 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

**परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4-5 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)
(See page 4-5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	13928.15	13929.15
पूंजी	Capital	0.50	7588.73	7589.23
जोड़	Total	1.50	21516.88	21518.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	9.50	0.02	9.52
जोड़	Total	9.50	0.04	9.54
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	11.00	21516.96	21527.96
राजस्व	Revenue	1.00	13928.19	13929.19
पूंजी	Capital	10.00	7588.77	7598.77
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(का) 0.01
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	9.50	(गc) 0.01	(घd) 9.51
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research	...	0.01	(डेe) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	9.50	0.02	9.52
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	9.50	0.04	9.54

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यूक्लियर फ्यूल निगम के भुगतान के लिए यूरेनियम कंसेन्ट्रेट की संशोधित दर के लिए ₹ 500 करोड़ के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) (i) सहायता प्राप्त संस्थानों को अनुदान सहायता वेतन देने के लिए (₹ 71.42 करोड़) और परमाणु ऊर्जा शैक्षणिक सोसायटी (₹ 9 करोड़) और (ii) टाटा मेमोरियल सेंटर के भावी कैंसर चिकित्सालय और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए अनुदान (₹ 1078.28 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अदालती डिक्री के फलस्वरूप भूमि मुआवजे के भुगतान (₹ 10 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 500 crore towards Revision of rate of Uranium Concentrate for payment to Nuclear Fuel Corporation (NFC).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards (i) Grant in aid salaries to Aided Institutions (₹ 71.42 crore), and to Atomic Energy Education Society (AEES) (₹ 9 crore) and (ii) Grants for Creation of Asset (₹ 1078.28 crore) for International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) and upcoming Cancer hospitals of Tata Memorial Centre (TMC).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure (₹ 10 crore) by Bhabha Atomic Research Centre (BARC) for payment of land compensation against Court decree.

अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध ₹ 9.50 करोड़ बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

- (घ) इन मदों में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के प्रमुख कार्यों (₹ 30 करोड़), फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल सुविधा (₹ 194 करोड़), न्यूक्लियर फ्यूल परिसर (₹ 8 करोड़) (ii) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए मशीनरी एवं उपस्कर (₹ 20 करोड़), न्यूक्लियर फ्यूल परिसर (₹ 19 करोड़), अनुसंधान और एक्सप्लोरेशन के लिए परमाणु खनिज निदेशालय (₹ 1 करोड़) और (iii) ड्रिलिंग कार्य पर व्यय को पूरा करने के लिए अन्वेषण/अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय के लिए पेशेवर सेवाएं (₹ 47 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ङ) निम्नलिखित मदों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) (₹ 225 करोड़), परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) (₹ 15 करोड़), परमाणु अनुसंधान हेतु इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीकार) (₹ 16 करोड़), राजा रामन्ना एडवांस प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआरकेट) (₹ 9 करोड़) जैसे प्रमुख कार्यों के लिए (ii) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मशीनरी और उपस्कर (बीएआरसी) (₹ 67 करोड़), परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) (₹ 1 करोड़), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीकार) (₹ 41 करोड़), राजा रामन्ना एडवांस प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआरकेट) (₹ 11 करोड़), वेरिएबल इनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र (वीईसीसी) (₹ 14 करोड़), परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर) (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

Taking into account the surrender of savings of ₹ 9.50 crore available in the Capital Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

meeting additional expenditure towards (i) Major works for Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 30 crore), Fast Reactor Fuel Cycle Facility (FRFCF) (₹ 194 crore), Nuclear Fuel Complex (NFC) (₹ 8 crore) (ii) Machinery & Equipment for Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 20 crore), Nuclear Fuel Complex (NFC) (₹ 19 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMDER) (₹ 1 crore), and (iii) Professional Services for Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMDER) (₹ 47 crore) to meet expenditure on drilling operation.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards (i) Major Work for Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 225 crore), Atomic Energy Regulatory Board (AERB) (₹ 15 crore), Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) (₹ 16 crore), Raja Ramanna Centre for Advance Technology (RRCAT) (₹ 9 crore) (ii) Machinery & Equipment (M&E) for Bhabha Atomic Research Centre (BARC) (₹ 67 crore), Atomic Energy Regulatory Board (AERB) (₹ 1 crore), Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) (₹ 41 crore), Raja Ramanna Centre for Advance Technology (RRCAT) (₹ 11 crore), Variable Energy Cyclotron Centre (VECC) (₹ 14 crore), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMDER) (₹ 10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 5

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2107.10	2107.10
पूंजी	Capital	...	23.70	23.70
जोड़	Total	...	2130.80	2130.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	30.00	30.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	30.00	30.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2160.82	2160.82
राजस्व	Revenue	...	2137.12	2137.12
पूंजी	Capital	...	23.70	23.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	(क) 0.01
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (₹ 3 करोड़), (2) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (₹ 3.50 करोड़), (3) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे (₹ 1.50 करोड़), (4) केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद (₹ 0.86 करोड़), और (5) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (₹ 0.50 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान, (ii) (1) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (₹ 10 करोड़) और (2) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (₹ 2.90 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान, (iii) होम्योपैथी औषध-कोश प्रयोगशाला स्कीम के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) केन्द्रीय यूनानी औषधी अनुसंधान परिषद स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) GIA Salary under the scheme:- (1) All India Institute of Ayurveda (₹ 3 crore), (2) National Institute of Homoeopathy, Kolkatta (₹ 3.50 crore), (3) National Institute of naturopathy, Pune (₹ 1.50 crore), (4). Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 0.86 crore), and (5) Central Council for Research in Homoeopathy (₹ 0.50 crore). (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme:- (1) All India Institute of Ayurveda (₹ 10 crore) and (2) National Institute of Homoeopathy, Kolkatta (₹ 2.90 crore). (iii) Office Expenses under the scheme Homoeopathic Pharmacopoeia Laboratory Homoeopathy (₹ 0.01 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) GIA General under the scheme Central Council for Research in Unani Medicine (₹ 1.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	261.47	261.47
पूंजी	Capital	...	0.06	0.06
जोड़	Total	...	261.53	261.53
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	7.00	7.00
जोड़	Total	...	7.00	7.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	268.53	268.53
राजस्व	Revenue	...	261.47	261.47
पूंजी	Capital	...	7.06	7.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6857-रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	6857-Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	...	7.00	7.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राजस्थान औषध एवं भेषज लिमिटेड (आरडीपीएल) (₹ 2.00 करोड़) और हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) (₹ 5.00 करोड़) के कामिकों को वेतन आदि का भुगतान।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

Payment of salary etc. to staff of Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Limited (RDPL) (₹ 2.00 crore) and Hindustan Antibiotics Limited (HAL) (₹ 5.00 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5881.86	5881.86
पूंजी	Capital	...	721.00	721.00
जोड़	Total	...	6602.86	6602.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	980.00	980.00
जोड़	Total	...	980.00	980.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	798.34	798.34
पूंजी	Capital	...	2298.80	2298.80
जोड़	Total	...	3097.14	3097.14
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	10680.00	10680.00
राजस्व	Revenue	...	6680.20	6680.20
पूंजी	Capital	...	3999.80	3999.80
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	798.34	(का) 798.34
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053-नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	2298.80	(खब) 2298.80
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	3097.14	3097.14

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) एयर इंडिया एसेट होल्डिंग को सामान्य सहायता अनुदान (विशेष प्रयोजन माध्यम) (₹ 1300 करोड़)।
- (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़ रूपए) जारी करना।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें (₹ 798.34 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) कायाकल्प योजना के अंतर्गत एयर इंडिया में इक्विटी निवेश (₹ 2345 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें (₹ 2298.80 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) providing Grants-in-aid General to Air India Asset Holding (Special Purpose Vehicle) (₹ 1300 crore).
- (ii) release of Grants-in-aid General to Indira Gandhi Rashtriya Udaan Academy (₹ 0.10 crore).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 798.34 crore.
- (b) infusion of equity in Air India under Turn Around Plan (₹ 2345 crore).
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 2298.80 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2018-2019 की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)
(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4741.70	4741.70
पूंजी	Capital	...	510.00	510.00
जोड़	Total	...	5251.70	5251.70
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	500.01	500.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	500.01	500.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	143.60	143.60
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	143.60	143.60
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5895.31	5895.31
राजस्व	Revenue	...	5385.31	5385.31
पूंजी	Capital	...	510.00	510.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2407-पौधारोपण	2407-Plantations	...	40.73	(का)	40.73
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	2.87	(खब)	2.87
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	100.00	(गक)	100.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	143.60		143.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) 'सामान्य सहायता अनुदान', 'वेतन सहायता अनुदान' और 'सब्सिडियों' हेतु चाय बोर्ड के अंतर्गत ₹ 52.40 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।	(a)	(i) Meeting the additional requirement of ₹ 52.40 crore under Tea Board towards 'Grants-in-aid General', 'Grants-in-aid Salary' and 'Subsidies'.
	(ii) 'सामान्य सहायता अनुदान', 'वेतन सहायता अनुदान' और 'सब्सिडियों' हेतु कॉफी बोर्ड के अंतर्गत ₹ 116.28 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।		(ii) Meeting the additional requirement of ₹ 116.28 crore under Coffee Board towards 'Grants-in-aid General', 'Grants-in-aid Salary' and 'Subsidies'.
	(iii) 'सामान्य सहायता अनुदान', 'वेतन सहायता अनुदान' और 'सब्सिडियों' हेतु रबड़ बोर्ड के अंतर्गत ₹ 111.99 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।		(iii) Meeting the additional requirement of ₹ 111.99 crore under Rubber Board towards 'Grants-in-aid General' and 'Grants-in-aid Salary'.
	(iv) 'सामान्य सहायता अनुदान', 'वेतन सहायता अनुदान' और 'सब्सिडियों' हेतु मसाला बोर्ड के अंतर्गत ₹ 61.22 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 40.73 करोड़ नकद व्यय होगा।		(iv) Meeting the additional requirement of ₹ 61.22 crore under Spices Board towards 'Grants-in-aid General' and 'Grants-in-aid Salary'. Taking into account savings available within same section of Grant, this will entail cash outgo of ₹ 40.73 crore.
(ख)	(i) 'सामान्य सहायता अनुदान' हेतु चाय बोर्ड के अंतर्गत ₹ 21.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।	(b)	(i) Meeting the additional requirement of ₹ 21.00 crore under Tea Board towards 'Grants-in-aid General'.
	(ii) 'सामान्य सहायता अनुदान' और 'सब्सिडियों' हेतु मसाला बोर्ड के अंतर्गत ₹ 3.10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 2.87 करोड़ का नकद व्यय होगा।		(ii) Meeting the additional requirement of ₹ 3.10 crore under Spice Board towards 'Grants-in-aid General' and 'Subsidies'. Taking into account savings available within same section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 2.87 crore.
(ग)	'विश्व प्रदर्शनी 2020' के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए ₹ 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। इसमें नकद व्यय होगा।	(c)	Meeting the additional requirement of ₹ 100.00 crore for International Conferences under 'World Expo 2020'. The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)
(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.80	28514.24	28515.04
पूंजी	Capital	...	757.52	757.52
जोड़	Total	0.80	29271.76	29272.56
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	600.00	600.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	600.00	600.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	2.29	...	2.29
पूंजी	Capital	...	20.00	20.00
जोड़	Total	2.29	20.00	22.29
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3.09	29891.76	29894.85
राजस्व	Revenue	3.09	29114.24	29117.33
पूंजी	Capital	...	777.52	777.52
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	2.29	(का) ...	2.29
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5201-डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services	...	20.00	(खb) 20.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	2.29	20.00	22.29

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप भुगतान हेतु ₹ 2.29 करोड़।
चूंकि इसकी पूर्ति अनुदान के स्वीकृत भाग के अंतर्गत उपलब्ध समतुल्य बचतों से हो जाएगी, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) स्वच्छता कार्यवाई योजना के लिए ₹ 20 करोड़ का व्यय पूरा करने के लिए।
अतिरिक्त प्राप्तियों (₹ 9.32 करोड़) तथा वसूलियों को ध्यान में रखने के बाद इसमें ₹ 2.27 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) ₹ 2.29 crore towards payment arising out of Supreme Court order.
As this will be matched by equivalent savings available under voted section of the Grant, this will not entail cash outgo;
- (b) meeting expenditure of ₹ 20 crore for Swacchta Action Plan.
After taking into account the additional receipts (₹ 9.32 crore) and recoveries, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 2.27 crore;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 14

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)
(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	33052.53	33052.53
पूंजी	Capital	...	5002.75	5002.75
जोड़	Total	...	38055.28	38055.28
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	78.82	...	78.82
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	78.82	...	78.82
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	751.00	751.00
जोड़	Total	...	751.00	751.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	78.82	38806.28	38885.10
राजस्व	Revenue	78.82	33052.53	33131.35
पूंजी	Capital	...	5753.75	5753.75
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services	...	700.00	(का) 700.00
7275-अन्य संचार सेवाओं के लिए ऋण	7275-Loans for Other Communication Services	...	51.00	(खb) 51.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	751.00	751.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) मैसर्स हेमिस्फीयर प्रोपर्टीज लि. में संयुची विमोच्य अधिमान शेयरों के रूप में निवेश के तहत ₹ 700 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।

इसमें नगद व्यय नहीं होगा क्योंकि इस अनुदान के राजस्व भाग में पर्याप्त बचत उपलब्ध है।

(ख) मैसर्स हेमिस्फीयर प्रोपर्टीज लि. को ₹ 51 करोड़ का ऋण मुहैया कराने हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

इसमें नगद व्यय नहीं होगा क्योंकि इस अनुदान के राजस्व भाग में पर्याप्त बचत उपलब्ध है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure of ₹ 700 crore towards investment as Cumulative Redeemable Preference Shares in M/s. Hemisphere Properties limited.

This will not entail cash outgo as sufficient savings are available in the Revenue section of the Grant.

(b) meeting expenditure towards providing loan of ₹ 51 crore to M/s. Hemisphere Properties Limited.

This will not entail cash outgo as sufficient savings are available in the Revenue section of the Grant.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)
(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1755.93	1755.93
पूंजी	Capital	...	48.59	48.59
जोड़	Total	...	1804.52	1804.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1804.54	1804.54
राजस्व	Revenue	...	1755.95	1755.95
पूंजी	Capital	...	48.59	48.59
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3456-नागरिक आपूर्ति	3456-Civil Supplies	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"कॉन्फोनेट" स्कीम के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (ओई) के अंतर्गत आवश्यकता पूरी करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाओं को अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए (₹ 20 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

release of additional funds to National Informatics Centre Services Inc. for meeting requirement under Information Technology (OE) under the scheme of "CONFONET" (₹ 20 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 16
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18-19 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)
(See page 18-19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	173735.00	173735.00
पूंजी	Capital	...	50424.10	50424.10
जोड़	Total	...	224159.10	224159.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	463.31	463.31
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	463.31	463.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	920.10	920.10
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	920.13	920.13
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	225542.54	225542.54
राजस्व	Revenue	...	175118.41	175118.41
पूंजी	Capital	...	50424.13	50424.13

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	920.10	(का) 920.10
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	0.01	(खब) 0.01
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01	(ग) 0.01
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	0.01	(घ) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.03	0.03
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	920.13	920.13

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को सब्सिडी प्रदान करना ₹ 5500 करोड़।
- (ii) अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु निधियां प्रदान करना (₹ 30 करोड़)।
- (iii) वर्ष 2017-18 मौसम के लिए चीनी मिलों को सहायता के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करना (₹ 400 करोड़)।
- (iv) "चीनी के सुरक्षित भंडार का सृजन और अनुरक्षण स्कीम" के अंतर्गत चीनी मिलों को सब्सिडी प्रदान करना (₹ 450 करोड़)।
- (v) दंडात्मक व्याज और आय कर देयता के भुगतान के लिए हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल कार्पोरेशन को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 111 करोड़ रुपए)।
- (vi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 12 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) providing subsidy to State Governments for decentralized procurement of foodgrains under NFSA (₹ 5500 crore).
- (ii) providing funds towards reimbursement of Sugar Subsidy to States/UTs under Public Distribution System for Antyodaya Anna Yojana families (₹ 30 crore).
- (iii) providing Subsidy under Assistance to Sugar Mills for 2017-18 Season (₹ 400 crore).
- (iv) providing Subsidy to sugar mills under 'Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of Sugar' (₹ 450 crore).
- (v) providing Grants-in-aid General to Hindustan Vegetable Oil Corporation towards payment of penal interest and income tax liability (₹ 111 crore).
- (vi) providing Grants -in-aid General under Integrated Management of Public Distribution System (₹ 12 crore).

(vii)	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.50 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर तथा अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के पश्चात्, इसमें ₹ 850 करोड़ का नकद व्यय होगा।	(vii)	providing Grants -in-aid General for Strengthening of Public Distribution System Operation (₹ 2.50 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 850 crore.
(ख)	राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर के 'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत निधि प्रदान करना (₹ 1.90 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	providing fund under 'Major Works' of National Sugar Institute, Kanpur (₹ 1.90 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	खाद्य गोदामों के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में निवेश (₹ 28 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(c)	investment in FCI for construction of food storage godowns (₹ 28 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	एल्कोहल में से जलहीन एल्कोहल अथवा एथनोल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियों को ऋण जारी करना (₹ 55 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध समान बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(d)	releasing loans to sugar factories for production of Anhydrous Alcohol or Ethanol from Alcohol (₹ 55 crore). Taking into account the matching savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)
(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	567.65	567.65
पूंजी	Capital	...	26.50	26.50
जोड़	Total	...	594.15	594.15
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	30.82	30.82
पूंजी	Capital	...	19.00	19.00
जोड़	Total	...	49.82	49.82
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	643.98	643.98
राजस्व	Revenue	...	598.48	598.48
पूंजी	Capital	...	45.50	45.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	30.81 (का)	30.81
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	30.82	30.82
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	19.00 (गक)	19.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	49.82	49.82

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय प्रतियोगिता आयोग के लिए भवन के अधिग्रहण के लिए एनबीसीसी को अंतिम भुगतान जारी करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन तथा आंतरिक साज-सज्जा के लिए एनएसएल को भुगतान करने हेतु अनुदान (₹ 56.49 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 25.68 करोड़ की बचत को देखते हुए, इसमें ₹ 30.81 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) कोलकाता में कॉर्पोरेट भवन का निर्माण (₹ 19.50 करोड़)।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 19 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.50 करोड़ की बचत का उपयोग करने के पश्चात, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grant for creation of Capital Assets for release of final payment to NBCC for acquisition of building for Competition Commission of India and payment to NSL for interior fitout (₹ 56.49 crore).
Taking into account the savings of ₹ 25.68 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 30.81 crore.
- (b) Grants-in-aid General for Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI) (₹ 4 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) construction of Corporate Bhawan at Kolkata (₹ 19.50 crore).
Taking into account the surrender of savings of ₹ 19 crore available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 0.50 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)
(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2764.28	2764.28
पूंजी	Capital	...	79.04	79.04
जोड़	Total	...	2843.32	2843.32
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	150.00	150.00
जोड़	Total	...	150.02	150.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	26.33	26.33
जोड़	Total	...	26.35	26.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3019.69	3019.69
राजस्व	Revenue	...	2764.32	2764.32
पूंजी	Capital	...	255.37	255.37

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	26.33 (ग)	26.33
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	26.35	26.35

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. पुस्तकालयों को सहायता (₹ 8.09 करोड़), (2) संग्रहालयों को सहायता (₹ 26.47 करोड़), (3) बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारक (₹ 1 करोड़) तथा (4) अनुदान ग्राही संस्थानों-बौद्ध तिब्बती संस्थानों और स्मारकों (₹ 8.70 करोड़) (5) कला संस्कृति विकास योजना (₹ 10.5 करोड़) (ii) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) अकादमियों को सहायता (₹ 6.45 करोड़) (2) पुस्तकालयों को सहायता (₹ 2 करोड़) (3) संग्रहालयों को सहायता (₹ 18.97 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	(i) Grant-in-aid General under the scheme:- (1) Support to Libraries (₹8.09 crore), (2) Support to Museums (₹26.47 crore), (3) Buddhist Tibetan Institution and Memorials (₹1 crore), (4) Grantee Bodies- Buddhist Tibetan Institution and Memorials (₹8.70 crore) and (5) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹10.5 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme:- (1) Support to Akademies (₹ 6.45 crore), (2) Support to Libraries (₹2 crore) and (3) Support to Museums (₹18.97 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(ii) संग्रहालयों को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 1.05 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Support to Museums (₹ 1.05 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	मुख्य निर्माण कार्य 1. राष्ट्रीय संग्रहालय (₹ 6.33 करोड़), और कला संस्कृति विकास योजना (₹ 20 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 26.33 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	Major Works for (1) National Museum (₹ 6.33 crore), and (2) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 20 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 26.33 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	107.46	205018.34	205125.80
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	107.46	205018.34	205125.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1400.00	1400.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1400.00	1400.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	107.46	206418.34	206525.80
राजस्व	Revenue	107.46	206418.34	206525.80
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	...	600.00	(कa) 600.00
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	...	400.00	(खb) 400.00
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	...	400.00	(गc) 400.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1400.00	1400.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सेना के लिए भंडार (₹ 100 करोड़) और परिवहन (₹ 500 करोड़) के तहत ₹ 600 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
- (ख) नौसेना के लिए भंडार (₹ 360 करोड़) और परिवहन (₹ 40 करोड़) के तहत ₹ 400 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
- (ग) वायु सेना के लिए भंडार (₹ 205.12 करोड़) और परिवहन (₹ 194.88 करोड़) के तहत ₹ 400 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। उपर्युक्त पूरक अनुदानों में ₹ 1400 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional requirement of ₹ 600 crore under Stores (₹ 100 crore) and Transport (₹ 500 crore) for Army;
- (b) meeting additional requirement of ₹ 400 crore under Stores (₹ 360 crore) and Transport (₹ 40 crore) for Navy;
- (c) meeting additional requirement of ₹ 400 crore under Stores (₹ 205.12 crore) and Transport (₹ 194.88 crore) for Air Force. The above supplementaries will entail ₹ 1400 crore as cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)
(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2326.00	2326.00
पूंजी	Capital	...	734.00	734.00
जोड़	Total	...	3060.00	3060.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	110.00	110.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	110.00	110.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	100.36	100.36
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	100.36	100.36
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3270.36	3270.36
राजस्व	Revenue	...	2536.36	2536.36
पूंजी	Capital	...	734.00	734.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	100.36	100.36

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमों के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करना :- 1. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना जैसे (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नरकॉम परियोजना के संवर्धन के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए (₹ 20.45 करोड़) सामान्य अनुदान सहायता (₹ 16 करोड़); (ख) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण के संवर्धन के लिए सहायता" के लिए प्राधान्यों को बढ़ाने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3 करोड़) और सामान्य अनुदान सहायता (₹ 7 करोड़) और (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं की सहायता के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 53.91 करोड़)।
- (ii) नव सृजित उप शीर्ष "प्राकृतिक आपदाएं" में 2017 में बाढ़ के कारण पूर्णतया क्षतिग्रस्त, बह गए अवसंरचनाओं के पुर्ननिर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान मुहैया कराना (₹ 100 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 100.36 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर और अनुदान के इसी खंड में ₹ 100 करोड़ की बचतों का उपयोग करते हुए उपयुक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (i) providing additional funds under the Schemes of North Eastern Council as (a) Grants-in-aid General (₹ 16.00 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 20.45 crore) for 'Augmentation of NERCORM Project in North Eastern Region'; (b) Grants-in-aid General (₹ 3.00 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 7.00 crore) to augment the provision for 'Support for Promotion of Industrialisation in North Eastern Region; and (c) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 53.91 crore) for 'Support to projects related with Tourism in North Eastern Region'.
- (ii) providing 'Grants for creations of Capital Assets' for meeting additional expenditure for re-building of totally damaged/washed away infrastructure due to floods in 2017, in new sub-head 'Natural Calamities' (₹ 100 crore) .
Taking into account the surrender of savings of ₹ 100.36 crore available in the Capital Section of the Grant and utilising the savings of ₹ 100.00 crore in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)
(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	22356.60	22356.60
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	22356.60	22356.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	22356.63	22356.63
राजस्व	Revenue	...	22356.63	22356.63
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	0.01	(का) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) नव सृजित शीर्ष स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अंतर्गत 'नाबार्ड ऋण के ब्याज की अदायगी' के अंतर्गत भुगतान के लिए धनराशि मुहैया कराना (₹ 8.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के बाहर से शामिल की गई परियोजनाओं (ईएपी) के घटक के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराने के लिए (₹ 973.19 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) providing funds for payment under the newly created head 'Interest repayment of NABARD Loan' under the scheme Swachh Bharat Mission (Gramin) (₹ 8.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional funds under Externally Added Projects (EAP) component of Swachh Bharat Mission (Gramin) (₹ 973.19 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)
(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1704.28	1704.28
पूंजी	Capital	...	100.00	100.00
जोड़	Total	...	1804.28	1804.28
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1804.33	1804.33
राजस्व	Revenue	...	1704.31	1704.31
पूंजी	Capital	...	100.02	100.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403-Oceanographic Research	...	0.01	(क) 0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	(ख) 0.01
3455-मौसम विज्ञान	3455-Meteorology	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5455-मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	5455-Capital Outlay on Meteorology	...	0.01	(घ) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) व्यय पूरा करने के लिए 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) महासागर सेवा प्रौद्योगिकी प्रेक्षण संसाधन प्रतिरूपण एवं विज्ञान (ओ-स्टॉर्मस (₹ 27.50 करोड़) (ii) राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केन्द्र गोवा, एनएसीओआर (₹ 2 करोड़) 2. राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केन्द्र, गोवा (एनएसीओआर) (₹ 2 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान 3. सहायता अनुदान वेतन (i) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नै (₹ 12.68 करोड़) (ii) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, हैदराबाद (₹ 5 करोड़) (iii) राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केन्द्र, गोवा, (एनएसीओआर) (₹ 1 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदानों हेतु।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण पट्टा (रीचआउट) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1.47 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards 1. Grants in Aid General for (i) 'Ocean Services Technology Observations Resources Modelling and Sciences (O-STORMS)' (₹ 27.50) (ii) National Centre for Antarctic and Ocean Research, Goa, NACOR (₹ 2 crore) 2. Grants for creation of capital assets for National Centre for Antarctic and Ocean Research, Goa, NACOR (₹ 2 crore) 3. Grants in aid Salaries for (i) National Institute of Ocean Technology, Chennai (₹ 12.68 crore) (ii) Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad (₹ 5 crore) (iii) National Centre for Antarctic and Ocean Research, Goa, NACOR (₹ 1 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting expenditure towards Grants in Aid General (₹ 10 crore) and Grant for creation of capital assets (₹ 1.47 crore) for 'Research Education and Training Outreach (REACHOUT)'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| (ग) | <p>व्यय पूरा करने के लिए (i) भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे (आईआईटीएम) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 30.52 करोड़) तथा (ii) भूकंप विज्ञान और भू-विज्ञान (एसएजीई) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 8 करोड़) हेतु।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।</p> | (c) | <p>meeting expenditure towards (i) Grants in Aid General for Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune (IITM) (₹ 30.52 crore) and (ii) Grant for creation of capital assets for 'Seismological & Geosciences (SAGE)' (₹ 8 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| (घ) | <p>कराड (महाराष्ट्र) में बोरहोल भू-भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (बीजीआरएल) परिसर के लिए मुख्य निर्माण कार्य हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 3.50 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | (d) | <p>meeting expenditure towards Major Works for Borehole Geophysics Research Laboratory (BGRL) complex at Karad (Maharashtra) (₹ 3.50 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 26
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)
(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5675.00	5675.00
पूंजी	Capital	...	325.00	325.00
जोड़	Total	...	6000.00	6000.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	200.01	200.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	200.01	200.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	174.83	174.83
पूंजी	Capital	...	6.17	6.17
जोड़	Total	...	181.00	181.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6381.01	6381.01
राजस्व	Revenue	...	6049.84	6049.84
पूंजी	Capital	...	331.17	331.17

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	99.19	(का) 99.19
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	29.00	(खb) 29.00
2852-उद्योग	2852-Industries	...	46.64	(गc) 46.64
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	174.83	174.83
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4859-Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries	...	6.17	(घd) 6.17
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	181.00	181.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के संबंध में वेतन (₹ 99.19 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।	(a)	meeting expenditure towards: (i) Salary in respect of National Informatics Centre (₹ 99.19 crore).
(ख)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए राष्ट्रीय ज्ञान तंत्र कार्यक्रम के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 104 करोड़)।	(b)	The above expenditure will entail a cash outgo; meeting expenditure towards Grants-in-Aid General in respect of National Knowledge Network Programme for the benefit of North Eastern Region (₹ 104 crore).
(ग)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 29 करोड़ का नकद व्यय होगा। 1. (i) "पीएमजीडीआईएसएचए" (₹ 38 करोड़) और "राष्ट्रीय ज्ञान तंत्र कार्यक्रम" (₹ 4 करोड़) के अनुसूचित जाति घटक तथा (ii) "राष्ट्रीय ज्ञान तंत्र कार्यक्रम" (₹ 62 करोड़), (iii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (₹ 21.87 करोड़) और (iv) "सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/सीसीबीटी में अनुसंधान एवं विकास" (₹ 10 करोड़) के अनुसूचित जनजाति घटक के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (2) "समीर" (₹ 27.29 करोड़) और सी-मेट ((₹ 4.71 करोड़) के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (3) "भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण" (₹ 10 करोड़) के संबंध में वेतन सहायता अनुदान (4) "मानकीकरण,	(c)	Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo ₹ 29 crore. meeting expenditure towards 1. Grants-in-Aid General in respect of (i) Scheduled Caste component of "PMGDISHA" (₹ 38 crore) and "National Knowledge Network Programme" (₹ 4 crore) and (ii) Scheduled Tribe component of "National Knowledge Network Programme" (₹ 62 crore), (iii) "Unique Identification Authority of India" (₹ 21.87 crore) and (iv) "R&D in Information Technology/ Electronics/CCBT" (₹ 10 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets in respect of "SAMEER" (₹ 27.29 crore) and "C-MET"

परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन-एसटीक्यूसी" (₹ 2 करोड़) के संबंध में कार्यालय व्यय तथा 5. "आईटी एवं आईटीईएस उद्योगों के संवर्धन के संबंध में अन्य प्रभागों (₹ 18.81 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 46.64 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (घ) साइबर सुरक्षा (एनसीसीसी एवं अन्य) कार्यक्रम (₹ 8.17 करोड़) के संबंध में मशीनरी एवं उपस्कर हेतु व्यय पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 6.17 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(₹4.71 crore) 3. Grants-in-Aid-Salary in respect of "Unique Identification Authority of India" (₹ 10 crore) 4. Office Expenses in respect of "Standardisation, Testing and Quality Certification-STQC" (₹ 2 crore) and 5. Other Charges in respect of "Promotion of IT & ITeS Industries" (₹ 18.81 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo ₹ 46.64 crore.

meeting expenditure towards Machinery & Equipment in respect of Cyber Security (NCCC & Others) Programme (₹ 8.17 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 6.17 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2594.67	2594.67
पूंजी	Capital	...	88.75	88.75
जोड़	Total	...	2683.42	2683.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	50.01	50.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	50.01	50.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	38.75	38.75
पूंजी	Capital	0.49	0.01	0.50
जोड़	Total	0.49	38.76	39.25
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.49	2772.19	2772.68
राजस्व	Revenue	...	2683.43	2683.43
पूंजी	Capital	0.49	88.76	89.25
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	38.74	(क) 38.74
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	38.75	38.75
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	0.49	(ग) 0.01	(घ) 0.50
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.49	38.76	39.25

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सामान्य अनुदान सहायता (₹ 11 करोड़) (ii) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (₹ 1.57 करोड़) (iii) भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (₹ 18 करोड़) (iv) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (₹ 0.90 करोड़) (v) भारतीय वन्यजीवन संस्थान (₹ 9 करोड़), (vi) केन्द्रीय प्राणीउद्यान प्राधिकरण (₹ 2.50 करोड़), (vii) पशु कल्याण बोर्ड (₹ 9.70 करोड़), (viii) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (₹ 3.80 करोड़), (ix) वन्यजीवन वास विकास (₹ 5 करोड़) पर व्यय को पूरा करने के लिए। (2) पूंजी अस्तित्वों के सृजन के लिए अनुदान (i) वानिकी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण (₹ 0.50 करोड़) (ii) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (₹ 13.01 करोड़), (iii) भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (₹ 6 करोड़), (3) अनुदान सहायता वेतन (i) भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (₹ 4.12 करोड़), (ii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान (₹ 0.30 करोड़), (iii) भारतीय वन्यजीवन संस्थान (₹ 1 करोड़), (iv) पशु कल्याण बोर्ड (₹ 0.30 करोड़) (4) इको टास्क फोर्स के लिए अन्य संविदात्मक सेवाएं (₹ 76.50 करोड़)।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) Meeting expenditure towards 1. Grants in aid General for (i) Forestry Training and Capacity Building (₹ 11 crore) (ii) Indian Institute of Forest Management (₹ 1.57 crore) (iii) Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 18 crore) (iv) Indian Plywood Industries Research and Training Institute (₹ 0.90 crore) (v) Wildlife Institute of India (₹ 9 crore) (vi) Central Zoo Authority (₹ 2.50 crore) (vii) Animal Welfare Board (₹ 9.70 crore) (viii) National Tiger Conservation Authority (₹ 3.80 crore) (ix) Development of Wildlife Habitats (₹ 5 crore) 2. Grants for creation of capital Assets for (i) Forestry Training and Capacity Building (₹ 0.50 crore) (ii) Indian Institute of Forest Management (₹ 13.01 crore) (iii) Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 6 crore) 3. Grants in aid Salaries for (i) Indian Institute of Forest Management (₹ 4.12 crore) (ii) Indian Plywood Industries Research and Training Institute (₹ 0.30 crore) (iii) Wildlife Institute of India (₹ 1 crore) (iv) Animal Welfare Board (₹ 0.30 crore) 4. Other contractual services for Eco Task Force (₹ 76.50 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 38.74 करोड़ के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए एवं अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) निम्नलिखित मदों पर व्यय को पूरा करने के लिए (1) सामान्य अनुदान सहायता (i) एससीएसपी घटक के तहत हिमालयन अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन (₹ 2.65 करोड़), (ii) एससीएसपी घटक के तहत पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण (₹ 9 करोड़), (iii) प्रदूषण में कमी (₹ 2 करोड़), (iv) पर्यावरण सूचना प्रणाली (₹ 29.72 करोड़), (v) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (₹ 41.26 करोड़) (vi) राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (₹ 3.50 करोड़) (vii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (ईएपी) (₹ 2 करोड़), (viii) राष्ट्रीय तटीय मिशन (₹ 3 करोड़), (ix) पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण (₹ 17 करोड़), (2) पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) खतरनाक पदार्थ प्रबंधन (₹ 2 करोड़), (ii) जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान (₹ 1 करोड़), (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (₹ 3.60 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) भारत के वनस्पति सर्वेक्षण के लिए 'मुख्य निर्माण कार्यों' के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.49 करोड़)।
अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (घ) (i) भारत के वनस्पति सर्वेक्षण के लिए (₹ 1.51 करोड़), (ii) राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (₹ 6.71 करोड़) के प्रमुख कार्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the surrender of savings of ₹ 38.74 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Meeting expenditure towards 1. Grants in aid General for (i) National Mission on Himalayan Studies under SCSP component (₹2.65 crore) (ii) Environment Education, Awareness and Training under SCSP component (₹ 9 crore) (iii) Pollution Abatement (₹2 crore) (iv) Environmental Information System (₹29.72 crore) (v) Central Pollution Control Board (₹41.26 crore) (vi) National Biodiversity Authority (₹3.50 crore) (vii) National River Conservation Programme (EAP) (₹2 crore) (viii) National Coastal Mission (₹3 crore) (ix) Environment Education, Awareness and Training (₹17 crore) 2. Grants for creation of capital assets for (i) Hazardous Substance Management (₹ 2 crore) (ii) GB Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹1 crore) (iii) Central Pollution Control Board (₹3.60 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting expenditure towards 'Major works' for Botanical Survey of India (₹ 0.49 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Meeting expenditure towards Major Works for (i) Botanical Survey of India (₹ 1.51 crore) (ii) National Museum of Natural History (₹ 6.71 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 28

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)
(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	13374.47	13374.50
पूंजी	Capital	...	1636.50	1636.50
जोड़	Total	0.03	15010.97	15011.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	250.00	250.00
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	250.01	250.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1012.00	1012.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1012.00	1012.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	16272.98	16273.01
राजस्व	Revenue	0.03	14636.47	14636.50
पूंजी	Capital	...	1636.51	1636.51
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	...	559.00	(का) 559.00
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	453.00	(खब) 453.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1012.00	1012.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के तहत व्यय पूरा करने के लिए (i) एयर इण्डिया के हवाई जहाज के अनुरक्षण लागत के लिए 'अन्य प्रभार' (₹ 259 करोड़) (ii) विशेष कूटनीतिक व्यय के लिए अन्य प्रभार (₹ 300 करोड़) (iii) अन्य विकासशील देशों के लिए सोसायटी फॉर रिसर्च एण्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.60 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 300 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त में ₹259 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) निम्नलिखित के अंतर्गत 'अंशदान' के तहत व्यय को पूरा करने के लिए (i) चालू परियोजना के बिलों के निपटान के लिए मालदीव को सहायता (₹ 312 करोड़) (ii) चालू परियोजनाओं के भुगतान का निपटान करने के लिए मारीशस को सहायता (₹ 90 करोड़) (iii) चालू परियोजनाओं के भुगतान का निपटान करने के लिए नेपाल को सहायता (₹ 51 करोड़) (iv) पूरा होने वाली मांगदेहू एचईपी को समय पर बिजली देने के लिए भूतान को सहायता (₹ 151 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 141 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त में ₹312 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting expenditure towards (i) 'Other Charges' for Maintenance cost of Aircraft of Air India (₹ 259 crore) (ii) Other Charges for Special Diplomatic Expenditure (₹ 300 crore) (iii) Grants in aid General for Society for Research and Information system for other developing countries (₹ 3.60 crore).
Taking into account the surrender of savings of ₹ 300 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 259 crore.
- (b) Meeting expenditure towards 'Contribution' under (i) Aid to Maldives for settlement of bills of ongoing project (₹ 312 crore) (ii) Aid to Mauritius to settle the payment of ongoing projects (₹ 90 crore) (iii) Aid to Nepal to settle the payment of ongoing projects (₹ 51 crore) (iv) Aid to Bhutan for timely evacuation of power with Mangdechhu HEP nearing completion (₹ 151 crore).
Taking into account the surrender of savings of ₹ 141 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 312 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)
(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4871.23	4871.23	
पूंजी	Capital	13458.23	13458.23	
जोड़	Total	18329.46	18329.46	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	0.03	
पूंजी	Capital	0.02	0.02	
जोड़	Total	0.05	0.05	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	2.99	2.99	
पूंजी	Capital	13478.37	13478.37	
जोड़	Total	13481.36	13481.36	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	31810.87	31810.87	
राजस्व	Revenue	4874.25	4874.25	
पूंजी	Capital	26936.62	26936.62	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2416-कृषि वित्तीय संस्थान	2416-Agricultural Financial Institutions	0.01	(कa)	0.01
3466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions	2.97	(खb)	2.97
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	2.99		2.99
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	3200.00	(घd)	3200.00
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	1000.00	(ङe)	1000.00
5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	9278.34	(चf)	9278.34
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	7465-Loans to General Financial and Trading Institutions	0.01	(छg)	0.01
7466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	7466-Loans to International Financial Institutions	0.01	(जh)	0.01
7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	7610-Loans to Government Servants, etc.	0.01	(झा)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	13478.37		13478.37
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	13481.36		13481.36

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग**REVENUE SECTION**

3466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions	...	(-2.97	(-2.97
4046-मुद्रा, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	4046-Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint	...	(-3200.00	(-3200.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि-(आईएफएडी) को अंशदान (₹ 14.56 करोड़) और (ii) आईएफएडी को रियायती पार्टनर ऋण की पहली किस्त (₹ 52.03 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	(i) Contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD) (₹ 14.56 crore) and (ii) 1st instalment of Concessional Partner Loan (CPL) to IFAD (₹ 52.03 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	एशियाई विकास निधि XII को अंशदान (₹ 2.97 करोड़)। समतुल्य वसूलियों के मद्देनजर उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	Contribution to Asian Development Fund XII (₹ 2.97 crore). Taking into account the matching recoveries, the above expenditure will not entail cash outgo;	
(ग)	बैंक को हैंडलिंग प्रभारों सहित कमीशन का भुगतान और स्वर्ण मौद्रिकरण योजना 2015 के लिए सोने की ई-नीलामी के लिए एएमटीसी ₹ 39.50 करोड़), (ii) सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना (2015) के लिए भुगतान (₹ 275 करोड़), (iii) स्वर्ण मौद्रिकरण योजना 2015 के तहत स्वर्ण आरक्षित निधि (₹ 290 करोड़), (iv) एड्स, तपेदिक और मलेरिया की वैश्विक निधि में अंशदान (₹ 2.23 करोड़), (v) ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सिनेशन एंड इम्युनाइजेशन को अंशदान (₹ 1.25 करोड़) और (vi) आर्थिक प्रकोष्ठ भारतीय दूतावास, वाशिंगटन (₹ 0.58 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	(i) commission payment including handling charges to Banks and MMTC for e-auction of Gold for Gold Monetization Scheme 2015 (₹39.50 crores), (ii) payment towards Sovereign Gold Bond Scheme 2015 (₹275 crore), (iii) Gold Reserve Fund under Gold Monetization Scheme 2015 (₹ 290 crore), (iv) Contribution to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (GFATM) (₹2.23 crore), (v) Contribution towards Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) (₹1.25 crore) and (vi) Economic Wing of Embassy of India, Washington (₹0.58 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(घ)	स्वर्ण मौद्रिकरण योजना के अंतर्गत स्वर्ण को जमा करना (₹ 3200 करोड़)। उपलब्ध समतुल्य वसूलियों के मद्देनजर उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(d)	deposit of gold under Gold Monetization Scheme (₹ 3200 crore). Taking into account the matching recoveries available, the above expenditure will not entail cash outgo;	
(ङ)	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) लि. को अंतरण (₹ 1000 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(e)	to transfer in National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) Ltd (₹ 1000 crore) Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo;	
(च)	(i) सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) को भुगतान (₹ 276.31 करोड़), (ii) चुनिंदा पूंजी वृद्धि (एससीआई) हेतु भुगतान (₹ 95.84 करोड़), (iii) एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) को अभिदान (₹ 301.23 करोड़), (iv) जीसीआई- VI के भुगतान के लिए अफ्रीकन विकास बैंक को अभिदान (₹ 0.53 करोड़), (v) एसडीआर होल्डिंग के लिए मुद्रा मूल्यांकन समायोजन (सीवीए) के कारण आईएमएफ को अभिदान (₹ 9278.34 करोड़), (vi) चौदहवें जीआरक्यू के प्रभाव में आने के बाद एसडीआर के सकल संचयी आबंटन पर एसडीआर प्रभारों का भुगतान ₹ 108 करोड़), (vii) पुनर्संरचना विकास यूरोपियन बैंक को अभिदान (₹ 29.90 करोड़) और (viii) ब्रिक्स - एनडीबी को अभिदान (₹ 120 करोड़)। आईएमएफ को वैल्यू अकाउंट के अनुरक्षण के लिए प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए ₹ 9278.34 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों और अनुदान के राजस्व भाग में बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(f)	(i) payment towards General Capital Increase (GCI) (₹276.31 crore), (ii) payment towards Selective Capital Increase (SCI) (₹95.84 crores), (iii) Subscription to Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (₹301.23 crore), (iv) Subscription to African Development Bank (AfDB) for payment of GCI-VI (₹ 0.53 crore), (v) Subscription to IMF due to Currency Valuation Adjustments (CVA) against SDR holding (₹9278.34 crore), (vi) payment of SDR charges on Net Cumulative Allocation(NCA) of SDR consequent to the effectiveness of the 14th GRQ (₹108 crore), (vii) Subscription to European Bank for Reconstruction Development (EBRD) (₹29.90 crore) and (viii) Subscription to BRICS-NDB (₹120 crore). Taking into account, surrender of savings in the Revenue Section of the Grant and additional receipts of ₹ 9278.34 for issuance of securities for Maintenance of Value Account to IMF, the above expenditure will not entail cash outgo.	
(छ)	एडीबी एवं केएफडब्ल्यू की इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंसियल सर्विसेज लि. द्वारा ऋण चुकाने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अनुमोदित अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति (₹ 20.76 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में, उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(g)	recoupment of an advance sanctioned from Contingency Fund of India for repayment of loan by Infrastructure Leasing & Financial Services Limited (IL&FS) to ADB & KfW (₹ 20.76 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ज)	अफ्रीकन विकास बैंक (एएफडीबी) को ब्रिज ऋण (₹ 3 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(h)	Bridge Loans to African Development Bank (AfDB) (₹ 3 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(झ)	सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) (₹ 50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(i)	House Building Advance (HBA) to Government servants (₹ 50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 30

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	413.33	413.33
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	413.33	413.33
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	413.34	413.34
राजस्व	Revenue	...	413.34	413.34
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रयोजन शीर्ष "लघु निर्माण कार्य" के अंतर्गत त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आदि में स्थापित पीएफएमएस की राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) के लिए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा आबंटित कार्यालयों का नवीकरण/मरम्मत (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

renovation/repair of office spaces allotted by Central/State Govt. for the State Project Management Units (SPMUs) of PFMS set up at Tripura, Rajasthan, Maharashtra, Uttarakhand etc. under Object Head "Minor Works" (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 31

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)
(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1739.05	1739.05	
पूंजी	Capital	69838.01	69838.01	
जोड़	Total	71577.06	71577.06	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	
पूंजी	Capital	20.00	20.00	
जोड़	Total	20.00	20.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.10	0.13	
पूंजी	Capital	41000.02	41000.02	
जोड़	Total	0.10	41000.05	41000.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.10	112597.11	112597.21
राजस्व	Revenue	0.10	1739.08	1739.18
पूंजी	Capital	...	110858.03	110858.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	0.10 (का)	0.01 (खb)	0.11
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (गc)	0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.10	0.03	0.13
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4416-कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions	...	0.01 (डेe)	0.01
4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीपरिव्यय	4885-Other Capital Outlay on Industries and Minerals	...	0.01 (चf)	0.01
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	41000.00 (छg)	41000.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	41000.02	41000.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.10	41000.05	41000.15

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एनएचआरसी के आदेश (न्यायालय डिक्री) के अनुपालन में ऋण वसूली अधिकरण के तहत पांच व्यक्तियों को मुआवजा (₹ 0.10 करोड़)।
- (ख) अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्षण के मद्देनजर, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
पीएफआरडीए को सहायता अनुदान (वेतन) (₹ 2.5 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) 60 वर्ष और अधिक उम्र के व्यक्तियों को सब्सिडी देने हेतु प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई) (₹ 80.17 करोड़)। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जा रही है।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) providing compensation in compliance of the order (Court Decree) of National Human Rights Commission to five persons under Debts Recovery Tribunals (₹ 0.10 crore).
- (b) Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of Grant, the above expenditure will not entail cash outgo; Grants-in-aid (Salary) to PFRDA (₹ 2.5 crore).
- (c) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Pradhan Mantri Vaya Vandan Yojana (PMVVY) for Subsidy to elderly persons aged 60 and above (₹ 80.17 crore), a scheme being implemented through LIC of India.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(घ)	भारतस्त आस्तियां स्थिरीकरण निधि (एसएसएसएफ) को जारी की गई प्रतिभूतियों का मोचन (₹ 225 करोड़)। चूंकि इस व्यय की पूर्ति ₹ 225 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों से हो जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(d)	redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF) (₹ 225 crore). Since this expenditure is matched with additional receipts of ₹ 225 crore, the above expenditure will not entail cash outgo;
(ङ)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनः पूंजीकरण (₹ 245 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	re-capitalisation of Regional Rural Banks (RRBs) (₹ 245 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता (₹ 199.99 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(f)	Equity support to Industrial Finance Corporation of India (IFCI) (₹ 199.99 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	निम्नलिखित का व्यय पूरा करना (i) राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के हित लाभ की अधिग्रहण लागत (₹ 1450 करोड़) (ii) सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण (₹ 41,000 करोड़)। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रतिभूतियां जारी करने से ₹ 41,000 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग करने के बाद इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(g)	meeting expenditure towards (i) acquisition cost of Reserve Bank of India's stake in National Housing Bank (₹ 1,450 crore) (ii) recapitalisation of Public Sector Banks through issue of Government securities (₹ 41,000 crore). Taking into account the additional receipts of ₹ 41,000 crore by issue of securities to the Public Sector Banks, and after utilising the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 32

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

DEPARTMENT OF INVESTMENT AND PUBLIC ASSET MANAGEMENT (DIPAM)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	44.00	44.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	44.00	44.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	27.15	27.15
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	27.15	27.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	75.00	75.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	75.00	75.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	146.15	146.15
राजस्व	Revenue	...	146.15	146.15
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	75.00	75.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्थापना संबंधी व्यय (i) विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 45 करोड़) और (ii) व्यावसायिक सेवाएं (₹ 30 करोड़)।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

establishment related expenditure (i) Advertisement and Publicity (₹45 crore) and (ii) Professional Services (₹ 30 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 33

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	180941.24	180941.26
पूंजी	Capital	...	8.44	8.44
जोड़	Total	0.02	180949.68	180949.70
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	180949.70	180949.72
राजस्व	Revenue	0.02	180941.25	180941.27
पूंजी	Capital	...	8.45	8.45
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ)(₹ 0.65 करोड़) और धन रोधी यूरोशिया समूह (ईएजी) (₹ 0.52 करोड़) के कारण अंतराष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध व्यय।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) वस्तु एवं सेवा कर तंत्र - विशेष प्रयोजन व्यवस्था (जीएसटीएन-एसपीवी) में 25.5% शेयरों का अधिग्रहण (₹ 2.55 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) committed expenditure towards International Cooperation on account of Financial Action Task Force (FATF) (₹ 0.65 crore) and Eurasian Group on Combating Money (EAG) (₹ 0.52 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) acquisition of 25.5% shares in Goods and Service Tax Network - Special Purpose Vehicle- (GSTN- SPV) (₹ 2.55 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 34

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)
(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6728.00	6728.00
पूंजी	Capital	...	254.00	254.00
जोड़	Total	...	6982.00	6982.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	100.00	100.00
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	100.02	100.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7082.04	7082.04
राजस्व	Revenue	...	6828.00	6828.00
पूंजी	Capital	...	254.04	254.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure	...	100.00	(क)	100.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(ख)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(ग)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02		0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	100.02		100.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) किराया, दर व कर के लिए अतिरिक्त प्रावधान (₹ 100 करोड़)। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) (i) कार्यालय भवन का 57, राम तीर्थ मार्ग, लखनऊ में निर्माण (₹ 12 करोड़) (ii) गुरुग्राम स्थित 2.3 एकड़ भूमि की खरीद और निर्माण (₹ 22 करोड़) और (iii) इरोड, तमिलनाडु में कार्यालय भवन का निर्माण (₹ 2 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) अन्ना नगर, चेन्नै में आवासीय क्वार्टरों (टाइप-II, III और IV) का निर्माण (₹ 5 करोड़)।

अनुदान की इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) additional provision for Rent, Rates & Taxes (₹ 100 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;

(b) (i) construction of office building at 57, Ram Tirath Marg, Lucknow (₹ 12 crore), (ii) purchase of land measuring 2.3 acre at Gurgaon and construction thereon (₹ 22 crore) and (iii) Construction of office building at Erode, Tamil Nadu (₹ 2 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Construction of residential quarters (Type-II, III and IV) at Anna Nagar, Chennai (₹ 5 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)
(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	7418.00	7418.50
पूंजी	Capital	...	407.00	407.00
जोड़	Total	0.50	7825.00	7825.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	7825.03	7825.53
राजस्व	Revenue	0.50	7418.02	7418.52
पूंजी	Capital	...	407.01	407.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2042-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं एकीकृत वस्तुप और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	2042-Collection Charges under Central Goods and Services Tax and Integrated Goods and Services Tax	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) के अंतर्गत संग्रहण प्रभारों की लेखांकन प्रक्रिया में संशोधन (₹1858 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (ख) राजस्व आसूचना विभाग की यूनिटों (i) जामनगर क्षेत्रीय इकाई (₹ 12.87 करोड़), (ii) चेन्नै (₹ 21.78 करोड़) (iii) दिल्ली (₹ 9.01 करोड़) और (iv) अहमदाबाद (₹ 27.69 करोड़) स्थित आसूचना इकाइयों के लिए कार्यालय परिसर हेतु भूमि का अधिग्रहण/खरीद/निर्माण।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Amendment in accounting procedure of collection charges under Central Goods and Services Tax (CGST) and Integrated Goods and Services Tax (IGST) (₹ 1858 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) acquisition / purchase / construction of land for office premises for D/o Revenue Intelligence Units at (i) Jamnagar Regional Unit (₹12.87 crore), (ii) Chennai (₹ 21.78 crore), (iii) Delhi (₹ 9.01 crore) and (iv) Ahmadabad (₹ 27.69 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 36
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)
(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	160.53	4453.59	4614.12
पूंजी	Capital	...	16.00	16.00
जोड़	Total	160.53	4469.59	4630.12
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	14.00	14.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	14.00	14.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	6.76	175.13	181.89
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	6.76	175.13	181.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	167.29	4658.72	4826.01
राजस्व	Revenue	167.29	4642.72	4810.01
पूंजी	Capital	...	16.00	16.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit	6.76 (का)	175.13 (खb)	181.89
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit	(-)2.27	(-)3.35	(-)5.62

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वेतन और अन्य स्थापना संबंधी मदें।
₹ 2.27 करोड़ की वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 4.49 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) वेतन और अन्य स्थापना संबंधी मदें।
₹ 3.35 करोड़ की वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 171.78 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) Salaries and other establishment related items.
Taking into account recoveries of ₹ 2.27 crore, the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 4.49 crore.
- (b) Salaries and other establishment related items.
Taking into account recoveries of ₹ 3.35 crore, the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 171.78 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 41

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1400.00	1400.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1400.00	1400.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1400.03	1400.03
राजस्व	Revenue	...	1400.03	1400.03
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) "कृषि प्रसंस्करण समूह के लिए अवसरचना" स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने के लिए (₹ 10 करोड़)।
- (ii) स्वच्छता कार्यवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु अन्य प्रभार (₹ 0.06 करोड़)।

इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) Grants-in-aid-General under the scheme of "Infrastructure for Agro-processing Clusters" (₹ 10 crore).
- (ii) Other Charges for implementation of Swachhta Action Plan (₹ 0.06 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32-33 देखिये)
(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 32-33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
I. मूल अनुदान:				
राजस्व	Revenue	...	74349.45	74349.45
पूंजी	Capital	...	2720.40	2720.40
जोड़	Total	...	77069.85	77069.85
I. ORIGINAL GRANT:				
पूरक अनुदान:				
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.06	0.06
SUPPLEMENTARY GRANT:				
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:				
राजस्व	Revenue	...	1031.07	1031.07
पूंजी	Capital	...	40.01	40.01
जोड़	Total	...	1071.08	1071.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	78140.99	78140.99
राजस्व	Revenue	...	75380.56	75380.56
पूंजी	Capital	...	2760.43	2760.43
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग				
मुख्य शीर्ष				
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	150.00 (का)	150.00
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	448.76 (खb)	448.76
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	0.01 (गc)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	27.50 (घd)	27.50
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	109.00 (ङe)	109.00
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (चf)	0.01
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	...	295.79 (छg)	295.79
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1031.07	1031.07
पूंजी भाग				
मुख्य शीर्ष				
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	40.00 (जh)	40.00
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01 (झi)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	40.01	40.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1071.08	1071.08

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	(-)295.79	(-)295.79

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'सीजीएचएस में पेंशनभोगियों की चिकित्सा (पीओआरबी)' के अंतर्गत व्यय (₹ 230 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें ₹ 150 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ख) (i) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) आयुषमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- (₹ 1346 करोड़) 2. पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़- (₹ 30 करोड़) 3. एम्स नई दिल्ली (₹ 43 करोड़) 4. एम्स की तरह सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना सह - तकनीकी संस्थाएं और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (₹ 190 करोड़) 5. राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹ 281.01 करोड़) और 6. संचारी रोगों के लिए फ्लैक्सिबल पूल (₹ 30 करोड़) (ii) स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान 1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (₹ 120 करोड़) 2. पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़- (₹ 100 करोड़) 3. एम्स नई दिल्ली (₹ 797 करोड़) और 4. एम्स की तरह सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना सह - तकनीकी संस्थाएं और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (₹ 45 करोड़) (iii) स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन 1. एम्स नई दिल्ली (₹ 280 करोड़) 2. पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़- (₹ 137.02 करोड़) 3. जेआईपीएमईआर पुदुचेरी (₹ 10 करोड़) 4. एनआईएमएचएनएस बैंगलुरु (₹ 29.65 करोड़) 5. लाला रामसरूप क्षयरोग और संबद्ध रोग संस्थान (₹ 10.39 करोड़) 6. नई दिल्ली क्षय राग केंद्र (₹ 0.88 करोड़) और 7. राष्ट्रीय जैवविज्ञानी संस्थान, नोएडा (₹ 0.90 करोड़) (iv) स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार 1. राष्ट्रीय आरोग्य निधि - कैंसर से पीड़ित निर्धन रोगियों की अस्पतालों में भर्ती हेतु सहायता (₹ 7.50 करोड़) 2. राष्ट्रीय आरोग्य निधि - कैंसर के अलावा खतरनाक रोगों से पीड़ित निर्धन रोगियों की अस्पतालों में भर्ती हेतु सहायता (₹ 7.50 करोड़) और 3. राष्ट्रीय आरोग्य निधि - अतिविशिष्ट रोगों से पीड़ित निर्धन रोगियों की अस्पतालों में भर्ती हेतु सहायता (₹ 7.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें ₹ 448.76 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ग) (i) जनसंख्या स्थिरता कोष स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.00 करोड़) (ii) स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन 1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (₹ 1.45 करोड़) और 2. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (₹ 0.93 करोड़) (iii) स्थापना संबंधी व्यय और अन्य प्रभार 1. आशा लाभ पैकेज (₹ 1.51 करोड़) 2. आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल-रोटा वाइरस (₹ 36.42 करोड़) 3. जनसंख्या स्थिरता कोष (₹ 1.50 करोड़), (डीटीई- ₹ 0.02 करोड़, आरआरटी - ₹ 0.20 करोड़, ओई - ₹ 0.06 करोड़, ओएई - ₹ 0.10 करोड़, विज्ञापन और प्रचार - ₹ 0.95 करोड़, पीएस ₹ 0.10 करोड़ और ओसी ₹ 0.07 करोड़) तथा 4. परिवार कल्याण कार्यक्रम - स्टरलाइजेशन और आईयूडी इंसरेशन (₹ 0.12 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(घ) (i) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल (ईएसी) - ₹ 17.47 करोड़ 2. आशा लाभ पैकेज ₹ 49.63 करोड़ 3. आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल-रोटा वाइरस ₹ 58.27 करोड़ 4. आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल-रोटा वाइरस से अन्य ₹ 13.45 करोड़ 5. अन्य क्रियाकलापों के लिए एनआरएचएम के तहत अन्य स्वास्थ्य पद्धति का सुदृढीकरण ₹ 9.70 करोड़ 6. राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम - ₹ 33.01 करोड़ और 7. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंफाल ₹ 7.50 करोड़ (ii) स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान 1. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंफाल ₹ 231.33 करोड़ और 2. अन्य क्रियाकलापों के लिए एनआरएचएम के तहत अन्य स्वास्थ्य पद्धति का सुदृढीकरण के अलावा आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल ₹ 4.31 करोड़ (iii) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान वेतन 1. पूर्वोक्त इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग ₹ 18.00 करोड़ और 2. क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंफाल ₹ 63.15 करोड़।

The supplementary Grants are required for:

(a) Expenditure under the 'Medical Treatment of CGHS Pensioners (PORB)' (₹ 230 crore).

Taking into account savings available in the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 150 crore

(b) (i) Grant in Aid General under the scheme (1) Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (PMJAY) - (₹ 1346 Crore), (2) PGIMER, Chandigarh (₹ 30 Crore), (3) All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi (₹ 43 Crore), (4) Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals (₹ 190 Crore), (5) National AIDS and STD Control Programme (₹ 281.01 Crore) and (6) Flexible Pool for Communicable Diseases (₹ 30 Crore), (ii) Grants for Creation of Capital Asset under the scheme (1) Food Safety & Standards Authority of India (₹ 120 Crore), (2) PGIMER, Chandigarh - ₹ 100 Crore), (3) AIIMS, New Delhi. (₹ 797 Crore), and (4) Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals (₹ 45 Crore), (iii) GIA Salaries under the scheme (1) AIIMS, New Delhi (₹ 280.00 Crore), (2) PGIMER, Chandigarh - ₹ 137.02 Crore), (3) JIPMER, Puduchery (₹ 10 Crore), (4) NIMHANS, Bengaluru (₹ 29.65 Crore), (5) Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (₹ 10.39 Crore), (6) New Delhi TB Centre (₹ 0.88 Crore) and (7) National Institute of Biologicals, NOIDA (₹ 0.90 Crore), and (iv) Other Charges under the Scheme (1) Rashtriya Aarogya Nidhi - Assistance for hospitalization of Poor patients suffering from Cancer (₹ 7.50 Crore), (2) Rashtriya Aarogya Nidhi - Assistance for hospitalization of the Poor patients suffering from life-threatening Diseases Other than Cancer (₹ 7.50 Crore), and (3) Rashtriya Aarogya Nidhi - Assistance for hospitalization of the Poor patients suffering from rare diseases (₹ 7.50 Crore).

Taking into account saving available in same section of Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 448.76 crore.

(c) (i) Grant in Aid General under the scheme Jansankhya Stirtha Kosh (₹ 7 crore), (ii) Grant in Aid Salaries under the scheme (1) National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (₹ 1.45 crore) and (2) International Institute of Population Sciences Mumbai (₹ 0.93 crore) and (iii) Establishment related Expenditure & Other Charges (1) Asha Benefit Package (₹ 1.51 crore), (2) RCH Flexible Pool-Rota Virus (₹ 36.42 crore), (3) Jansakhya Stirtha Kosh (₹ 1.50 crore) (DTE- ₹ 0.02 crore, RRT- ₹ 0.20 crore, OE- ₹ 0.06 Crore, OAE- ₹ 0.10, Adv.&Pub.- ₹ 0.95 crore, P.S- ₹ 0.10 crore and O.C- ₹ 0.07 crore) and (4) Family Welfare Programme-Sterilisation and IUD Insertion (₹ 0.12 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) (i) GIA General under the scheme (1) RCH Flexible Pool (Externally Aided Component) (₹ 17.47 Crore), (2) Asha Benefit Package (₹ 49.63 Crore), (3) RCH Flexible Pool - Rota Virus (Domestic Budgetary Support) (₹ 58.27 Crore), (4) RCH Flexible Pool - Other than Rota-virus (Domestic Budgetary Support) (₹ 13.45 Crore), (5) Other Health System Strengthening under NRHM for Other Activities (₹ 9.70 Crore), (6) National AIDS & STD Control Programme (₹ 33.01 Crore) and (7) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 7.50 Crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (1) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 231.33 Crore) and (2) RCH Flexible Pool-Other Health System Strengthening under NRHM for Other Activities (₹ 4.31 Crore) and (iii) Grants in Aid Salaries under the scheme (1) North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences (NEIGRIMS) , Shillong (₹ 18.00 Crore) and (2) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 63.15 Crore).

- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए इसमें ₹27.50 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ड) (i) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्सपोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों का नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल (इएसी- ₹ 273.84 करोड़) 2. आशा लाभ पैकेज ₹ 381.33 करोड़) 3. दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्सपोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों का नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल - रोटा वाइरस (डीबीएस) ₹ 152.95 करोड़) (सामान्य- ₹115.07 करोड़, एससी- ₹ 9.71 करोड़, एसटी - ₹ 28.17 करोड़) 4. दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्सपोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों का नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल - रोटा वाइरस से अन्य (डीबीएस) ₹ 939.73 करोड़) (सामान्य- ₹ 643.32 करोड़, एससी- ₹ 212.69 करोड़, एसटी - ₹ 83.72 करोड़) 5. आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल - अन्य क्रियाकलापों के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत अन्य स्वास्थ्य पद्धति का सुदृढीकरण ₹ 397.00 करोड़) (सामान्य- ₹ 249.35 करोड़, एससी- ₹ 71.63 करोड़, एसटी - ₹ 76.02 करोड़) और 6. अन्य स्वास्थ्य योजना (प्रायोगिक) - मानव रेबीज नियंत्रण - ₹ 149.60 करोड़) (ii) स्वास्थ्य पद्धति का सुदृढीकरण स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान ₹ 88.99 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत और पूंजी भाग में ₹ 34 करोड़ के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें ₹ 75 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (च) (i) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान 1. दिनचर्या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्सपोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों का नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल (इएसी - ₹ 4.48 करोड़) 2. आशा लाभ पैकेज (₹ 2.46 करोड़) और 3. अन्य स्वास्थ्य योजना (प्रायोगिक) - मानव रेबीज नियंत्रण (₹ 6.50 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (छ) अन्य संविदात्मक सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है (₹295.79 करोड़)।
- अनुदान में उपलब्ध ₹ 295.79 करोड़ की समतुल्य वसूली को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ज) (i) स्कीम के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य 1. डॉ. राम मनोहर लोहिया पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली (₹ 40 करोड़) 2. एम्स की तरह सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना सह - तकनीकी संस्थाएं और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (₹ 625.00 करोड़) और 3. सफदरगंज अस्पताल (₹ 65 करोड़) (ii) स्कीम के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर 1. सफदरगंज अस्पताल (₹ 35 करोड़) और 2. कलावती सरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली (₹ 3 करोड़)।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 40 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (झ) एम्स की तरह सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना सह - तकनीकी संस्थाएं और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य (₹10 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 27.50 Crore.
- (i) Grants in Aid General under the scheme (1) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (EAC - ₹ 273.84 Crore), (2) Asha Benefit Package (₹ 381.33 Crore), (3) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. - Rota Virus (Domestic Budgetary Support) (₹ 152.95 Crore) (General - ₹115.07 Crore, SC- ₹ 9.71 Crore, ST - ₹ 28.17 Crore), (4) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. - Other than Rota Virus (Domestic Budgetary Support) (₹ 939.73 Crore) (General - ₹643.32 Crore, SC- ₹ 212.69 Crore, ST - ₹ 83.72 Crore), (5) RCH Flexible Pool - Other Health System Strengthening under NRHM for Other Activities - (₹ 397.00 Crore) (General - ₹ 249.35 Crore, SC - ₹71.63 Crore, ST - ₹ 76.02 Crore) and (6) Other Health Scheme (Pilot) - Control of Human Rabies (₹ 149.60 Crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Asset under the scheme Health System Strengthening (₹ 88.99 Crore)
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant and surrender of ₹ 34 Crore in Capital Section, this will entail a cash outgo of ₹ 75 Crore.
- Grant in Aid General under the scheme (1) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (EAC ₹ 4.48 Crore), (2) Asha Benefit Package (₹ 2.46 Crore) and (3) Other Health Scheme (Pilot) - Control of Human Rabies (₹ 6.50 Crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Expenditure required under Other Contractual Services (₹ 295.79 Crore).
- Taking into account, matching recovery of ₹ 295.79 Crore available in the Grant, this will not entail any additional cash outgo.
- (i) Major Works under the scheme (1) Dr. RML PGIMER, New Delhi (₹ 40 crore), (2) Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals (₹ 625.00 Crore) and (3) Safdarjung Hospital (₹ 65 Crore) and (ii) Machinery and Equipment under the scheme (1) Safdarjung Hospital (₹ 35 Crore) and (2) Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi (₹ 3 Crore)
- Taking into account the surrender of savings of ₹ 40 Crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- Major Works under the Establishment of AIIMS Type Super-speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals (₹ 10 Crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)
(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	739.24	739.24
पूंजी	Capital	...	386.49	386.49
जोड़	Total	...	1125.73	1125.73
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	150.89	150.89
जोड़	Total	...	150.90	150.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1276.65	1276.65
राजस्व	Revenue	...	739.25	739.25
पूंजी	Capital	...	537.40	537.40
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(क) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4858-अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4858-Capital Outlay on Engineering Industries	...	0.01	(ख) 0.01
6858-अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	6858-Loans for Engineering Industries	...	150.88	(ग) 150.88
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	150.89	150.89
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	150.90	150.90

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) ताप विद्युत संयंत्रों के लिए अडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजना हेतु ₹70.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। (ii) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) के अंतर्गत वेतन और भत्तों के लिए ₹ 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना, (iii) 'ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग विकास परिषद' स्कीम के अंतर्गत भारत में ऑटोमोटिव कलपुर्जा उद्योग में छोटे तथा मध्यम विनिर्माणकर्ताओं के सहायतार्थ ₹ 2.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के दिनांक 23.05.2018 के निर्णय के अनुसार वेतन/मजदूरी/सांविधिक भुगतान के लिए स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को जारी भारत सरकार के ₹ 1.98 करोड़ के ऋण का इक्विटी में परिवर्तन।
आवश्यक लेखांकन समायोजन करने के लिए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (i) राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास परियोजना (नेट्रिप) स्कीम के अंतर्गत ₹21.12 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। (ii)

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting the additional requirement of (i) ₹ 70.00 crore for 'R & D project for Development of Advanced Ultra Super Critical (AUSC) Technology for Thermal Power Plants', (ii) ₹ 5.00 crore for salary and allowances under the scheme 'Central Manufacturing Technology Institute (CMTI)', (iii) ₹ 2.50 crore for supporting small and medium sized manufacturers in the automotive component industry of India, under the scheme 'Development Council for Automobile and Allied Industries'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Conversion of Govt Loan of ₹ 1.98 crore released to Scooter India Ltd. for Salary/Wages/Statutory dues into equity as per CCEA decision dated 23.05.2018.
- For carrying out necessary accounting adjustment, a token supplementary is sought.
- (c) Meeting the additional requirement of (i) ₹ 21.12 crore for Loan under the scheme 'National Automotive Testing and Research &

पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान को परिवर्तित करके राष्ट्रीय आटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजना (नेट्रिप) स्कीम के अंतर्गत ₹ 150.88 करोड़ का ऋण।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है और अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹150.88 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

Development Project (NATRIP)'. (ii) ₹ 150.88 crore for Loan under the scheme 'National Automotive Testing and Research & Development Project (NATRIP)', by conversion of Grant for creation of Capital Assets.

Taking into account the savings available in the same section of the grant and surrender of savings of ₹ 150.88 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)
(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	4468.89	4468.91
पूंजी	Capital	...	324.45	324.45
जोड़	Total	0.02	4793.34	4793.36
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	2.17	0.01	2.18
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	2.17	0.01	2.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	6.33	130.94	137.27
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	6.33	130.95	137.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8.52	4924.30	4932.82
राजस्व	Revenue	8.52	4599.84	4608.36
पूंजी	Capital	...	324.46	324.46
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	(का) 0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	(खब) 0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(गक) 0.01
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	130.91	(घद) 130.91
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	6.33	(डे) ...	6.33
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	6.33	130.94	137.27
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(चफ) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	6.33	130.95	137.28

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) व्यावसायिक सेवाओं के तहत परामर्शदाताओं/व्यावसायिकों को पारिश्रमिक का भुगतान (₹ 4 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) अन्य प्रभारों के तहत जीवन रक्षा पदक और पुलिस मेडल (₹ 1.25 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) पाक अधिकृत कश्मीर और छंब से विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता की स्कीम (₹ 300 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार एनआरसी, असम से संबंधित कार्य (₹ 150 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग से ₹ 24.27 करोड़ के अभ्यर्पण तथा अनुदान के इसी भाग

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) payment of remuneration to consultants/professionals under Professional Services (₹ 4 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Jeevan Raksha Padak and Police Medal under Other Charges (₹ 1.25 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) The Scheme of financial assistance to Displaced families from PoK and Chhamb (₹ 300 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) work relating to NRC, Assam as per the directions of Hon'ble Supreme Court (₹ 150 crore).
Taking into account surrender of savings of ₹ 24.27 crore available

में उपलब्ध ₹ 19.09 करोड़ के मद्देनजर इसमें ₹ 106.64 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (ड) 2007-08 में कंधमाल, ओडिशा में दंगा पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन (₹ 6.33 करोड़)।
अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों के मद्देनजर इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (च) प्रमुख कार्यों के तहत नेशनल फायर सर्विसेज कालेज का उन्नयन (₹ 15.57 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

in Capital Section of the Grant and saving of ₹ 19.09 crore within the same section of the Grant, the net cash outgo will be ₹ 106.64 crore.

Implementation of Hon'ble Supreme Court Order in respect of payment of compensation to the victims of riots in Kandhamal, Odisha in 2007-08 (₹ 6.33 crore).
Taking into account the matching savings available in the voted section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
up- gradation of National Fire Service College under Major Works (₹ 15.57 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 47

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)
(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	770.00	770.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	770.00	770.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	150.00	150.00
पूंजी	Capital	...	715.89	715.89
जोड़	Total	...	865.89	865.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1635.90	1635.90
राजस्व	Revenue	...	920.01	920.01
पूंजी	Capital	...	715.89	715.89
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद्	2013-Council of Ministers	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) प्रधानमंत्री के हवाई जहाज का अनुरक्षण, चार्टर्ड फ्लाइट के बिल और हॉटलाइन के बिल (₹ 150 करोड़), (ii) साइनर्जी परियोजनाएं (₹ 44.33 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 33.57 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान (₹ 10.76 करोड़) (iii) प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के लिए नया लेखाशीर्ष 'लघु निर्माण कार्य' खोलना (₹ 2.20 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा देय (₹ 1.85 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

(i) PM's Aircraft Maintenance, chartered flight bills and hotline bills (₹150 crore) (ii) Synergy projects (₹ 44.33 crore) [Grant-In-Aid-General (₹ 33.57 crore) & Grants-in-Aid for creation of Capital Assets (₹ 10.76 crore)] (iii) Opening of new head of account 'Minor Work' for office of Pr. Scientific Adviser (₹ 2.20 crore) and payable by PMO under Grants-in-General (₹ 1.85 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

**पुलिस
POLICE**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58-59 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37-38 देखिये)
(See page 58-59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 37-38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	9.56	77305.24	77314.80
पूंजी	Capital	6.10	11057.35	11063.45
जोड़	Total	15.66	88362.59	88378.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	516.31	516.31
पूंजी	Capital	...	25.64	25.64
जोड़	Total	...	541.95	541.95
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1535.35	1535.35
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	1535.36	1535.36
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	15.66	90439.90	90455.56
राजस्व	Revenue	9.56	79356.90	79366.46
पूंजी	Capital	6.10	11083.00	11089.10
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	...	1247.52	(का) 1247.52
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	223.16	(खब) 223.16
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	64.67	(गc) 64.67
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1535.35	1535.35
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(घd) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1535.36	1535.36
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)193.16	(-)193.16
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)64.67	(-)64.67
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)257.83	(-)257.83

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने के लिए वेतन (₹ 707.23 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 571.47 करोड़), शस्त्र एवं गोला बारूद (₹ 50.00 करोड़),

The supplementary Grants are required for:

(a) Salary (₹707.23 crore), DTE (₹ 571.47 crore), Arms and Ammunition (₹ 50.00 crore), Professional Services (₹ 66.57 crore),

व्यावसायिक सेवाएं (₹ 66.57 करोड़), पीओएल (₹ 81.02 करोड़), अनुसंधान (अन्य प्रभार) (₹ 139.85 करोड़), आरआरटी (₹ 30.47 करोड़), कपड़े एवं तंबू (सीटीएस) (₹ 15.00 करोड़), गोपनीय सेवा व्यय (₹ 1 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹ 4 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 30 करोड़), क्रिप्टोग्राफिक प्रलेख (₹ 0.90 करोड़), अन्य सरकारों/विभागों को प्रदत्त प्रभार (₹ 10 करोड़), लघु कार्य (₹ 65.00 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.03 करोड़), बीएडीपी प्रशासनिक व्यय (₹ 0.97 करोड़), भारतीय साइबर अपराध समन्वय कक्ष (₹ 6.00 करोड़), अन्य प्रभार स्वच्छता कार्रवाई योजना (एसएपी) सहित (₹ 40.00 करोड़), आईटी (ओई) (₹ 109.53 करोड़), सीमा अवसंरचना का अनुरक्षण: अन्य व्यय (ओई) (₹ 45 करोड़), लघु कार्य (₹ 10 करोड़), लंबित देयताओं को निपटाने के लिए नक्सल प्रबंधन को सहायता (₹ 94.00 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान (₹ 11.95 करोड़), सीसीटीएनएस (₹ 1.95 करोड़) तटीय सुरक्षा के लिए अंडमान व निकोबार प्रशासन को अनुदान (₹ 10.00 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹ 2.9 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) तटीय सुरक्षा योजना के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति (₹ 30.00 करोड़), (ii) निर्भया निधि से वित्तपोषित सुरक्षित शहर परियोजनाओं का कार्यान्वयन (₹ 193.16 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण और निर्भया निधि से वसूली (₹ 193.16 करोड़) के मद्देनजर, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) सुरक्षित शहर परियोजनाओं का कार्यान्वयन (₹ 64.67 करोड़)। निर्भया निधि से समतुल्य वसूली के मद्देनजर, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) पुलिस अवसंरचना (₹ 739.12 करोड़), जिसमें से कार्यालय भवन के लिए (₹ 429.45 करोड़) और आवासीय भवन के लिए (₹ 309.67 करोड़) (ii) दिल्ली पुलिस के लिए आवासीय भवनों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं (₹ 11.00 करोड़), (iii) सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (₹ 444.00 करोड़), (iv) मोटर वाहन (₹ 120.00 करोड़), (v) मशीनरी एवं उपस्कर (₹ 212.00 करोड़), एअर विंग प्रमुख कार्य (₹ 0.18 करोड़), स्वच्छता कार्रवाई योजना (एसएपी), प्रमुख कार्य (₹ 10.00 करोड़), एअर क्राफ्ट/ रिवर बोट (₹ 25 करोड़), सीमा चौकी [असम राइफल्स (₹ 5 करोड़), आईटीबीपी (₹ 7 करोड़), एसएसबी (₹ 20 करोड़)]। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

POL (₹ 81.02 crore), Research (Other Charges) (₹ 139.85 crore), RRT (₹ 30.47 crore), Clothing and Tentage (CTS) (₹ 15.00 crore), Secret Services Expenses (₹ 1 crore), FTE (₹ 4 crore), Office Expenses (₹ 30 crore), Cryptographic Documents (₹ 0.90 crore), Charges paid to Other Government/Departments (₹ 10 crore), Minor Works (₹ 65.00 crore); Grants-in-aid General (₹ 0.03 crore), BAPD administrative expenses (₹ 0.97 crore), Indian Cybercrime coordination cell (₹ 6.00 crore), Other Charges [including Swachhata Action Plan (SAP)] (₹ 40.00 crore), IT(OE) (₹ 109.53 crore), Maintenance of Border Infrastructure: Other Expenses(OE) (₹ 45 crore), Minor Work (₹ 10 crore), Assistance to Naxal Management for clearing pending liabilities (₹ 94.00 crore), Grants-in-aid for creation of capital Assets (₹ 11.95 crore) {CCTNS ₹ 1.95 crore, Grants to A&N Administration for coastal security ₹ 10.00 crore} and Grants-in-aid Salaries (₹ 2.9 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(i) Reimbursement to state Governments for coastal security scheme (₹ 30.00 crore) (ii) Implementation of safe city projects financed from Nirbhaya Fund (₹ 193.16 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and the recoveries from Nirbhaya Fund (₹ 193.16 crore) the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Implementation of safe city projects (₹ 64.67 crore).

Taking into account the matching recoveries from Nirbhaya Fund, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(i) Police Infrastructure (₹ 739.12 crore) out of which for Office Building (₹ 429.45 crore) and Residential Building (₹ 309.67 crore), (ii) Public Private Partnership (PPP) projects for Residential Buildings for Delhi Police (₹ 11.00 crore), (iii) Border Infrastructure and Management (₹ 444.00 crore), (iv) Motor Vehicles (₹ 120.00 crore), (v) Machinery and Equipment (₹ 212.00 crore), Air Wing-Major Work (₹ 0.18 crore), Swachhata Action Plan (SAP), Major Work (₹ 10 crore), Aircraft/Riverboat (₹ 25 crore), Border Out Posts [Assam Rifles (₹ 5 crore), ITBP (₹ 7 crore), SSB (₹ 20 crore)].

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 52

**दमन और दीव
DAMAN AND DIU**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)
(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	1364.06	1364.08
पूंजी	Capital	...	311.41	311.41
जोड़	Total	0.02	1675.47	1675.49
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	12.03	12.03
जोड़	Total	...	12.03	12.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	1687.52	1687.54
राजस्व	Revenue	0.02	1364.07	1364.09
पूंजी	Capital	...	323.45	323.45
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(क) 0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	5.00	(ख) 5.00
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	...	0.01	(ग) 0.01
5053-नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	0.01	(घ) 0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	5.00	(ड) 5.00
5452-पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism	...	2.00	(च) 2.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	12.03	12.03
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	दीव में सर्किट हाउस के निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत ₹ 10 करोड़ की आवश्यकता पूरी करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	Meeting requirement of ₹ 10 crore under Major Works for construction of Circuit Houses at Diu. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	दीव में शिक्षा केन्द्र के निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत ₹ 15 करोड़ की आवश्यकता पूरी करने के लिए। अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध ₹ 5 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए ₹ 5 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	Meeting requirement of ₹ 15 crore under Major Works of Education Hub at Diu. Taking into account surrender of savings of ₹ 5 crore available in the Revenue (Voted) Section of Grant, a technical supplementary of ₹ 5 crore is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.	
(ग)	भमती, मोती दमण और डाबhel नानी दमण में जलापूर्ति स्कीम के संवर्धन के लिए तथा दमण क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर डीआई के-7 पाइपलाइन बिछाने के लिए भी अन्य पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ₹ 5 करोड़ की आवश्यकता पूरी करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Meeting requirement of ₹ 5 crore under Other Capital Expenditure for augmentation of water Supply Scheme at Bhamti, Moti Daman and Dabhel Nani Daman. Also for laying of DI K-7 pipeline at different places in Daman area. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(घ)	दमण में वाणिज्यिक विमानपतन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रतिपूर्ति के भुगतान	(d)	Meeting requirement of ₹ 3.72 crore under Major Works for	

- के लिए मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत ₹ 3.72 करोड़ की आवश्यकता पूरी करने के लिए।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ड) एमडीआर और ओडीआर सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण तथा चार लेन का बनाने, भूमि के अधिग्रहण और मगरवाड़ा, जरी और जामपौर पुल के निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत ₹ 10 करोड़ की आवश्यकता पूरी करने के लिए।
- अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध ₹ 5 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए ₹ 5 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (च) दमण फोर्ट के विकास और सौंदर्यकरण, छपली शेरी समुद्र तट, मोती दमण फोर्ट के अग्रभाग का विकास, देवका समुद्र तट आदि के विकास के लिए मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत ₹ 10 करोड़ की आवश्यकता पूरी करने के लिए।
- अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध ₹ 2 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए ₹ 2 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- payment of land acquisition compensation for commercial airport at Daman.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- Meeting requirement of ₹ 10 crore under Major Works for widening, strengthening and four laning of MDR & ODR roads, acquisition of land and construction of Magarwada, Zari & Jampore bridge.
- Taking into account surrender of savings of ₹ 5 crore available in the Revenue (Voted) Section of the grant, a Technical Supplementary of ₹ 5 crore is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- Meeting requirement of ₹ 10 crore under Major Works for development and beautification of Daman fort, development of Chhapli Sheri beach, Moti Daman fort front development, Devka beach etc.
- Taking into account surrender of savings of ₹ 2 crore available in the Revenue (Voted) Section of the grant, a technical supplementary of ₹ 2 crore is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 53

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73-75 देखिये)

(See page 73-75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1130.61	1130.61
पूंजी	Capital	...	266.70	266.70
जोड़	Total	...	1397.31	1397.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1397.33	1397.33
राजस्व	Revenue	...	1130.62	1130.62
पूंजी	Capital	...	266.71	266.71
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	आंगनवाड़ी श्रमिकों और आंगनवाड़ी नौकरों की मजदूरी, बच्चों के पार्क का अनुरक्षण/खेलने की सामग्री की खरीद तथा उनको मानदेय हेतु सहायता अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.56 करोड़)।	(a)	meeting expenditure under Grants-in-aid General towards wages, maintenance of Children's Park/purchase of playing material and honorarium to Anganwadi workers and Anganwadi helpers (₹0.56 crore).	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	अमीनी द्वीप पर स्टेडियम के निर्माण कार्य हेतु मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 2 करोड़)।	(b)	meeting expenditure under Major Works, towards the construction work of Stadium at Amini Island (₹ 2 crore).	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 54

दिल्ली को अंतरण

TRANSFERS TO DELHI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	790.00	790.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	790.00	790.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	77.41	77.41
जोड़	Total	...	77.41	77.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	867.41	867.41
राजस्व	Revenue	...	790.00	790.00
पूंजी	Capital	...	77.41	77.41
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	7602-Loans and Advances to Union Territory Governments	...	77.41	77.41

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए तथा जेआईसीए द्वारा सहायताप्राप्त विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए दिल्ली को सहायता देने हेतु प्रावधान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

For meeting additional expenditure required for opening of new head of account and making provision for assistance to Delhi for JICA assisted Externally Aided Project.
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 56

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)
(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	88.22	25509.93	25598.15
पूंजी	Capital	101.16	16314.69	16415.85
जोड़	Total	189.38	41824.62	42014.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
जोड़	Total	...	0.07	0.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	4.00	1.60	5.60
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	4.00	1.61	5.61
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	193.38	41826.30	42019.68
राजस्व	Revenue	92.22	25511.56	25603.78
पूंजी	Capital	101.16	16314.74	16415.90
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2058-लेखन सामग्री और छपाई	2058-Stationery and Printing	...	0.01 (का)	0.01
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	4.00 (खब)	1.07 (ग)	5.07
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.50 (घ)	0.50
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (ड)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (च)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	4.00	1.60	5.60
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01 (छ)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	4.00	1.61	5.61

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अधिवक्ताओं के शुल्क का भुगतान करने के लिए नया शीर्ष "व्यावसायिक सेवाएं" खोलना (₹ 0.01 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) उद्यत के तहत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लंबित मध्यस्थता पंचाट का भुगतान (₹ 4 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) (i) ई-धरती चरण- I व II प्रायोगिक परियोजना और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा एनआईसी को भुगतान (₹ 1.07 करोड़) तथा (ii) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत राजघाट समाधि समिति (₹ 6.23 करोड़)।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) Opening of new head "Professional Services" for making payment of advocate fees (₹ 0.01 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Payment of pending arbitration award under CPWD under Suspend (₹ 4 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (c) (i) E-dharti phase I and II pilot project and payment to NIC by Land and Development Office (L&DO) under Information Technology (₹ 1.07 crore) and (ii) Rajghat Samdhi Committee under Grants-in-aid General (₹ 6.23 crore)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (घ) (i) वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) के कुछ कर्मचारियों को वेतन की बकाया राशि का भुगतान (₹0.50 करोड़), (ii) नया शीर्ष खोलने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के अंतर्गत स्मार्ट सिटीज के तहत सीआईटीआईआईएस (₹ 4 करोड़) और (iii) सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत स्मार्ट सिटीज मिशन (₹ 20.00 करोड़)। (d)

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के पश्चात इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ङ) नया प्रयोजन शीर्ष सामान्य सहायता अनुदान खोलने के लिए स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम (₹ 0.01 करोड़)। (e)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (च) नए प्रयोजन शीर्ष सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 4.00 करोड़) खोलने के लिए स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम। (f)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (छ) मुख्य कार्य के अंतर्गत श्रम मंत्रालय से संबंधी कार्य (₹ 5.00 करोड़)। (g)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (i) Payment for salary arrears to National Capital Region Planning Board (NCRPB) employees under Grants-in-aid Salaries (₹ 0.50 crore), (ii) City Investment To Innovate, Integrate and Sustain (CITIIS) under Smart Cities under Creation of Capital Assets for Opening new Head (₹ 4 crore) and (iii) Smart Cities Mission under Grants-in-aid General (₹ 20.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- City Investment To Innovate, Integrate and Sustain (CITIIS) programme under Smart Cities for opening new object head Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- City Investment To Innovate, Integrate and Sustain (CITIIS) programme under Smart Cities to open new object heads Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 4.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- Work related to Ministry of Labour under Major Works (₹ 5.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 57
विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग**

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)
(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारत Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	82516.30	82516.30
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	82516.30	82516.30
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	113.78	113.78
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	113.78	113.78
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	82630.11	82630.11
राजस्व	Revenue	...	82630.11	82630.11
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	113.75	(क) 113.75
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(ग) 0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(घ) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	113.78	113.78

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) एकसेस एण्ड इक्विटी (₹ 0.15 करोड़) (2) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) (₹ 896.14 करोड़) (3) नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) (₹ 65.45 करोड़) (4) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) (₹ 65.40 करोड़) (5) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन (सीटीएसए) (₹ 10.06 करोड़) राष्ट्रीय बाल भवन (₹ 1.05 करोड़) (6) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (₹ 0.05 करोड़) (7) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (₹ 2.87 करोड़) (8) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (₹ 0.13 करोड़) और (9) मिड डे मील (एमडीएम) (₹ 2.91 करोड़) (ii) योजना के अंतर्गत पूँजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) केवीएस (₹ 67.76 करोड़) (2) एनवीएस (₹ 140.37 करोड़) (3) एसएसए (₹ 3.42 करोड़) और (4) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (₹ 0.20 करोड़) (iii) योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) केवीएस (₹ 603.53 करोड़) और (2) एनवीएस (₹ 362.90 करोड़) (iv) नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹ 162 करोड़) और (v) एसएसए योजना के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 10 करोड़)।

उपर्युक्त में ₹ 113.75 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (ख) (i) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) एसएसए (₹ 263.95 करोड़) (2) केवीएस (₹ 41 करोड़) (3) एनवीएस (₹ 5.40 करोड़) (4)

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-Aid General under the Scheme (1) Access & Equity (Rs 0.15 crore), (2) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 896.14 crore), (3) Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹ 65.45 crore), (4) National Council of Educational Research and Training (NCERT) (₹ 65.40 crore), (5) Central Tibetan School Administration (CTSA) (₹ 10.06 crore), National Bal Bhawan (₹ 1.05 crore), (6) Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (₹ 0.05 crore), (7) Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) (₹ 2.87 crore), (8) Strengthening of Teacher Training Institutions (₹ 0.13 crore) and (9) Mid May Meal (MDM) (₹ 2.91 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme (1) KVS (₹ 67.76 crore), (2) NVS (₹ 140.37 crore), (3) SSA (₹ 3.42 crore) and (4) Strengthening of Teacher Training Institutions (₹ 0.20 crore), (iii) Grants-in-Aid Salary under the Scheme (1) KVS (₹ 603.53 crore) and (2) NVS (₹ 362.90 crore), (iv) Scholarship/ Stipend under the Scheme National Means Cum Merit Scholarship Scheme (₹ 162 crore) and (v) Professional Services under the Scheme SSA (₹ 10 crore).

The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 113.75 crore

- (i) Grants-in-Aid General under the Scheme (1) SSA (₹ 263.95 crore), (2) KVS (₹ 41 crore), (3) NVS (₹ 5.40 crore), (4) RMSA

आरएमएसए (₹ 48.69 करोड़) और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (₹ 41.27 करोड़) (ii) निम्नलिखित योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) केवीएस (₹ 7.00 करोड़) (2) एनवीएस (₹ 11.50 करोड़) (3) एसएसए (₹ 138.58 करोड़) (4) आरएमएसए (₹ 75.04 करोड़) अध्यापक और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (₹ 23.09 करोड़) (iii) योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) केवीएस (₹ 17.00 करोड़) और एनवीएस (₹ 30 करोड़) (iv) नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹ 18 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(ग) सामान्य सहायता अनुदान (प्रयोजन शीर्ष -31) एसएसए योजना में (₹ 2365 करोड़) और आरएमएसए (₹ 29.02 करोड़)। (c)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(घ) आरएमएसए योजना (₹ 0.61 करोड़) में सामान्य सहायता अनुदान (प्रयोजन शीर्ष -31) (d)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(₹48.69 crore) and Strengthening of Teacher Training Institutions (₹41.27 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme of (1) KVS (₹ 7 crore), (2) NVS (₹ 11.50 crore), (3) SSA (₹138.58 crore), (4) RMSA (₹ 75.04 crore) and (5) Strengthening of Teacher Training Institutions (₹ 23.09 crore), (iii) Grants-in-Aid Salary under the Scheme of (1) KVS (₹ 17 crore), and (2) NVS (₹30 crore) and (iv) Scholarship/ Stipend under the Scheme of National Means Cum Merit Scholarship Scheme (₹ 18 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-Aid General (Object Head-31) in the Scheme of SSA (₹2365 crore) and RMSA (₹ 29.02 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-Aid General (Object Head-31) in the Scheme of RMSA (₹0.61 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)
(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	46778.08	46778.08
पूंजी	Capital	...	2752.00	2752.00
जोड़	Total	...	49530.08	49530.08
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	49530.15	49530.15
राजस्व	Revenue	...	46778.15	46778.15
पूंजी	Capital	...	2752.00	2752.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (का)	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01 (खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गc)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) (1) समुदाय कॉलेजों सहित कौशल आधारित उच्च शिक्षा के लिए सहायता (₹35.00 करोड़), (2) नेशनल बुक ट्रस्ट को अनुदान (₹ 4.00 करोड़), (3) आभासी कक्षा एवं व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को (एमओओसी) तैयार करना (₹ 71.40 करोड़), (4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता (₹177.23 करोड़), (5) ई-शोध सिन्धु (₹ 20.00 करोड़), और (6) शिक्षक और शिक्षण पर राष्ट्रीय मिशन (₹ 8.00 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) चिकित्सा-विज्ञान संस्थान-बीएचयू स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 80.00 करोड़) (iii) चिकित्सा-विज्ञान संस्थान-बीएचयू स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 48.32 करोड़) (iv) आभासी कक्षा एवं व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) तैयार करने की योजना के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 3.00 करोड़) और (v) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 2.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ख) (i) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) विज्ञान में रूपांतरणीय एवं उन्नत अनुसंधान स्कीम (स्टार्स) (₹ 4.00 करोड़), (2) नवाचार कक्षा (₹ 2.00 करोड़), (3) भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी) (₹ 160.00 करोड़), (4) नया भारतीय प्रबंधन संस्थान

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General under the schemes (1) Support for skill-based higher education including community colleges (₹35.00 Crore), (2) Grants to National Book Trust (₹ 4.00 Crore), (3) Setting up virtual classroom and massive open online courses (MOOCs) (₹71.40 Crore), (4) Support to University Grants Commission (₹177.23 Crore), (5) e-Shodh Sindhu (₹20 Crore) and (6) National Mission on Teachers and Teaching (₹8 Crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes Institute of Medical Sciences-BHU (₹80 Crore), (iii) Grants-in-aid Salaries under the schemes Institute of Medical Sciences-BHU (₹48.32 Crore), (iv) Advertising and Publicity under the scheme Setting up virtual classroom and massive open online courses (MOOCs) (₹3 Crore) and (v) Other Charges under the scheme Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA) (₹2 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid General under the scheme (1) Scheme for Transformational and Advanced Research in Sciences (STARS) (₹4 Crore), (2) Innovation Cell (₹2 Crore), (3) Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) (₹160

स्थापित करना (₹ 20.00 करोड़), (5) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश (₹ 39.00 करोड़), (6) सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि से आईआईआईटी स्थापित करना (₹ 19.38 करोड़), (7) शिक्षा अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएसईआर), आंध्र प्रदेश (₹ 20.00 करोड़), (8) भारतीय प्रबंधन संस्थान, आंध्र प्रदेश (₹ 10.00 करोड़), और (9) उन्नत भारत अभियान (₹ 2.40 करोड़) (ii) निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पूँजीगत अस्तित्वों के सृजन के लिए अनुदान (1) विज्ञान में रूपांतरण एवं उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्स) (₹1.00 करोड़), (2) भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी) (₹ 161.00 करोड़), (3) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) को सहायता (₹ 81.56 करोड़), (4) भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता (₹ 25.50 करोड़), (5) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (₹81.81 करोड़), (6) सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि द्वारा आईआईआईटी स्थापित करना (₹ 38.55 करोड़), और (7) शिक्षा अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता (₹ 9.21 करोड़) (iii) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (1) भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद (₹ 10.00 करोड़), (2) नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना (₹ 19.00 करोड़), (3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश (₹12.00 करोड़), (4) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (₹ 180.86 करोड़), और (iv) 'भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना स्कीम के अंतर्गत 'व्यावसायिक सेवाएं' (ईएपी) (₹ 4.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 15.00 करोड़)। (c)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(घ) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूसए) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 248.00 करोड़)। (d)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

Crore), (4) Setting up of new Indian Institute of Management (IIMs) (₹20 Crore), (5) Indian Institute of Technology, Andhra Pradesh (₹39 Crore), (6) Setting up IIITs in PPP Mode (₹19.38 Crore), (7) Indian Institute of Science for Education Research (IISER) Andhra Pradesh (₹20 Crore), (8) Indian Institute of Management, Andhra Pradesh (₹10 Crore), and (9) Unnat Bharat Abhiyaan (₹2.40 Crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (1) Scheme for Transformational and Advanced Research in Sciences (STARS) (₹1 Crore), (2) Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) (₹161 Crore), (3) Support to Indian Institutes of Information Technology (IIITs) (₹81.56 Crore), (4) Support to Indian Institutes of Management (₹25.50 Crore), (5) National Institutes of Technology (NITs) (₹81.81 Crore), (6) Setting up IIITs in PPP Mode (₹38.55 Crore) and (7) Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) (₹9.21 Crore), (iii) Grants-in-aid Salaries under the schemes (1) Indian School of Mines, Dhanbad (₹10 Crore), (2) Setting up of new Indian Institutes of Technology (New IITs) (₹19 Crore), (3) Indian Institutes of Technology, Andhra Pradesh (₹12 Crore), (4) National Institutes of Technology (NITs) (₹180.86 Crore) and (iv) Professional Services under the scheme Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP) (₹4.00 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General under the scheme Support to University Grants Commission (₹15 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-aid General under the scheme Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) (₹248 Crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)
(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4065.58	4065.58
पूंजी	Capital	...	23.40	23.40
जोड़	Total	...	4088.98	4088.98
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4089.01	4089.01
राजस्व	Revenue	...	4065.60	4065.60
पूंजी	Capital	...	23.41	23.41
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2221-प्रसारण	2221-Broadcasting	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रयोजन शीर्ष 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान' के अंतर्गत प्रसार भारती को उसकी स्कीम "किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता अनुदान" के अंतर्गत पूरक अनुदान (₹ 7.84 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Prasar Bharati under its schemes "Grants-in-aid to Prasar Bharati for Kisan Channel" under the object head 'Grants for creation of Capital Assets (₹ 7.84 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7677.75	7677.75
पूंजी	Capital	...	22.25	22.25
जोड़	Total	...	7700.00	7700.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1038.29	1038.29
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1038.29	1038.29
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8738.29	8738.29
राजस्व	Revenue	...	8716.04	8716.04
पूंजी	Capital	...	22.25	22.25
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	935.12	(क) 935.12
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	103.17	(ख) 103.17
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1038.29	1038.29

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) 'प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 1191.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
इस अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 13.50 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 256.38 करोड़ की बचत का उपयोग करने के बाद इसमें ₹ 921.62 करोड़ का नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) 'प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 131.62 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 28.45 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें ₹ 103.17 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Meeting additional requirement of ₹ 1191.50 crore for Grants-in-aid General under the scheme 'Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana'.
Taking into account the surrender of savings of ₹ 13.50 crore available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings of ₹ 256.38 crore available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 921.62 crore.
- (b) (i) Meeting additional requirement of ₹ 131.62 crore for Grants-in-aid General under the scheme 'Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana'.
Taking into account the savings of ₹ 28.45 crore available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 103.17 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2586.33	2586.33
पूंजी	Capital	...	1800.00	1800.00
जोड़	Total	...	4386.33	4386.33
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	535.00	535.00
जोड़	Total	...	535.03	535.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4921.36	4921.36
राजस्व	Revenue	...	2586.36	2586.36
पूंजी	Capital	...	2335.00	2335.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (का)	0.01
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	0.01 (खब)	0.01
2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	535.00 (घद)	535.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	535.03	535.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय विधिक सेवा (आईएलआई) के लिए 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कार्यान्वित करने के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के लिए बृहद कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 70 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) आयकर अपीलीय अधिकरण के संबंध में वेतन (₹ 17 करोड़) और किराया, दर व कर (₹ 6 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) लोक सभा चुनाव, 2019 के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल की आपूर्ति का भुगतान करने के लिए मशीनरी और उपस्कर।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grants-in-aid Salary for implementing 7th Pay Commission Report for Indian Legal Service (ILI) (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-Aid General for implementing expanded activities for National Legal Service Authority (NALSA) (₹ 70 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Salaries (₹ 17 crore) and Rent, Rate and Tax (₹ 6 crore) in respect of Income Tax Appellate Tribunal. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Machinery & Equipment to make payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails for Lok Sabha Election, 2019.

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए (₹ 231.69 करोड़), इसमें ₹ 303.31 करोड़ का निवल व्यय होगा।

Taking into account the surrender of saving available in the Revenue Section of the Grant (₹ 231.69 crore), the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 303.31 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6540.04	6540.04
पूंजी	Capital	...	12.57	12.57
जोड़	Total	...	6552.61	6552.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	8.49	8.49
जोड़	Total	...	8.51	8.51
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6561.15	6561.15
राजस्व	Revenue	...	6540.08	6540.08
पूंजी	Capital	...	21.07	21.07
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	8.49	(ग) 8.49
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	8.51	8.51

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) खादी सुधार विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 4.60 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (ii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और क्रेडिट समर्थन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी के लिए ₹ 62 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और क्रेडिट समर्थन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (iv) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और क्रेडिट समर्थन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत अंशदान हेतु ₹ 100.83 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। (v) नई स्कीम "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वृद्धिशील क्रेडिट हेतु व्याज आर्थिक सहायता" की शुरुआत के लिए ₹ 27.50 करोड़ की आवश्यकता पूरी करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) (i) कार्यनिष्पादन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 3.25 करोड़ और सामान्य सहायता अनुदान अनुसूचित जाति घटक के लिए ₹ 0.40 करोड़ सहायता अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Meeting additional requirement of ₹ 4.60 crore for Grants in Aid General under the scheme 'Khadi Reform Development Programme'. (ii) Meeting additional requirement of ₹ 62 crore for Subsidies under the scheme 'Pradhan Mantri Employment Generation Programme' and 'Credit Support Programme', (iii) Meeting additional requirement ₹ 1.00 crore for Grants in Aid General under the scheme 'Pradhan Mantri Employment Generation Programme' and 'Credit Support Programme', (iv) Meeting additional requirement of ₹ 100.83 crore for Contribution under the scheme 'Pradhan Mantri Employment Generation Programme' and 'Credit Support Programme', (v) Meeting requirement of ₹ 27.50 crore for commencement of new scheme "Interest Subvention for Incremental Credit to MSME's". Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting additional requirement of ₹ 3.25 crore for Grants in aid General and ₹ 0.40 crore for Grants in aid-SC component under 'Performance and Credit Rating Scheme', (ii) Meeting additional

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान अनुसूचित जाति घटक के लिए ₹ 10.00 करोड़ और विज्ञापन और प्रचार के लिए ₹ 4.54 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (iii) अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 0.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (iv) 'खादी अनुदान' स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन के लिए ₹ 19.62 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (v) ग्रामीण उद्योग अनुदान स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु ₹ 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (vi) 'खादी सुधार विकास पैकेज' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 50.80 करोड़, सामान्य सहायता अनुदान-अनुसूचित जाति घटक हेतु ₹ 7.00 करोड़ और सामान्य सहायता अनुदान-अनुसूचित जनजाति घटक के लिए ₹ 3.60 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (vii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी- ₹ 113.76 करोड़ अनुसूचित जाति घटक के लिए सब्सिडी ₹ 109.08 करोड़ और सब्सिडी-अनुसूचित जनजाति घटक के लिए ₹ 23.32 करोड़ की सब्सिडी की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (viii) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' और 'क्रेडिट सहायता कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 9.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (ix) 'महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान' स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के लिए ₹ 0.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (x) 'क्वायर विकास योजना' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 3.15 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (xi) 'पारंपरिक उद्योगों का पुनरुत्थान' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 8.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (xii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु ₹ 0.80 करोड़, विज्ञापन और प्रचार के लिए ₹ 0.01 करोड़ और 'राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडियों के लिए ₹ 24.49 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (xiii) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' और 'क्रेडिट सहायता कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत अंशदान-अनुसूचित जाति घटक के लिए ₹ 107.50 करोड़ तथा अंशदान-अनुसूचित जनजाति घटक के लिए ₹ 82.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (xiv) लघु कार्यों के लिए ₹ 4.50 करोड़ तथा 'अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान-अनुसूचित जनजाति घटक के लिए ₹ 13.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (xv) 'आंकड़ा आधार का उन्नयन' स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय- अनुसूचित जनजाति घटक के लिए ₹ 0.01 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (xvi) 'विकास आयुक्त (एमएसएमई)' स्कीम के अंतर्गत लघु कार्यों के लिए ₹ 0.75 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। (xvii) "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वृद्धिशैल क्रेडिट हेतु व्याज आर्थिक सहायता" की शुरुआत के लिए ₹ 247.50 करोड़ की आवश्यकता पूरी करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) 'लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय' स्कीम के अंतर्गत मोटर वाहनों के लिए ₹ 1.00 करोड़, मशीनरी और उपस्कर के लिए ₹ 1.00 करोड़ तथा मुख्य निर्माण कार्यों के लिए ₹ 6.49 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

requirement of ₹ 10.00 crore for Grants in Aid General- SC component and ₹ 4.54 crore for Advertising & publicity under the scheme 'National Scheduled Caste/Scheduled Tribe Hub Center', (iii) Meeting additional requirement of ₹ 0.50 crore for Grants in Aid General under the scheme 'International Corporation Scheme', (iv) Meeting additional requirement of ₹ 19.62 crore for Grants in Aid salaries under the scheme 'Khadi Grant', (v) Meeting additional requirement of ₹ 5.00 crore for Creation of Capital Assets under the scheme 'Village Industries Grant', (vi) Meeting additional requirement of ₹ 50.80 crore for Grants in Aid General, ₹ 7.00 crore for Grants in Aid General - SC component and ₹ 3.60 crore for Grants in Aid General - ST component under the scheme 'Khadi Reform Development Package', (vii) Meeting additional requirement of ₹ 113.76 crore for Subsidies, ₹ 109.08 crore for Subsidies-SC component and ₹ 23.32 crore for Subsidies-ST component under the scheme 'Pradhan Mantri Employment Generation Programme', (viii) Meeting additional requirement of ₹ 9.00 crore for Grants in aid General under the scheme 'Pradhan Mantri Employment Generation Programme' and 'Credit Support Programme', (ix) Meeting additional requirement of ₹ 0.50 crore for Grants in aid salaries under the scheme 'Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization', (x) Meeting additional requirement of ₹ 3.15 crore for Grants in aid General under the scheme 'Coir Vikas Yojna', (xi) Meeting additional requirement of ₹ 8.00 crore for Grants in aid General under the scheme 'Regeneration of Traditional Industries', (xii) Meeting additional requirement of ₹ 0.80 crore for creation of Capital Assets, ₹ 0.01 crore for Advertising and Publicity and ₹ 24.49 crore for Subsidies under the scheme 'National Manufacturing Competitiveness Programme', (xiii) Meeting additional requirement of ₹ 107.50 crore for Contribution-SC component and ₹ 82.00 crore for Contribution -ST component under the scheme 'Pradhan Mantri Employment Generation Programme' and 'Credit Support Programme', (xiv) Meeting additional requirement of ₹ 4.50 crore for Minor Works and ₹ 13.00 crore for Grants in aid General-ST Component under the scheme 'Infrastructure Development and Capacity Building', (xv) Meeting additional requirement of ₹ 0.01 Crore for Other Administrative Expenses- ST component under the scheme 'Upgradation of Data Base', (xvi) Meeting additional requirement of ₹ 0.75 crore for Minor works under the scheme 'Development Commissioner (MSME)', (xvii) Meeting requirement of ₹ 247.50 crore for commencement of new scheme "Interest Subvention for Incremental Credit to MSME's".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional requirement of ₹ 1.00 crore for Motor Vehicle, ₹ 1.00 crore for Machinery and Equipment and ₹ 6.49 crore for Major works under the scheme 'Capital Outlay on Public Works'.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 65

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)
(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.05	1899.25	1899.30
पूंजी	Capital	...	170.22	170.22
जोड़	Total	0.05	2069.47	2069.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	95.00	95.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	95.00	95.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.05	2164.48	2164.53
राजस्व	Revenue	0.05	1994.26	1994.31
पूंजी	Capital	...	170.22	170.22
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	95.00	95.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) 'भारत भूगर्भीय सर्वेक्षण' स्कीम के अंतर्गत वेतन के लिए ₹ 18.00 करोड़, मजदूरी के लिए ₹ 5.00 करोड़, कार्यालय व्यय के लिए ₹ 16.30 करोड़, अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए ₹ 0.10 करोड़, अन्य प्रभारों के लिए ₹ 1.00 करोड़, कपड़ों व टेंट के लिए ₹ 0.25 करोड़, विज्ञापन और प्रचार के लिए ₹ 0.25 करोड़ तथा लघु कार्यों के लिए ₹ 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना, (ii) 'भारत भूगर्भीय सर्वेक्षण कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत घरेलू यात्रा व्यय के लिए ₹ 10.00 करोड़, विदेश यात्रा व्यय के लिए ₹ 0.10 करोड़, कार्यालय व्यय के लिए ₹ 2.00 करोड़, किराया, दर व कर के लिए ₹ 1.00 करोड़, मजदूरी के लिए ₹ 2.90 करोड़, आपूर्ति और सामग्री के लिए ₹ 0.40 करोड़, अन्य प्रभारों के लिए ₹ 27.40 करोड़ तथा पीओएल के लिए ₹ 0.30 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) Meeting the additional requirement of ₹ 18.00 crore for Salaries, ₹ 5.00 crore for Wages, ₹ 16.30 crore for Office Expenses, ₹ 0.10 crore Other Administrative Expenses, ₹ 1.00 crore for Other Charges, ₹ 0.25 crore for Clothing and Tentage, ₹ 0.25 crore for Advertising and Publicity and ₹ 10.00 crore for Minor Works under the scheme 'Geological Survey of India' (ii) Meeting the additional requirement of ₹ 10.00 crore Domestic Travel expenses, ₹ 0.10 crore for Foreign Travel Expenses, ₹ 2.00 crore for Office Expenses, ₹ 1.00 crore for Rents, Rates and Taxes, ₹ 2.90 crore for Wages, ₹ 0.40 crore for Supply and Materials, ₹ 27.40 crore for Other Charges, ₹ 0.30 crore for POL under the scheme 'Geological Survey of India Activities'.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 66

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4534.96	4534.96
पूंजी	Capital	...	165.04	165.04
जोड़	Total	...	4700.00	4700.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	8.18	8.18
जोड़	Total	...	8.20	8.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4708.20	4708.20
राजस्व	Revenue	...	4534.98	4534.98
पूंजी	Capital	...	173.22	173.22
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01 (का)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	8.18 (गc)	8.18
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	8.20	8.20

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) हमारी धरोहर योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास (₹ 2 करोड़) और (ii) विकास के लिए पारंपरिक कला/ शिल्प में कौशल एवं प्रशिक्षण का उन्नयन (₹ 20 करोड़)। 2. विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी (₹ 21 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ग) कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि खरीदने के लिए प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 8.18 करोड़)।
- अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 8.18 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) GIA Salary under the scheme Hamari Dharohar (₹ 2 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) 1. GIA General under the scheme (i) Leadership Development of Minority Women (₹ 2 crore) and (ii) Upgrading skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (20 crore) and 2. Subsidy under the scheme Educational Loans for Overseas Studies (₹ 21 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Major Works for purchase of land for construction of office building (₹ 8.18 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 8.18 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 67
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5106.23	5106.23
पूंजी	Capital	...	40.40	40.40
जोड़	Total	...	5146.63	5146.63
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5146.64	5146.64
राजस्व	Revenue	...	5106.24	5106.24
पूंजी	Capital	...	40.40	40.40
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) पवन विद्युत योजना के अंतर्गत उपार्जन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) दावों का सब्सिडी संवितरण (₹ 100.00 करोड़), (ख) जल विद्युत योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए (₹ 10.90 करोड़) और (ग) सौर ऊर्जा (ग्रिड) योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 50.00 करोड़) के लिए ग्रिड चालित नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत अतिरिक्त आबंटन मुहैया कराने के लिए।
- (ii) निम्नलिखित हेतु ऑफग्रिड/संवितरित और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन देना (क) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.04 करोड़); पवन विद्युत स्कीम के अंतर्गत (ख) जैव विद्युत स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 16.50 करोड़) (ग) सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति घटक (₹ 28.00 करोड़) हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (घ) सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति घटक (₹ 16.00 करोड़) हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।
- (iii) मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत प्रयोगशाला सुदृढीकरण हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए सहायक कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त आवंटन प्रदान करना (₹ 7.80 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) providing additional allocation under 'Grid Interactive Renewable Power' for (a) Subsidy disbursement of Generation Based Incentive (GBI) claims under the scheme Wind Power (₹ 100.00 crore); (b) clearing committed liabilities of previous year under the scheme Hydro Power (₹ 10.90 crores) and (c) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Solar Power (Grid) (₹ 50.00 crore).
- (ii) providing additional allocation under 'Off-Grid / Distributed and Decentralized Renewable Power' for (a) Grants-in-Aid General (₹ 0.04 crore) under the scheme Wind Power; (b) 'Grants for Creation of Capital Assets' under the scheme Bio Power (₹ 16.50 crores); (c) Grants for Creation of Capital Assets for Scheduled Castes Component (₹ 28.00 crore) under the scheme Solar Power; (d) Grants for Creation of Capital Assets for Scheduled Tribes Component (₹ 16.00 crores) under the scheme Solar Power.
- (iii) providing additional allocation under 'Supporting Programmes' for Grants-in-Aid General for lab strengthening (₹ 7.80 crore) under the scheme Human Resources Development and Training.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)
(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	825.17	825.17
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	825.17	825.17
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	825.23	825.23
राजस्व	Revenue	...	825.23	825.23
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(का) 0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	प्रयोजन शीर्ष (i) सचिवालय के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹ 2.00 करोड़) और (ii) किराए, बिजली और जल प्रभार आदि और किराया, दर एवं कर (₹ 5.66 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a)	meeting additional expenditure under object head (i) Office Expenses (₹ 2.00 crore) and (ii) payment of Rent, Electricity and Water Charges etc. and Rent, Rates and Taxes (₹ 5.66 crore) under Secretariat.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की उप-योजनाएं (i) "पंचायतों को प्रोत्साहन राशि" (सामान्य सहायता अनुदान ₹ 45.25 करोड़ और अन्य प्रभार - ₹ 0.75 करोड़) और (ii) ई-पंचायत पर "मिशन मोड परियोजना" (सामान्य सहायता अनुदान ₹ 0.50 करोड़/"सूचना प्रौद्योगिकी (कार्यालय व्यय) - ₹ 19.50 करोड़ के अंतर्गत निधि मुहैया कराने के लिए।	(b)	providing the funds under the sub- schemes of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) (i) "Incentivization of Panchayats" (Grants-in-aid General- ₹ 45.25 crore and Other Charges - ₹ 0.75 crore) and (ii) "Mission Mode Project (MMP) on e-Panchayat" (Grants-in-aid General- ₹ 0.50 crore)/"Information Technology (Office Expenses) - ₹19.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 70

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4.29	1438.68	1442.97
पूंजी	Capital	2.15	81.88	84.03
जोड़	Total	6.44	1520.56	1527.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.09	0.09
जोड़	Total	...	0.10	0.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.12	0.12
पूंजी	Capital	...	25.00	25.00
जोड़	Total	...	25.12	25.12
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6.44	1545.78	1552.22
राजस्व	Revenue	4.29	1438.81	1443.10
पूंजी	Capital	2.15	106.97	109.12
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	0.11	(क) 0.11
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.12	0.12
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	25.00	(ग) 25.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	25.12	25.12

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के नियुक्त माननीय सदस्यों के लिए काम पर रखे गए घरेलू नौकरों की मजदूरी और बकाया राशि का भुगतान (₹ 0.11 करोड़) अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) का वेतन तथा पेंशन बकाया पूरा करने के लिए (₹ 5.75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, संकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की पूंजीगत परियोजना "व्यापक आधुनिकीकरण और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए भूमि की खरीद / कार्यालय / आवासीय भवन का निर्माण" (₹ 25.00 करोड़) अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 5 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 20 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Payment of arrears and wages of domestic helpers engaged for the appointed Hon'ble Members of CAT (₹ 0.11 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) Meeting Salary & Pension Arrears of Indian Institute of Public Administration (IIPA) under Grants- in Aid Salaries (₹ 5.75 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Capital project of CBI "Comprehensive Modernization and purchase of land/construction of office/residence buildings for CBI" (₹ 25.00 crore). Taking into account the surrender of savings available in the revenue section of the Grant of ₹ 5 crore, the above expenditure will entail additional cash outgo ₹ 20 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 71 (विनियोग)(APPROPRIATION)

केंद्रीय सतर्कता आयोग

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)
(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	32.61	...	32.61
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	32.61	...	32.61
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue	0.01	...	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1.39	...	1.39
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	1.39	...	1.39
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	34.01	...	34.01
राजस्व	Revenue	34.01	...	34.01
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2062-सतर्कता	2062-Vigilance	1.39	...	1.39

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के स्थापना व्यय के लिए आवश्यक है (₹ 1.39 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

Establishment expenditure of Central Vigilance Commission (₹ 1.39 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 72
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)
(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	27391.55	27391.55
पूंजी	Capital	...	3709.00	3709.00
जोड़	Total	...	31100.55	31100.55
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1708.01	1708.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1708.01	1708.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	250.18	250.18
जोड़	Total	...	250.20	250.20
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	33058.76	33058.76
राजस्व	Revenue	...	29099.58	29099.58
पूंजी	Capital	...	3959.18	3959.18
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(क) 0.01
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4802-पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	4802-Capital Outlay on Petroleum	...	250.18	(ग) 250.18
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	250.20	250.20

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) सचिवालय के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 1.35 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) 'स्वायत्त निकाय- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 10.35 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश प्रदान करना (₹ 250.18 करोड़)।
चूंकि उपर्युक्त व्यय की पूर्ति समतुल्य पूंजी प्राप्तियों से हो जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) providing additional funds for establishment related expenditure under Secretariat (₹ 1.35 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional funds for 'Grants-in-Aid Salary' under the scheme 'Autonomous Bodies - Petroleum and Natural Gas Regulatory Board' (₹ 10.35 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing additional equity investment in the form of bonus shares issued by Oil India Limited (OIL) (₹ 250.18 crore).
As the above expenditure will be matched by capital receipts, the above expenditure will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 73

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)
(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	338.97	338.97
पूंजी	Capital	...	0.68	0.68
जोड़	Total	...	339.65	339.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	20.90	20.90
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	20.90	20.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	125.96	125.96
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	125.96	125.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	486.51	486.51
राजस्व	Revenue	...	485.83	485.83
पूंजी	Capital	...	0.68	0.68
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	125.96	125.96

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) ₹ 20.21 करोड़ (लघु कार्यों के लिए ₹ 10.21 करोड़ और व्यावसायिक सेवाओं के लिए ₹ 10 करोड़) तथा (ii) स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु ₹125.96 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 20.21 करोड़ की बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 125.96 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

for meeting additional expenditure of (i) ₹ 20.21 crore (₹ 10.21 crore for Minor Works and ₹ 10 crore for Professional Services); and (ii) ₹125.96 crore towards Grants-in-Aid General for the Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilization (SETU).

Taking into account savings of ₹ 20.21 crore available in the same section of the grant, this will entail cash outgo of ₹ 125.96 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 74

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)
(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	13434.97	13434.97
पूंजी	Capital	...	2334.95	2334.95
जोड़	Total	...	15769.92	15769.92
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	713.73	713.73
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	713.74	713.74
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	16483.67	16483.67
राजस्व	Revenue	...	14148.71	14148.71
पूंजी	Capital	...	2334.96	2334.96
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(क) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	363.72	(ख) 363.72
2801-विद्युत	2801-Power	...	350.00	(ग) 350.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	713.73	713.73
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परियोजना	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01	(घ) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	713.74	713.74

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सचिवालय के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय के लिए ₹ 2.25 करोड़ धनराशि की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना जैसे ग्राम स्वराज्य अभियान और कार्यालय परिसर के नवीकरण के अंतर्गत वेतन (₹ 1.30 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.25 करोड़) और नए अधिकारियों की जवाइनिंग यात्रा व्यय के कारण छोटे-मोटे कार्य (₹ 0.70 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, संकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) "अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में ऊर्जा प्रणाली में सुधार योजना" के अंतर्गत ₹ 1000 करोड़ की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना, जैसे पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 352.05 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹ 512.50 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 135.45 करोड़) (ii) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में दूरसंचार प्रणाली के सुदृढीकरण योजना के तहत ₹ 500 करोड़ की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना, जैसे पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 450 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹ 50 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

(a) providing additional funds amounting to ₹ 2.25 crore for establishment related expenditure under Secretariat viz. Salary (₹ 1.30 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.25 crore) and Minor Works (₹ 0.70 crore) on account of joining of new officers, travelling expenses under Gram Swarajya Abhiyan and renovation of office premises.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) providing additional funds of ₹ 1000 crore under the scheme "Power System Improvement in North Eastern States excluding Arunachal Pradesh and Sikkim" as Grants for creation of capital assets (₹ 352.05 crore), Grants in aid General (₹ 512.50 crore) and Professional Services (₹ 135.45 crore); (ii) providing additional funds of ₹ 500 crore under the scheme "Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim" as Grants for creation of capital assets (₹ 450 crore) and Professional Services (₹ 50 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 1136.28 करोड़ की बचतों को देखते हुए और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 135.45 करोड़ की बचत का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में ₹ 228.27 करोड़ का नकद व्यय होगा।

- (ग) (i) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान जुटाए गए ₹ 4000 करोड़ की ईबीआर और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 5000 करोड़ की अतिरिक्त बजटीय सहायता के कारण ब्याज के भुगतान के लिए आरईसी बंध पत्र (₹ 323.60 करोड़) और पीएफसी बंध पत्र (₹ 26.40 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराना और (ii) ₹ 305.67 करोड़ की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (क) चालू योजनाओं/ गतिविधियों के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 5.67 करोड़) और (ख) विद्युत के कनेक्शन्स संबंधी कार्यों को समय से पूरा करने के लिए राज्यों को सौभाग्य के तहत अवार्ड वितरण हेतु (₹ 300 करोड़)।
- (घ) नौ राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र (आरईएमसी) की स्थापना के लिए “ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर” (प्रयोजन शीर्ष - मशीनरी एवं उपस्कर) स्कीम के अंतर्गत ₹ 95 करोड़ की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings of ₹ 1136.28 crore in the same section of the Grant and after utilising surrender of savings of ₹ 135.45 available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 228.27 crore.

(i) providing Grants in aid General for PFC Bonds (₹ 26.40 crore) and REC Bonds (₹ 323.60 crore) for interest payment on account of Extra Budgetary Resources of ₹ 5000 crore, raised during FY 2016-17 and EBR of ₹ 4000 crore raised during FY 2017-18; (ii) providing additional funds of ₹ 305.67 crore for (a) meeting additional requirement in Central Electricity Authority for ongoing schemes/ activities (₹ 5.67 crore) and (b) to disburse Award under Saubhagaya to states for timely completion of electricity connections job (₹ 300 crore).

Taking into account the savings of ₹ 305.67 crore available within the same section of the Grant this will entail cash outgo of ₹ 350 crore.

providing additional funds ₹ 95 crore under the scheme “Green Energy Corridor” (Object Head - Machinery and Equipments) to establish Renewable Energy Management Centre (REMC) in nine states.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 76

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 99 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)
(See page 99 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.15	773.82	774.97
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	1.15	773.82	774.97
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.10	20.00	20.10
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	0.10	20.00	20.10
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.12	...	0.12
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	0.12	...	0.12
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.37	793.82	795.19
राजस्व	Revenue	1.37	793.82	795.19
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	0.12	...	0.12

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

() सभापति और उपसभापति के संबंध में घरेलू यात्रा व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

() Domestic Travel Expenses in respect of Speaker and Deputy Speaker.

Taking into account matching surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 78

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 101 देखिये)

(See page 101 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5.57	5.57
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	5.57	5.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.90	0.90
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.90	0.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6.47	6.47
राजस्व	Revenue	...	6.47	6.47
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2012-President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	...	0.90	0.90

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन, मजदूरी, चिकित्सा उपचार, घरेलू यात्रा व्यय, विदेश यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय और अन्य प्रशासनिक व्यय।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

Salaries, Wages, Medical Treatment, Domestic Travel Expenses, Foreign Travel Expenses, Office Expenses and Other Administrative Expenses.

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 80

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)
(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	395.93	252703.08	253099.01
पूंजी	Capital	167.46	193103.31	193270.77
जोड़	Total	563.39	445806.39	446369.78
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	563.39	445806.42	446369.81
राजस्व	Revenue	395.93	252703.09	253099.02
पूंजी	Capital	167.46	193103.33	193270.79
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	3075-Other Transport Services	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्य लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) रेलवे यात्रियों के लिए 10.12.2016 से 31.08.18 तक भार.रे.खा.पा.नि. द्वारा भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम (₹ 47 करोड़) की प्रतिपूर्ति हेतु व्यय को पूरा करना

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्ण के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (i) रसमारा-दुर्ग - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 6.56 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 6.56 करोड़ की लागत से समपार के बदले निचला सड़क पुल;

(ii) बिलासपुर-रायपुर-दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी निजी भागीदारी के जरिए ₹ 44.39 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 30.42 करोड़ की लागत से तिलडा यार्ड पश्चिम छोर समपार को समाप्त करके ऊपरी और निचले सड़क पुल की व्यवस्था

(iii) मंधार-उरकुरा दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 45.86 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 31.68 करोड़ की लागत से उरकुरा यार्ड में सम पार को समाप्त करके ऊपरी और निचले

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards reimbursement of insurance premia paid by Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) from 10.12.2016 to 31.08.2018 in respect of Railway passengers (₹ 47 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought

(b) (i) Rasmara-Durg - Road under bridge in lieu of level crossing costing ₹ 6.56 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹ 6.56 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;

(ii) Bilaspur-Raipur - Elimination of level crossing in Tilda Yard west end by provision of road over bridge & road under bridge costing ₹ 30.42 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹ 44.39 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;

(iii) Mandhar-Urkura - Elimination of level crossing in Urkura Yard by provision of road over bridge & road under bridge costing ₹31.68 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and

	सड़क पुलों की व्यवस्था		₹45.86 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(iv)	पेंडा रोड-हैरि - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 22.66 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 22.66 करोड़ की लागत से चौकीदार वाले समपार को बंद करके ऊपरी और निचले सड़क पुलों का निर्माण	(iv)	Pendra Road-Harri - Construction of road over and road under bridges for closure of manned level crossing costing ₹ 22.66 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹ 22.66 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(v)	बिलासपुर-उसलापुर - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 4.73 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹4.73 करोड़ की लागत से चौकीदार वाले समपार को बंद करके निचले सड़क पुल का निर्माण	(v)	Bilaspur-Uslapur - Construction of road under bridge for closure of manned level crossing costing ₹ 4.73 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹ 4.73 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(vi)	चंपा-बिलासपुर - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 19.86 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 19.86 करोड़ की लागत से चौकीदार वाले समपार को बंद करके जयराम नगर यार्ड पर समपार पर ऊपरी सड़क पुल	(vi)	Champa-Bilaspur - Road over bridge at level crossing on Jairam Nagar Yard costing ₹ 19.86 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹ 19.86 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(vii)	रायपुर मंडल - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 8.19 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 8.19 करोड़ की लागत से बेल्हा यार्ड पर समपार के बदले निचला सड़क पुल	(vii)	Raipur Division - Road under bridge in lieu of level crossing at Belha Yard costing ₹ 8.19 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹ 8.19 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(viii)	कोटारलिया-रायगढ़ - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹15.11 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹15.11 करोड़ की लागत से समपार के बदले सबवे सहित ऊपरी सड़क पुल	(viii)	Kotaria-Raigarh - Road over bridge with subway in lieu of level crossing costing ₹ 15.11 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹ 15.11 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(ix)	भूपदेवपुर-राबर्टसन - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 11.30 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹11.30 करोड़ की लागत से समपार (नहारपल्ली) को समाप्त करके ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	(ix)	Bhupdeopur-Robertson - Elimination of level crossing (Naharpali) by construction of road over bridge costing ₹ 11.30 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹ 11.30 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(x)	भूपदेवपुर-राबर्टसन - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 13.60 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹13.60 करोड़ की लागत से समपार को समाप्त करके ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	(x)	Bhupdeopur-Robertson - Elimination of level crossing by construction of road over bridge with subway costing ₹ 13.60 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹ 13.60 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(xi)	चंपा-गेवरा रोड - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 14.46 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 14.46 करोड़ उदुर्गा यार्ड में समपार समाप्त करके सबवे सहित ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था	(xi)	Champa-Gevra Road - Elimination of level crossing in Urga Yard by provision of road over bridge with subway costing ₹14.46 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹14.46 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(xii)	चंपा-गेवरा रोड - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 8.97 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 8.97 करोड़ की लागत से कोरबा-उर्गा यार्ड के बीच समपार समाप्त करके सबवे सहित ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था	(xii)	Champa-Gevra Road - Elimination of level crossing between Korba-Urga Yard by provision of road over bridge with subway costing ₹ 8.97 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹ 8.97 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(xiii)	चंपा-गेवरा रोड - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 13.02 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 13.02 करोड़ की लागत से कोरबा-कुसुमदा समपार समाप्त करके सबवे सहित ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था	(xiii)	Champa-Gevra Road - Elimination of level crossing at Korba-Kusmuda by provision of road over bridge with subway costing ₹13.02 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹13.02 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(xiv)	रायगढ़-किरोडीमल - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 20.41 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹20.41 करोड़ की लागत से समपार (कोटारा गेट) को समाप्त करके सबवे सहित ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	(xiv)	Raigarh-Kirodimalnagar - Elimination of level crossing (Kotara Gate) by construction of road over bridge with subway costing ₹20.41 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹20.41 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(xv)	चंपा-झारसुगुडा - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 15.56 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 15.56 करोड़ की लागत से समपार (तिमार गेट) को समाप्त करके सबवे सहित ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	(xv)	Champa-Jharsuguda - Elimination of level crossing (Temar Gate) by provision of road over bridge with subway costing ₹15.56 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹15.56 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;
(xvi)	चंपा-झारसुगुडा - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के जरिए ₹ 16.06 करोड़ और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 16.06 करोड़ की लागत से समपार खरसिया यार्ड/वेस्ट एंड में समपार को समाप्त करके सबवे सहित ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	(xvi)	Champa-Jharsuguda - Elimination of level crossing in Kharsia Yard/West End by provision of road over bridge and subway costing ₹ 16.06 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh and ₹ 16.06 crore through Public Private Partnership, for South East Central Railway;

(xvii)	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड में ₹ 50 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन	(xvii)	Equity infusion in Braithwaite & Company Limited (BCL) costing ₹ 50 crore ;
(xviii)	नॉन-एयर स्प्रिंग एलएस टाइप सवारी डिब्बों को एलएस 5 टाइप सवारी डिब्बों में बदलने के लिए @ ₹ 30 लाख प्रति बोगी की दर से ₹ 270 करोड़ की लागत से सेकेंडरी ससपेंशन में एअर स्प्रिंग सहित 900 एलएचबी	(xviii)	900 LHB bogies with air spring in secondary suspension for conversion of non-air spring LS type coaches into LS 5 type coaches @ ₹ 30 lakh per bogie, costing ₹ 270 crore;
(xix)	फलोदी जं. - जैसलमेर - उत्तर-पश्चिम रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 74.31 करोड़ की लागत से स्टैंडर्ड-II (आर) इलेक्ट्रॉनिक अंतर्पार्श्व (9 स्टेशन)	(xix)	Phalodi Jn-Jaisalmer - Standard-II (R) electronic interlocking (9 stations) costing ₹ 74.31 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh, for North Western Railway;
(xx)	दुल्लाहपुर - पूर्वोत्तर रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 38.43 करोड़ की लागत से टावर वैगन पीरियोडिक ओवरहालिंग की व्यवस्था	(xx)	Dullahapur - Provision of tower wagon periodic overhauling shed costing ₹ 38.43 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh, for North Eastern Railway;
(xxi)	मध्य रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 448 करोड़ की लागत से मुंबई-हावड़ा खंड पर 175 मार्ग कि. मी. पर दीर्घकालिक मूल्यांकन आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली सहित यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल-2, संबंध इलेक्ट्रॉनिक इंटरलाकिंग (इनडोर), ब्लाक खंड के लिए ट्रेन डिटेक्शन प्रणाली, रिमोट डायगनोस्टिक्स एण्ड प्रीडिक्टिव अनुरक्षण प्रणाली, विविध भवन एवं संबंध कार्य इत्यादि की व्यवस्था	(xxi)	Provision of Modern Train Control System including Long Term Evaluation based Mobile Train Radio Communication system, connected electronic interlocking (indoor), train detection system for block section, remote diagnostics & predictive maintenance system, miscellaneous buildings & associated works etc for 175 rkm on Mumbai-Howrah section, costing ₹448 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh for Central Railway;
(xxii)	दक्षिण मध्य रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 404 करोड़ की लागत से चेन्नई सेंट्रल-मुंबई खंड में 165 मार्ग कि.मी. पर दीर्घकालिक मूल्यांकन आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली सहित यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल-2, संबंध इलेक्ट्रॉनिक इंटरलाकिंग (इनडोर), ब्लाक खंड के लिए ट्रेन डिटेक्शन प्रणाली, रिमोट डायगनोस्टिक्स एण्ड प्रीडिक्टिव अनुरक्षण प्रणाली, विविध भवन एवं संबंध कार्य इत्यादि की व्यवस्था	(xxii)	Provision of Modern Train Control System including Long Term Evaluation based Mobile Train Radio Communication system, connected electronic interlocking (indoor), train detection system for block section, remote diagnostics & predictive maintenance system, miscellaneous buildings & associated works etc for 165 rkm on Chennai Central-Mumbai section, costing ₹ 404 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh for South Central Railway;
(xxiii)	पूर्व तट रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 339 करोड़ की लागत से हावड़ा-चेन्नई सेंट्रल खंड में 145 कि.मी. पर दीर्घकालिक मूल्यांकन आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली सहित यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल-2, संबंध इलेक्ट्रॉनिक इंटरलाकिंग (इनडोर), ब्लाक खंड के लिए ट्रेन डिटेक्शन प्रणाली, रिमोट डायगनोस्टिक्स एण्ड प्रीडिक्टिव अनुरक्षण प्रणाली, विविध भवन एवं संबंध कार्य इत्यादि की व्यवस्था	(xxiii)	Provision of Modern Train Control System including Long Term Evaluation based Mobile Train Radio Communication system, connected electronic interlocking (indoor), train detection system for block section, remote diagnostics & predictive maintenance system, miscellaneous buildings & associated works etc for 145 rkm on Howrah-Chennai Central section, costing ₹ 339 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh for East Coast Railway;
(xxiv)	उत्तर मध्य रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा के जरिए ₹ 418 करोड़ की लागत से नयी दिल्ली-चैन्नई सेंट्रल खंड में 155 मार्ग कि.मी. पर दीर्घकालिक मूल्यांकन आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन प्रणाली सहित यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल-2, संबंध इलेक्ट्रॉनिक इंटरलाकिंग (इनडोर), ब्लाक खंड के लिए ट्रेन डिटेक्शन प्रणाली, रिमोट डायगनोस्टिक्स एण्ड प्रीडिक्टिव अनुरक्षण प्रणाली, विविध भवन एवं संबंध कार्य इत्यादि की व्यवस्था	(xxiv)	Provision of Modern Train Control System including Long Term Evaluation based Mobile Train Radio Communication system, connected electronic interlocking (indoor), train detection system for block section, remote diagnostics & predictive maintenance system, miscellaneous buildings & associated works etc for 155 rkm on New Delhi-Chennai Central section, costing ₹ 418 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh for North Central Railway;
(xxv)	पूर्व मध्य रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 450 करोड़ की लागत से स्वर्णिम चतुर्भुजविकर्णा/उच्च घनत्व वाले असुरक्षित मार्गों और पूर्व मध्य और पूर्वोत्तर रेलों पर बड़े शहरों के अतिक्रमण/अनाधिकार प्रवेश वाले संपर्क मार्गों पर चारदीवारी/कंपाउंड वाल का निर्माण	(xxv)	Construction of boundary wall / compound wall at vulnerable locations on Golden Quadrilateral / Diagonals / High Density Routes and on approaches of major cities vulnerable for encroachment / trespassing on Eastern, East Central & East Coast Railways costing ₹ 450 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh for East Central Railway;
(xxvi)	पश्चिम रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 450 करोड़ की लागत से स्वर्णिम चतुर्भुजविकर्णा/उच्च घनत्व वाले असुरक्षित मार्गों और मध्य, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम रेलवे पर बड़े शहरों के अतिक्रमण/अनाधिकार प्रवेश वाले संपर्क मार्गों पर चारदीवारी/कंपाउंड वाल का निर्माण	(xxvi)	Construction of boundary wall / compound wall at vulnerable locations on Golden Quadrilateral / Diagonals / High Density Routes and on approaches of major cities vulnerable for encroachment / trespassing on Central, Western & North Western Railways costing ₹ 450 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh for Western Railway;
(xxvii)	दक्षिण रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 450 करोड़ की लागत से स्वर्णिम चतुर्भुजविकर्णा/उच्च घनत्व वाले असुरक्षित मार्गों और दक्षिण, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम रेलवे पर बड़े शहरों के अतिक्रमण/अनाधिकार प्रवेश वाले संपर्क मार्गों पर चारदीवारी/कंपाउंड वाल का निर्माण	(xxvii)	Construction of boundary wall / compound wall at vulnerable locations on Golden Quadrilateral / Diagonals / High Density Routes and on approaches of major cities vulnerable for encroachment / trespassing on Southern, South Central, South Eastern & South Western Railways costing ₹ 450 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh for Southern Railway;
(xxviii)	उत्तर मध्य रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 450 करोड़ की लागत से स्वर्णिम चतुर्भुजविकर्णा/उच्च घनत्व वाले असुरक्षित मार्गों और	(xxviii)	Construction of boundary wall / compound wall at vulnerable locations on Golden Quadrilateral / Diagonals / High Density

उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे पर बड़े शहरों के अतिक्रमण/अनाधिकार प्रवेश वाले संपर्क मार्गों पर चारदीवारी/कंपाउंड वाल का निर्माण		Routes and on approaches of major cities vulnerable for encroachment / trespassing on Northern & North Central Railways costing ₹ 450 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh for North Central Railway;	
(xxix)	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 450 करोड़ की लागत से स्वर्णिम चतुर्भुज/विकर्ण/उच्च घनत्व वाले असुरक्षित मार्गों और दक्षिण पूर्व मध्य और पश्चिम मध्य रेलवे पर बड़े शहरों के अतिक्रमण/अनाधिकार प्रवेश वाले संपर्क मार्गों पर चारदीवारी/कंपाउंड वाल का निर्माण	(xxix)	Construction of boundary wall / compound wall at vulnerable locations on Golden Quadrilateral / Diagonals / High Density Routes and on approaches of major cities vulnerable for encroachment / trespassing on South East Central & West Central Railways costing ₹ 450 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh for South East Central Railway;
(xxx)	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के जरिए ₹ 250 करोड़ की लागत से स्वर्णिम चतुर्भुज/विकर्ण/उच्च घनत्व वाले असुरक्षित मार्गों और पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर बड़े शहरों के अतिक्रमण/अनाधिकार प्रवेश वाले संपर्क मार्गों पर चारदीवारी/कंपाउंड वाल का निर्माण	(xxx)	Construction of boundary wall / compound wall at vulnerable locations on Golden Quadrilateral / Diagonals / High Density Routes and on approaches of major cities vulnerable for encroachment / trespassing on North Eastern & Norhteast Frontier Railways costing ₹ 250 crore through Rashtriya Rail Sanraksha Kosh for Northeast Frontier Railway;
(xxxi)	खुर्दा रोड - पूर्व तट रेलवे के लिए ₹ 38.62 करोड़ की लागत से मुख्य लाइन विद्युतीय मल्टीपल यूनिट कार शेड (चरण-2) का निर्माण	(xxxi)	Khurda Road - Construction of main line electrical multiple unit car shed (Phase-2) costing ₹ 38.62 crore for East Coast Railway; and
(xxxii)	15 क्षेत्रीय रेलों (66 स्टेशन) पर ₹ 230.09 करोड़ की लागत से क्विक वाटरिंग सिस्टम अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक अनुदान की मांग की जाती है।	(xxxii)	Quick watering system over 15 zonal railways (66 stations) costing ₹ 230.09 crore. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 81
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)
(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	23153.10	23153.10
पूंजी	Capital	10.00	118170.50	118180.50
जोड़	Total	10.00	141323.60	141333.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	8565.39	8565.39
जोड़	Total	...	8565.40	8565.40
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	149889.01	149899.01
राजस्व	Revenue	...	23153.11	23153.11
पूंजी	Capital	10.00	126735.90	126745.90
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वांतर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01	(खb) 0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	8565.38	(गc) 8565.38
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	8565.39	8565.39
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	8565.40	8565.40
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)4282.69	(-)4282.69

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए 'व्यवसायिक सेवाएं' (नया खोले जाने वाला शीर्ष) के अंतर्गत निधियों का प्रावधान (₹ 10 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में अपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) पूर्वांतर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 65 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) expenditure under 'Professional Services' (new head to be opened) for Research & Development Works (₹ 10 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) expenditure on Major Works for 'Special Accelerated Road Development Programme' in North Eastern Areas (₹ 65 crore).

	(ii) सड़क विंग के अंतर्गत सड़क विकास कार्यों के लिए मुख्य कार्यों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 100 करोड़)।	(ii) expenditure on Major Works for road development works under Road Wing (₹ 100 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) 'राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मौद्रिकरण' के लिए निधियों का अंतर लेखा अंतरण (₹4840.75 करोड़)।	(c) (i) Inter Account Transfer of funds to Monetization of National Highways Fund (₹ 4840.75 crore).
	(ii) 'राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मौद्रिकरण' से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश किया जाना (₹ 4840.75 करोड़)।	(ii) Investment in NHAI to be met from Monetization of National Highways Fund (₹ 4840.75 crore).
	(iii) सीआरएफ से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य के अंतर्गत प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 1926.64 करोड़) और टीएसपी घटक के लिए (₹ 2080 करोड़)।	(iii) expenditure on Major Works under the National Highways Original Works financed from CRF, for General Component (₹ 1926.64 crore) and for TSP Component (₹ 2080 crore).
	(iv) बामपंथ चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क (राजमार्ग और राजकीय सड़कें) संपर्क विकास विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 40 करोड़)।	(iv) expenditure on Major Works under the Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremists Affected Areas (₹ 40 crore).
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त व्यय में ₹2784.75 करोड़ नकद व्यय की आवश्यकता नहीं है।	Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 2784.75 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 82

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)
(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	183393.17	183393.17
पूंजी	Capital	...	5.25	5.25
जोड़	Total	...	183398.42	183398.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	6084.13	6084.13
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	6084.14	6084.14
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	189482.59	189482.59
राजस्व	Revenue	...	189477.33	189477.33
पूंजी	Capital	...	5.26	5.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(का) 0.01
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	...	0.01	(खब) 0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	3653.06	(गद) 3653.06
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	(घद) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(डेे) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	2430.10	(चा) 2430.10
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.93	(छग) 0.93
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	6084.13	6084.13
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(जह) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	6084.14	6084.14

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	(-)3653.06	(-)3653.06
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)2430.10	(-)2430.10

3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान जोड़ (राजस्व भाग)	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)0.93	(-)0.93
	Total (Revenue Section)	...	(-)6084.09	(-)6084.09

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	सचिवालय के अंतर्गत वेतन, चिकित्सा और अन्य प्रशासनिक व्यय का भुगतान (₹ 1.74 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	the payment of Salaries, Medical Treatment and Other Administrative Expenses under Secretariat (₹ 1.74 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 700.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	providing Grant-in-aid General under the scheme National Rural Livelihood Mission programme (₹ 700.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	(i) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को निधियों का अंतरण (₹ 6084.09 करोड़) (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3650.28 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2.78 करोड़)। चूंकि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत व्यय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में से पूरा किया जाएगा और अनुदान के इसी भाग में ₹ 6084.09 करोड़ की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	(i) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (₹6084.09 crore); (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹3650.28 crore) and (iii) Grants for creation of Capital Assets for Union Territory without legislature (₹ 2.78 crore) under National Rural Employment Guarantee Scheme. As the expenditure under the scheme National Employment Guarantee Scheme will be met from the National Employment Guarantee fund and savings of ₹ 6084.09 crore are available in the same section of the Grant, it will not entail any cash outgo.	
(घ)	(i) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (₹ 14.08 करोड़) और (ii) 'अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण' स्कीम के अंतर्गत अन्य व्यय (₹ 91.81 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	(i) providing Grants-in-aid General to National Institute of Rural Development (₹ 14.08 crore) and (ii) Other Expenditure under the scheme 'Management Support to RD programmes and Strengthening district Planning Process and Strengthening of District Planning Process' (₹ 91.81 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ङ)	(i) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1.56 करोड़); (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत (I) आजीविका का कार्यक्रम घटक (₹ 50.00 करोड़), (II) अनुसूचित जाति घटक (₹ 29.00 करोड़) और (III) अनुसूचित जनजाति घटक (₹ 21.00 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	(i) Grants-in-aid General under National Institute of Rural Development (₹ 1.56 crore); (ii) Grants-in-aid General for (I) Programme Component of Aajeevika (₹ 50.00 crore), (II) Scheduled Castes component (₹ 29.00 crore) and (III) Scheduled Tribe component (₹ 21.00 crore) under National Rural Livelihood Mission. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(च)	(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2430.10 करोड़) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका में सामान्य सहायता अनुदान (i) केन्द्रीय सहायता (₹ 100.00 करोड़), (ii) अनुसूचित जाति घटक (₹ 58.00 करोड़) और (iii) अनुसूचित जनजाति घटक (₹ 42.00 करोड़)। चूंकि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत व्यय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में से पूरा किया जाएगा और अनुदान के इसी भाग में ₹ 200.00 करोड़ की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(f)	(A) Grants for creation of Capital Assets under National Rural Employment Guarantee Scheme (₹ 2430.10 crore) and (B) Grants-in-aid General in Aajeevika under National Rural Livelihood Mission (i) Central Assistance (₹ 100.00 crore), (ii) Scheduled Castes component (₹ 58.00 crore) and (iii) Scheduled Tribe component (₹42.00 crore). As the expenditure under the scheme National Employment Guarantee Scheme will be met from the National Employment Guarantee fund and savings of ₹ 200.00 crore are available in the same section of the Grant, it will not entail any cash outgo.	
(छ)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.93 करोड़)। चूंकि रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत व्यय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में से पूरा किया जाएगा, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(g)	Grants for creation of Capital Assets under National Rural Employment Guarantee Scheme (₹ 0.93 crore). As the expenditure under National Employment Guarantee Scheme will be met from the National Employment Guarantee Fund, it will not entail any cash outgo.	
(ज)	ग्रामीण विकास भवन का निर्माण (₹ 14.75 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(h)	construction of Grameen Vikas Bhawan (₹ 14.75 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 84

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)
(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5067.36	5067.38
पूंजी	Capital	...	67.50	67.50
जोड़	Total	0.02	5134.86	5134.88
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	5134.89	5134.91
राजस्व	Revenue	0.02	5067.38	5067.40
पूंजी	Capital	...	67.51	67.51
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर	5425-Capital Outlay on Other Scientific and	...	0.01	(खb) 0.01
पूंजी परिव्यय	Environmental Research			
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुसंधान (₹ 90 करोड़) (ii) अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 80 करोड़) और (iii) स्वायत्तशासी संस्थानों और व्यावसायिक निकायों (₹ 70 करोड़) तथा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (₹ 1 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) डिजिटल मानचित्रण प्रणाली (एनएटीएमओ) के 'मोटर वाहनों' हेतु अतिरिक्त व्यय (₹ 0.50 करोड़) पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 90 crore) for Science and Engineering Research Board (ii) Grants for creation of capital Assets (₹ 80 crore) under Research and Development and (iii) Grants-in-aid salaries for Autonomous Institutions and Professional Bodies (₹ 70 crore) and for Science and Engineering Research Board (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) meeting additional expenditure (₹ 0.50 crore) towards 'Motor Vehicle' of Digital Mapping System (NATMO).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)
(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1839.47	1839.47
पूंजी	Capital	...	421.66	421.66
जोड़	Total	...	2261.13	2261.13
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	218.60	218.60
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	218.60	218.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	125.01	125.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	125.01	125.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2604.74	2604.74
राजस्व	Revenue	...	2183.08	2183.08
पूंजी	Capital	...	421.66	421.66
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	0.01	(क) 0.01
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	3056-Inland Water Transport	...	125.00	(ख) 125.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	125.01	125.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सागरमाला परियोजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी करना (₹ 31.55 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) (i) जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत चार उप-परियोजनाओं (i) मल्टी मॉडल परिवहन (एमएमटी), वाराणसी का निर्माण; (ii) एमएमटी वाराणसी का निर्माण, एमएमटी साहिबगंज का निर्माण; (iii) फरक्का में नौवहन लॉक और (iv) एमएमटी हल्दिया का निर्माण और जेएमवीपी-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना घटक के अंतर्गत अन्य अनुषंगी परियोजनाएँ के कार्यान्वयन और उनको चालू करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को जारी करना (₹ 125 करोड़)।
(ii) चार उप-परियोजनाओं यथा (i) मल्टी मॉडल परिवहन (एमएमटी), वाराणसी का निर्माण; (ii) एमएमटी साहिबगंज का निर्माण; (iii) फरक्का में नौवहन लॉक; और (iv) हल्दिया एमएमटी का निर्माण और जेएमवीपी के अंतर्गत अन्य अनुषंगी परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनको चालू करने के लिए (₹ 218.59 करोड़)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grants for creation of Capital Assets for under Sagamala Project (₹ 31.55 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants for creation of Capital Assets for implementation and commissioning of the four sub-projects under Jal Marg Vikas Project (JMVP) (i) construction of Multi-Modal Transport (MMT), Varanasi; (ii) construction of MMT, Sahibganj; (iii) Navigational lock at Farakka and (iv) construction of MMT, Haldia and other ancillary projects under JMVP -EAP Component (₹ 125 crore).
(ii) implementation and commissioning of the four sub-projects of (i) construction of Multi-Modal Transport (MMT), Varanasi; (ii) construction of MMT, Sahibganj; (iii) Navigational lock at Farakka and (iv) construction of MMT, Haldia and other ancillary projects under JMVP -EAP Component (₹ 218.59 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3141.00	3141.00
पूंजी	Capital	...	259.00	259.00
जोड़	Total	...	3400.00	3400.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3400.01	3400.01
राजस्व	Revenue	...	3141.01	3141.01
पूंजी	Capital	...	259.00	259.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए (₹ 272.05 करोड़) और पॉलिटेक्निक्स की स्कीम के अंतर्गत नया शीर्ष खोलने के लिए (₹ 0.50 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान (ii) पॉलिटेक्निक्स की स्कीम के अंतर्गत नया शीर्ष खोलने के लिए 'कार्यालय व्यय' (₹ 0.10 करोड़), (iii) 'पॉलिटेक्निक्स की स्कीम के अंतर्गत नया शीर्ष खोलने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय' (₹ 0.10 करोड़), और (iv) पॉलिटेक्निक्स की स्कीम के अंतर्गत नया शीर्ष खोलने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1.80 करोड़) (कुल ₹ 274.55 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-General for meeting the physical targets under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana during 2018-19 (₹ 272.05 crore), and for opening new head under the Scheme of Polytechnics (₹ 0.50 crore) (ii) 'Office Expenses' for opening of new head under the scheme of Polytechnics (₹ 0.10 crore), (iii) 'Other Administrative Expenses' for opening of new head under the scheme of Polytechnics (₹ 0.10 crore), and (iv) Grant for creation of Capital Assets for opening of new head under the scheme of Polytechnics (₹ 1.80 crore) (total ₹ 274.55 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 89
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)
(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7342.60	7342.60
पूंजी	Capital	...	407.40	407.40
जोड़	Total	...	7750.00	7750.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	156.50	156.50
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	156.51	156.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2263.27	2263.27
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2263.27	2263.27
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	10169.78	10169.78
राजस्व	Revenue	...	9762.37	9762.37
पूंजी	Capital	...	407.41	407.41

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>		<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(क)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(ख)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	2263.25	(ग)	2263.25
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	2263.27		2263.27

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 और उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989 को लागू करने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करना (₹ 89.28 करोड़) (2) अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा (₹ 35 करोड़) (3) हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्स्थापना के लिए स्वरोजगार योजना (₹ 20 करोड़) (4) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 10 करोड़) और (5) डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक (₹ 5 करोड़) (ii) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹ 15 करोड़) (iii) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (1) बाल एवं बालिका छात्रावास (₹ 25 करोड़) और (2) बाल छात्रावास (₹ 7 करोड़) (iv) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 1 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(ख) (i) निम्नलिखित स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) वृद्ध लोगों से संबंधित कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 30 करोड़) (2) नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों के सेवन की सीमा, पद्धति और प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण (₹ 4 करोड़), (3) सामाजिक मद्यपान एवं मादक द्रव्यों के सेवन का निवारण (₹ 30 करोड़) और (4) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (₹ 10 करोड़) (ii) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के अंतर्गत

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants in aid General under the Scheme (1) Strengthening of Machinery for Enforcement of Protection of Civil Right Act 1955 and Prevention of Atrocities act 1989 (₹ 89.28 crore), (2) Top Class Education for SCs (₹ 35 crore), (3) Self Employment Scheme for Rehabilitation on Manual Scavengers (₹ 20 crore), (4) Post Matric Scholarship (₹ 10 crore) and (5) Dr. Ambedkar National Memorial (₹ 5 crore), (ii) Scholarship/Stipend under the Scheme National Overseas Scholarship for OBCs (₹ 15 crore), (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme (1) Boys and Girls Hostel (₹ 25 crore) and (2) Boys Hostel (₹ 7 crore) and (iv) Other Charges under the Scheme of Pradhan Mantri Adarsh Gramm Yojana (₹ 1 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants in aid General under the Scheme (1) Assistance to Voluntary Organisations for Programme Relating to Aged (₹ 30 crore), (2) National Survey to Assess the Extent, Pattern and Trends on Drugs Abuse and Substance Abuse (₹ 4 crore), (3) Prevention of Social Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse (₹ 30 crore) and (4) National Institute of Social Defence (₹ 10 crore) and

पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

- (ग) निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 3000 करोड़), (2) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (₹ 60 करोड़), (3) सिविल अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 तथा उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए व्यवस्था का सुदृढीकरण (₹ 50 करोड़) और (4) मद्यपान और नशीले पदार्थ का सेवन के निवारण पर राष्ट्रीय नीति (₹ 100 करोड़)।
- (c) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए और अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध ₹ 50 करोड़ के बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹2213.25 करोड़ का नकद व्यय होगा।

(ii) Grants for Creation of Capital Assets under National Institute of Social Defence (₹ 10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants in aid General under the Scheme (1) Post Matric Scholarship for SC Students (₹ 3000 crore), (2) Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana (₹ 60 crore), (3) Strengthening of Machinery for Enforcement of PCR Act 1955 and Prevention of Alcoholism Act 1989 (₹ 50 crore) and (4) National Policy on Prevention of Alcoholism and Drug Abuse (₹ 100 crore).

Taking into account savings available in the same section of the Grant and surrender of savings of ₹ 50 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 2213.25 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 90
विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1031.52	1031.52
पूंजी	Capital	...	38.48	38.48
जोड़	Total	...	1070.00	1070.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1070.01	1070.01
राजस्व	Revenue	...	1031.53	1031.53
पूंजी	Capital	...	38.48	38.48
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विकलांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (सामान्य के लिए ₹ 37.81 करोड़ और अनुसूचित जाति के लिए ₹ 8.54 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Scholarship/Stipend under the Scheme Scholarship for Student with Disabilities (₹ 37.81 crore for General and ₹ 8.54 crore for SCs) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 91

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)
(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	5495.58	5496.18
पूंजी	Capital	0.40	5286.84	5287.24
जोड़	Total	1.00	10782.42	10783.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	10782.46	10783.46
राजस्व	Revenue	0.60	5495.60	5496.20
पूंजी	Capital	0.40	5286.86	5287.26
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) इसरो उपग्रह केंद्र (आईजेक) के अंतर्गत बहु-संधि सौर सेल निर्माण हेतु नव अनुमोदित उत्पादनीकरण सुविधा के लिए (₹ 4.60 करोड़) (ii) पुनरुपयोगी प्रमोचक राकेट कक्षीय पुनः प्रवेश परीक्षण परियोजना (₹ 4.82 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) (i) योजना के अंतर्गत अन्य पूंजीगत व्यय (i) पुनरुपयोगी प्रमोचक राकेट कक्षीय पुनःप्रवेश परीक्षण परियोजना (₹ 34.35 करोड़) (ii) जीसैट-22/23/24 उपग्रह (₹86.50 करोड़) 2. योजना के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरण (i) पुनरुपयोगी प्रमोचक राकेट कक्षीय पुनःप्रवेश परीक्षण परियोजना (₹ 2.13 करोड़) (ii) ठोस नोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र (एसपीआरओबी) (₹ 60 करोड़) (3) मुख्य कार्य के तहत (i) इसरो उत्पादन केन्द्र (आईजेक) के तहत बहु-संधि सौर सेल निर्माण एवं उत्पादन (₹ 4 करोड़)(ii) इसरो मुख्यालय द्वारा हैदराबाद में भूमि की खरीद (₹115 करोड़) (iii) ठोस नोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र (₹ 65 करोड़) (iv) अंतरिक्ष भवन में गगनयान हेतु कार्यालय भवन (₹ 5 करोड़) और 4. इसरो प्रोपल्शन परिसर हेतु आवासन कार्य (₹ 0.95 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Meeting expenditure towards (i) newly approved productionisation facility for Multi-junction solar cell realization under ISRO Satellite Centre (ISAC) (₹ 4.60 crore) (ii) Re-usable Launch Vehicle Orbital Re-entry Experiment Project (₹ 4.82 crore). .
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Meeting expenditure towards 1. Other Capital Expenditure under the scheme (i) Re-usable Launch Vehicle Orbital Re-entry Experiment Project (₹ 34.35 crore) (ii) GSAT 22/23/24 Satellites (₹86.50 crore) 2. Machinery & Equipment under the scheme (i) Re-usable Launch Vehicle Orbital Re-entry Experiment Project (2.13 crore) (ii) Solid Propellant Space Booster Plant (SPROB) (₹ 60 crore) 3. Major Works for (i) Multi-junction Solar Cell realization and production under ISRO Satellite Centre (ISAC) (₹ 4 crore) (ii) procurement of land at Hyderabad by ISRO headquarters (₹ 115 crore) (iii) Solid Propellant Space Booster Plant (SPROB) (₹ 65 crore) (iv) Office building for Gaganyaan at Antariksh Bhawan (₹ 5

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

crore) and 4. Housing Works for ISRO Propulsion Complex (IPRC) (₹ 0.95 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)
(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 68 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4844.00	4844.00
पूंजी	Capital	...	15.00	15.00
जोड़	Total	...	4859.00	4859.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	69.62	69.62
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	69.62	69.62
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4928.64	4928.64
राजस्व	Revenue	...	4913.64	4913.64
पूंजी	Capital	...	15.00	15.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	69.62	69.62

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) (i) 7वीं आर्थिक जनगणना के लिए क्षमता विकास स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 31.00 करोड़) और (ii) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की आवश्यकता पूरी करने के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 38.62 कोरड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (I) Meeting expenditure towards (i) 'GIA-General' of Capacity Development Scheme for 7th Economic Census (₹ 31.00 crore) and (ii) 'GIA-Salaries' for meeting requirement for Indian Statistical Institute (₹ 38.62 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 93

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)
(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 69 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	47.90	47.90
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	47.90	47.90
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	105.75	105.75
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	105.75	105.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	153.66	153.66
राजस्व	Revenue	...	153.66	153.66
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	105.75	105.75

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इस्पात जनरल हस्पताल, राउरकेला को सुपर स्पेशियलिटी हस्पताल में स्तरोन्नत करने के लिए ₹ 105.75 करोड़ की आवश्यकता पूरी करना।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Meeting requirement of ₹ 105.75 crore for upgradation of Ispat General Hospital, Rourkela into a Super Speciality Hospital through SAIL.
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)
(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 70 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7109.84	7109.84
पूंजी	Capital	...	37.89	37.89
जोड़	Total	...	7147.73	7147.73
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1500.02	1500.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	1500.03	1500.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8647.79	8647.79
राजस्व	Revenue	...	8609.89	8609.89
पूंजी	Capital	...	37.90	37.90

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01	(ख)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(ग)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता के लिए ₹ 26.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) 'व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय' योजना के अंतर्गत कार्यालयी व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय और व्यावसायिक सेवाओं के लिए ₹ 22.54 करोड़, 'बुनकर सेवा केंद्र' योजना के अंतर्गत वेतन, व्यावसायिक सेवाओं और कार्यालय खर्चों के लिए ₹ 11.39 करोड़, 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत वेतन के लिए ₹ 3.00 करोड़, 'अन्य हथकरघा योजनाओं' नामक योजना के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के लिए ₹ 0.55 करोड़, 'अभिकल्प और प्रौद्योगिकी विकास' योजना के अंतर्गत वेतन, किराया, दर और कर, छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति, कार्यालय खर्चों और घरेलू यात्रा संबंधी खर्चों के लिए ₹ 23.20 करोड़, 'हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना' नामक स्कीम के अंतर्गत वेतन, कार्यालय खर्च और घरेलू यात्रा व्यय के लिए ₹ 1.90 करोड़, 'मानव संसाधन विकास' योजना के अंतर्गत अन्य प्रभारों के लिए ₹ 3.00 करोड़, 'व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय' योजना के अंतर्गत वेतन, कार्यालयी खर्च और लघु कार्यों के लिए ₹ 8.48 करोड़, 'अन्य शिल्प योजना' नामक स्कीम के अंतर्गत वेतन, कार्यालय खर्चों और घरेलू यात्रा व्यय के लिए ₹ 5.30 करोड़, 'प्रशिक्षण और विस्तार' नामक योजना के अंतर्गत घरेलू यात्रा व्यय एवं कार्यालय खर्च के लिए ₹ 2.20 करोड़, 'अन्य हस्तशिल्प योजना' के अंतर्गत

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting the additional requirement of ₹ 26.00 crore for Grants-in-aid General under the scheme 'National Handloom Development Programme'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting additional requirement of ₹ 22.54 crore for Office Expenses, Other Administrative Expenses and Professional Services under the scheme 'Trade Facilitation Centre and Craft Museum', ₹ 11.39 crore for Salaries, Professional Services and Office Expenses under the scheme 'Weavers Service Centre', ₹ 3.00 crore for Salaries under 'National Handloom Development Programme', ₹ 0.55 crore for Professional Services under the scheme 'Other Handloom Schemes', ₹ 23.20 crore for Salaries, Rent Rate and Taxes, Scholarship and Stipend, Office Expenses and Domestic Travel Expenses under the scheme 'Design and Technology Development', ₹ 1.90 crore for Salaries, Office Expenses and Domestic Travel Expenses under the scheme 'Handicrafts Artisan Comprehensive Welfare Scheme', ₹ 3.00 crore for Other Charges under the scheme 'Human Resources Development', ₹ 8.48 crore for Salaries, Office Expenses and Minor Works under the scheme 'Trade Facilitation Centre and Craft

कार्यालय व्यय के लिए ₹ 1.50 करोड़, 'केंद्रीय रेशम बोर्ड' नामक योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के लिए ₹ 138.26 करोड़, 'समूह बीमा योजना' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 5.28 करोड़, 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' नामक योजना के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के लिए ₹ 0.78 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) 'अन्य (टीआरए, सीओपी)' नामक योजना के अंतर्गत वेतन और कार्यालयी व्यय के लिए ₹ 0.40 करोड़, 'कपड़ा समिति को सहायता' नामक योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के लिए ₹ 52.00 करोड़, 'निर्यात संवर्धन अध्ययन' के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के लिए ₹ 1.03 करोड़, 'अन्य(टीआरए, सीओपी)' नामक योजना के अंतर्गत अंशदान के लिए ₹ 0.59 करोड़, और 'आरएंडडी कपड़ा' नामक योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान हेतु ₹ 6.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Museum'. ₹ 5.30 crore for Salaries, Office Expenses and Domestic Travel Expenses under the scheme 'Other Handicrafts scheme', ₹2.20 crore for Domestic Travel Expenses and Office Expenses under the scheme 'Training and Extension', ₹ 1.50 crore for Office Expenses under the scheme 'Other Handicrafts scheme', ₹ 138.26 crore for Grants-in-aid Salaries under the scheme 'Central Silk Board', Rs 5.28 crore for Grant in aid General under the scheme 'Group Insurance Scheme', ₹ 0.78 crore for Professional Services under the scheme 'National Handloom Development Programme'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Meeting additional requirement of ₹ 0.40 crore for Salaries and Office Expenditure under the scheme 'Others (TRAs, COP)', ₹52.00 crore for Grant-in-aid Salaries under the scheme 'Assistant to Textile Committee', ₹ 1.03 crore for Professional Services under 'Export Promotion Studies', ₹ 0.59 crore for Contribution under the scheme 'Others (TRAs, COP)' and ₹ 6.00 crore for Grants for creations of Capital Assets under the scheme 'R & D Textiles'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)
(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 72 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2149.99	2149.99
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	2150.00	2150.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2150.03	2150.03
राजस्व	Revenue	...	2150.02	2150.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(का) 0.01
3452-पर्यटन	3452-Tourism	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटक सर्किटों का समेकित विकास' योजना के अंतर्गत 'पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान' के लिए नया प्रयोजन शीर्ष खोलना (₹ 183.43 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) (i) 'स्वदेश दर्शन - थीम आधारित पर्यटक सर्किटों का समेकित विकास (₹817.50 करोड़) और (ii)'प्रसाद- तीर्थस्थान पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक प्रवर्तन अभियान (₹ 141.35 करोड़) योजनाओं के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान नामक नया प्रयोजन शीर्ष खोलना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) opening of new Object head for 'Grants in Aid for Creation of Capital Assets' under the scheme 'Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme Based Tourist Circuits' (₹ 183.43 Crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) opening of new Object Head 'Grants in Aid for Creation of Capital Assets' under the schemes (i) 'Swadesh Darshan - Integrated Development of Theme Based Tourist Circuits' (₹ 817.50 Crores) and (ii) 'PRASAD - Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive' (₹ 141.35 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)
(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 73 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4935.92	999.08	5935.00
पूंजी	Capital	...	65.00	65.00
जोड़	Total	4935.92	1064.08	6000.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	0.01	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1.70	1.70
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1.70	1.70
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4935.93	1065.79	6001.72
राजस्व	Revenue	4935.93	1000.79	5936.72
पूंजी	Capital	...	65.00	65.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	1.68	(क) 1.68
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(ख) 0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1.70	1.70
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	(i) 1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) (₹ 0.01 करोड़) तथा 2. जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता (₹38.60 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। (ii) ईएमआरएस स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़), (iii) जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान वेतन (₹ 11.40 करोड़)। (iv) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (₹ 1.68 करोड़) [डीटीई (₹ 0.75 करोड़), ओई (₹ 0.25 करोड़), प्रकाशन (₹ 0.08 करोड़), ओएई (₹ 0.05 करोड़), विज्ञापन एवं प्रचार (₹ 0.02 करोड़), व्यावसायिक खर्च (₹ 0.53 करोड़)] के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यय। अनुदान के भारित भाग में ₹ 1.68 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	(i) GIA General under the scheme (1) EkLavya Model Residential School (EMRS) (₹ 0.01 crore) and (2) Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 38.60 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme EMRS (₹0.01 crore), (iii) GIA Salary under the scheme Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 11.40 crore) and (iv) National Commission for Scheduled Tribes (₹ 1.68 crore) [DTE (₹ 0.75 crore), OE (₹ 0.25 crore), Publication (₹ 0.08 crore), OAE ₹ 0.05 crore), Advertisement & Publicity (₹ 0.02 crore), Professional Services (₹ 0.53 crore)]. Taking into account the surrender of savings of ₹ 1.68 crore in the Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;	
(ख)	(i) ईएमआरएस स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.01 करोड़) (ii) ईएमआरएस स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों का सृजन के लिए अनुदान (₹ 0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, संकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	(i) GIA General under the scheme EMRS (₹ 0.01 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme EMRS (₹0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	(i) 1. ईएमआरएस (₹ 0.01 करोड़), 2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के	(c)	(i) GIA General under the scheme (1) EMRS (₹ 0.01 crore), (2)	

अंतर्गत अनुदान (₹ 140.30 करोड़), 3. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (₹ 150 करोड़), 4. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (₹ 614 करोड़), तथा 5. जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता (₹ 0.85 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान। (ii) 1. ईएमआरएस (₹ 0.01 करोड़), 2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान (₹ 556.47 करोड़) स्कीम के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Grants under Article 275 (1) of the Constitution (₹ 140.30 crore), (3) Pre Matric Scholarship (₹ 150 crore), (4) Post Matric Scholarship (₹614 crore) and (5) Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products (₹ 0.85 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (1) EMRS (₹ 0.01 crore) and (2) Grants under Article 275 (1) of the Constitution (₹556.47 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 122-123 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 122-123 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	8188.51	8189.51
पूंजी	Capital	0.01	730.87	730.88
जोड़	Total	1.01	8919.38	8920.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.01	8919.43	8920.44
राजस्व	Revenue	1.00	8188.55	8189.55
पूंजी	Capital	0.01	730.88	730.89
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" के तहत (ईएपी घटक) राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 500 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Grants for creation of Capital Assets to National Ganga River Basin Authority under the scheme "National River Conservation Plan (EAP component)" (₹ 500 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 75-76 देखिये)
(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 75-76 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	25199.99	25199.99
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	25200.00	25200.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	27.00	27.00
जोड़	Total	...	27.04	27.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	58.65	58.65
पूंजी	Capital	...	18.12	18.12
जोड़	Total	...	76.77	76.77
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	25303.81	25303.81
राजस्व	Revenue	...	25258.68	25258.68
पूंजी	Capital	...	45.13	45.13
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(का) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खब) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	58.62	(ग) 58.62
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(घ) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	58.65	58.65
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	18.12	(डे) 18.12
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	76.77	76.77

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) (i) बाल संरक्षण सेवाएं योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 70 करोड़) (ii) बाल सुरक्षा योजना स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 4 करोड़) (iii) जन सहयोग एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान (एनआईपीसीसीडी) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.41 करोड़) और (iv) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.10 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) (1) आंगनवाड़ी सेवाएं (₹ 500 करोड़) (2) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (₹ 6 करोड़) और (3) बाल सुरक्षा सेवाएं (₹ 50 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ग) (1) आंगनवाड़ी सेवाएं (₹ 4338.32 करोड़), (2) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (₹ 79.93 करोड़) और (3) बाल संरक्षण सेवाएं (₹ 114.76 करोड़) स्कीम के अंतर्गत

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) GIA General under the scheme Child Protection Services (₹ 70 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Child Protection Scheme (₹ 4 crore), (iii) GIA Salary under the scheme National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) (₹ 1.41 crore) and (iv) Professional Services under the scheme Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) (₹ 0.10 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) GIA General under the scheme (1) Anganwadi Services (₹ 500 crore), (2) National Nutrition Mission (₹ 6 crore) and (3) Child Protection Services (₹ 50 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) GIA General under the scheme (1) Anganwadi Services (₹ 4338.32 crore), (2) National Nutrition Mission (₹ 79.93 crore) and (3) Child

	सामान्य सहायता अनुदान।		Protection Services (₹ 114.76 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 58.62 करोड़ नकद व्यय होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 58.62 crore.
(घ)	बाल संरक्षा सेवाएं स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.60 करोड़)।	(d)	GIA General under the scheme Child Protection Services (₹ 2.60 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन स्कीम के अंतर्गत प्रमुख कार्य (₹ 18.12 करोड़)।	(e)	Major Works under the scheme National Nutrition Mission (₹ 18.12 crore).
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 18.12 करोड़ के बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings of ₹ 18.12 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2018-2019 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 99

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125 और वर्ष 2018-2019 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)
(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2018-2019 and page 77 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2018-2019)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2138.31	2138.31
पूंजी	Capital	...	58.04	58.04
जोड़	Total	...	2196.35	2196.35
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.21	0.21
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.21	0.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2196.58	2196.58
राजस्व	Revenue	...	2138.54	2138.54
पूंजी	Capital	...	58.04	58.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	0.20	(का) 0.20
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.21	0.21

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) (1) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹ 21.74 करोड़) और (2) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 2.11 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, (ii) नेहरू युवा केन्द्र संगठन (₹ 35.97 करोड़) और (2) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 40.45 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (iii) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 3.45 करोड़), (iv) राष्ट्रीय क्रीड़ा विकास कोष के अंतर्गत अंशदान (₹ 71.00 करोड़) और (v) युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत लघु कार्य (₹ 0.20 करोड़) ।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 0.20 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) युवा छात्रावास स्कीम के अंतर्गत लघु कार्य (₹ 0.01 करोड़) । अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 0.01 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) GIA General under the scheme (1) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 21.74 crore) and (2) National Dope Test Laboratory (₹ 2.11 crore), (ii) GIA Salary under the scheme (1) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 35.97 crore) and (2) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 40.45 crore), (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Dope Test Laboratory (₹ 3.45 crore), (iv) Contribution under National Sports Development Fund (₹ 71.00 crore) and (v) Minor Works under the scheme Youth Hostel (₹ 0.20 crore).
Taking into account the surrender of savings of ₹ 0.20 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) Minor Works under scheme Youth Hostel (₹ 0.01 crore).
Taking into account the surrender of savings ₹ 0.01 crore available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;